लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र]

Ninth Session

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 18, बुधवार, 10 दिसम्बर, 1969/19 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 18, Wednesday, December 10, 1969/Agrahayana 19, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
511. पान इस्लामी शिखर सम्मेलन	Pan Islamic summit Meeting ..	1—3
512. महानगरों में द्रुत परिवहन प्रणाली	Rapid Transit Systems in Metropolitan cities.	3—8
513. ताशकंद घोषणा का निराकरण	Abrogation of Tashkent Declaration	8—13
514. ब्रिटेन को चाय का निर्यात	Export of Tea to U.K. ..	13—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
515. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण के बारे में महाजन समिति का प्रतिवेदन	Mahajan Committee's Report on Revision of Syllabus of National Defence Academy	19
516. अफ्रीकी देशों से भारत मूलक व्यक्तियों का निकाला जाना	Pushing out of Persons of Indian Origin from African Countries ..	19—20
517. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात	Channelisation of Imports of Public Sector Undertakings through State Trading Corporation	20—21
518. जम्बो जैट विमानों के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to Manufacture Jumbo Jets ..	21
519. भारत के अणुशक्ति कार्यक्रम में रूस की सहायता	Russian Assistance in India's Nuclear Power Programme ..	21
520. चाय के निर्यात के बारे में भारत और जापान के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Japan on Exports of Tea ..	21—22

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
521. पश्चिमी एशिया में शांति के लिये सुरक्षा परिषद् के संकल्प की क्रियान्विति	Implementation of Security Council Resolution for Peace in W. Asia ..	22
522. भारत और ईरान के बीच व्यापार करार	Trade Agreement between India and Iran..	22—23
523. परमाणु निरस्त्रीकरण सम्मेलन	Nuclear Disarmament Conference	23—24
524. राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में टंडन समिति का प्रतिवेदन	Tandon Committee's Report on Working of State Trading Corporation ..	24—25
525. स्पेन के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Spain ..	25—26
526. कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard	26
527. चौथी योजना में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात	Exports by State Trading Corporation during Fourth Plan ..	26—28
528. विदेशों में भारतीय दूतावासों की मांगें पूरी करना	Meeting Demands of Indian Mission Abroad ..	28
529. जापान के सहयोग से पावर रिएक्टर तथा परमाणु ईंधन का विकास	Development of Power Reactors and Nuclear Fuels with Japanese Collaboration ..	28
530. वायु सेना तथा सिविल क्षेत्र में विमान चालकों के वेतन-मानों में असमानता को दूर करना	Removal of Disparity in pay scales of Pilots in Air Force and in Civil Sector ..	29
531. उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रोनिक्स का एक कारखाना स्थापित करना	Setting up of a Unit of Bharat Electronics in Uttar Pradesh ..	29
532. जाली आयात लाइसेंस	Forged Import Licences	30
533. लंका में राष्ट्रिकताविहीन व्यक्तियों को राष्ट्रिकता प्रदान करना	Absorption of Stateless Persons in Ceylon..	30—31
534. सिकन्दराबाद स्थित सेना का इलेक्ट्रानिक्स तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग कालेज	Military College of Electronics and Mechanical Engineering Secunderabad ..	31
535. नेपाल में भारतीय बीमा कम्पनियों पर प्रतिबन्ध	Curbs on Indian Insurance Companies in Nepal ..	31—32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
536. पूंच और रजौरी जिलों में घुसपैठ	Intrusions in Poonch and Rajouri Districts	32
537. उत्तरी कचार तथा मिकिर पहाड़ियों का पिछड़ापन	Backwardness of North Cachar and Mikir Hills ..	32
538. ऊन की कमी के कारण ऊनी मिलों का क्षमता से कम काम करना	Woollen Mills working below capacity for want of wool ..	33
539. कुंजपुरा (हरयाणा) में सैनिक स्कूल	Sainik School at Kunjpura (Haryana)	33—34
540. राज्य व्यापार निगम के पास पड़े निर्यात के क्रयादेश	Export Orders lying with State Trading Corporation	35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3401. कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया)	Canteen Stores Department (I)	35
3402. विद्रोही नागाओं के पास भारतीय सेना के हथियार	Indian Army Equipment with Naga Rebels	36
3403. पक्षियों का निर्यात	Export of Birds	36—37
3404. हांगकांग निवासी भारतीयों पर रोक	Restrictions on Hong Kong Indians ..	37
3405. बन्दरों का निर्यात	Export of Monkeys ..	38
3406. कालेजों में अनिवार्य छात्र सेना प्रशिक्षण	Compulsory NCC Training in Colleges ..	39
3407. अपर्याप्त रोजगार सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने से संबंधित अध्ययन दल	Study Group for collection of Data about under Employment ..	39—40
3408. इम्फाल (मनीपुर) में असैनिक अधिकारियों की सहायता हेतु सेना बुलाना	Army called to Assist Civil Authorities in Imphal, Manipur ..	40
3409. तेलंगाना और रायल सीमा के विकास के लिये विशेष सहायता	Special Assistance for Development of Telengana and Rayalseema ..	40
3410. पाकिस्तान स्थित ननकाना साहब की करतारपुर क्षेत्र के साथ अदला-बदली	Exchange of Kartarpur area with Nankana Sahib in Pakistan ..	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3411.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति द्वारा नयी विज्ञान नीति का निर्धारण	Formulation of a new Science Policy by Committee on Science and Technology ..	41
3412.	हाजियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Hajis	41—42
3413.	भारतीय तथा नेपाली भूतत्वज्ञों द्वारा नेपाल में भूतत्वीय खोज	Geological Discoveries in Nepal by Indian and Nepalese Geologists ..	42
3414.	चाय उद्योग को सहायता देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निकाय	International Body to help Tea Industry ..	42—43
3415.	संभरण तथा निबटान महा-निदेशालय के ठेकों में हुये विवादों में मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था	Arbitration of disputes Incorporated in DGS & D contracts ..	43—44
3417.	विद्रोही नागा	Naga Rebels	44
3418.	अमरीका की आण्विक तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोज-नाओं में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists working in USA's Atomic and Space Research Projects ..	45
3419.	बहादुरशाह जफर के शव को रंगून से वापिस लाना	Bringing Back the Body of Bahadur Shah Zafar from Rangoon ..	45
3420.	लद्दाख का विकास	Development of Ladakh	46
3421.	पिछड़े और अल्प विकसित क्षेत्रों की समस्या	Problem of Backward and under developed Regions ..	46—47
3422.	लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यात	Production and Export of Iron Ore ..	47
3423.	सरकारी प्रयोग के लिये विदेशी कारों की खरीद	Purchasing of Foreign Cars for Official use ..	47—48
3424.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को लौह अयस्क का जहाजों द्वारा भेजने तथा उसके निर्यात में संवर्धन	Shipment and promotion of Iron Ore Export by MMTC to Japan	48—49
3425.	त्रिपुरा में पटसन खरीदने के केन्द्र खोलना	Opening of Centres for purchasing Jute in Tripura	49

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3426. सूती मिलों के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Cotton Mills	50
3427. रबड़ उत्पादों का निर्यात	Export of Rubber Products ..	50
3428. जूतों का निर्यात तथा जूता उद्योगों को सहायता	Export of Shoes and Assistance to Shoe Industries ..	50—51
3429. निर्जल पत्तन के रूप में दिल्ली के बारे में अन्तर मंत्रालय दल का प्रतिवेदन	Report of Inter Ministry Group on Delhi as Dry Port ..	51—52
3430. आसाम में चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tea Gardens in Assam ..	52
3431. राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री	Sale of Cars by State Trading Corporation ..	52—53
3432. समुद्री सीमा	Territorial Waters ..	53—54
3433. गणतन्त्र दिवस समारोह में दिल्ली के महापौर के लिये स्थान का दिया जाना	Allotment of Seat to Mayor of Delhi on Republic Day Celebrations ..	54
3434. लिबिया के सैनिक शासन को मान्यता प्रदान करना	Recognition to Military Regime in Libya ..	55
3435. संयुक्त अरब गणराज्य पर इसराइल का आक्रमण	Israeli Attack on UAR ..	55
3436. मध्य प्रदेश में चौथी योजना के लिये साधनों का बढ़ाया जाना	Enhancement of Resources for Fourth Plan in Madhya Pradesh ..	56
3437. भारत और पाकिस्तान के सेक्टर कमांडरों की करीमगंज में बैठक	Meeting of Sector Commanders of India and Pakistan at Karimganj ..	56—57
3438. पाकिस्तान के साथ प्रतियोगिता के कारण भारत के विदेशी पटसन बाजार का समाप्त हो जाना	Loss of Foreign Jute Market by India owing to Competition with Pakistan ..	57
3439. पूर्व यूरोपीय देशों के माल के निर्यात के लिये कमीशन एजेंट	Commission Agents for Export of Goods to East European Countries ..	57
3440. 1974 तक शस्त्रास्त्र में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Arms and Ammunition by 1974 ..	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3441.	नागालैंड में पुन: शान्ति की स्थापना	Restoration of Peace in Nagaland	58—59
3443.	रबात सम्मेलन के बारे में मोनोग्राफ लेख	Monographs on Rabat Conference	59
3444.	केलों का निर्यात	Export of Bananas	59—60
3445.	राज्य व्यापार निगम का लाभांश	Dividends of State Trading Corporation ..	60—61
3446.	हनोई में साम्यवादी चीन के नेताओं के साथ वार्ता	Talks with Communist Chinese Leader at Hanoi	61—62
3447.	रूमानिया को फियेट कारों का निर्यात	Export of Fiat Cars to Rumania	62
3448.	रूस और चीनी सेनाओं द्वारा प्रयुक्त एस० एल० आर० राइफलें	S. L. Rs used by Soviet and Chinese Troops	62—63
3449.	आयुध कारखानों में असैनिक कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	Number of Civilian Workers and Ex-servicemen in Ordnance Factories	63
3450.	कच्चा टीबू द्वीप	Kachchativu Island	63
3451.	परमाणु रिएक्टरों का निर्माण	Construction of Atomic Reactors	64
3452.	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की वर्षगांठ	GDR Anniversary Celebrations	64
3453.	राजनैतिक नेताओं को राजनयिक पासपोर्ट जारी करना	Issue of Diplomatic Passport to Political Leaders ..	65
3454.	अमरीका के विरुद्ध कोरिया के कांसल जनरल की टिप्पणी	Korean Consul General's remarks against USA ..	65—66
3456.	ब्रिटेन में पासपोर्ट के बिना भारतीय	Indians in U. K. without Passport	66—67
3457.	निर्यातकों को प्रोत्साहन	Incentives to Exporters	67
3458.	हज समिति बम्बई को सहायता	Assistance so Haj Committee, Bombay	68
3459.	विदेशी मशीनों का आयात	Import of Foreign Machines	68
3461.	श्रम कानूनों को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करने पर पाकिस्तान का विरोध पत्र	Pak Protest over Extension of Labour Laws to Jammu and Kashmir ..	69

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3462. भारत बर्मा सीमा का सीमांकन	Indo-Burma Boundary Demarcation ..	69—70
3463. भारत तथा हंगरी के बीच व्यापार	Trade between India and Hungary	70
3464. राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदा बेचा गया पटसन	Stocks of Jute handled by State Trading Corporation ..	71
3465. सार्वजनिक कार्यों में 20 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Age Group 20 to 35 in Public Activities ..	71—72
3466. प्रदर्शनियों पर खर्च	Expenditure on Exhibitions ..	73
3467. एक्सपो 70—ओसाका मेले के लिये कार्यकर्ता	Staff for Expo 70—Osaka Fair ..	73
3468. एक्सपो 67—मोनट्रियल मेले के लिये कार्यकर्ता	Staff for Expo—67 Montreal Fair	73—74
3469. प्लोडाइव मेले पर खर्च	Expenditure on Plodive Fair ..	74
3470. इस्पात के निर्यात तथा आयात का राज्य व्यापार निगम को सौंपा जाना	Handing over export and import of steel to State Trading Corporation ..	74
3471. विग उद्योग के श्रमिकों को प्रोत्साहन	Incentives for WIG Industry workers ..	75
3472. सूती धागे का निर्यात	Export of Cotton Yarn ..	75—76
3473. मोरक्को तथा जोर्डन के साथ निर्यात तथा आयात व्यापार	Export and Import trade with Morocco and Jordan Countries ..	76
3475. भारतीय नौसेना के युद्ध-पोतों द्वारा अन्य देशों की सद्भावना यात्रा	Warships of Indian Navy on goodwill visit to other countries ..	77
3476. भारत तथा इसरायल के बीच व्यापारिक सम्बन्ध	Trade relations between India and Israel	77
3478. आयुध कारखानों के महा-निदेशक के कार्यालय के एक भाग को कलकत्ता से कानपुर ले जाना	Shifting of a portion of Office of Director General, Ordnance Factories from Calcutta to Kanpur	77—78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3479.	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार	Review of cases of Government Employees who participated in 19th September, 1968 strike ..	78
3480.	कानपुर में विशेष धातु मिश्रित इस्पात के निर्माण के लिये एक कारखाने की स्थापना	Setting up of a factory to manufacture special alloy steel in Kanpur	78—79
3481.	सैनिक मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिये जबलपुर के पास एक आयुध कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to establish an Ordnance Factory for Manufacture of Arms vehicles near Jabalpur ..	79
3482.	अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये धन दिया जाना	Funds provided for Scientific Research by Research and Development Organisation ..	79—80
3483.	दानापुर छावनी बोर्ड	Danapur Cantonment Board	81
3484.	सूती कपड़े के उत्पादन की सीमा	Ceiling for production of cotton cloth	81
3485.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राज्यों को धन का नियतन	Allocation to States Consequent on Bank Nationalisation ..	82
3486.	चाय का निर्यात	Export of Tea	82—83
3487.	पटसन के सामान का निर्यात तथा कच्चे पटसन का आयात	Export of Jute goods and Import of Raw Jute ..	83—84
3488.	प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी उपक्रमों, गैर-सरकारी उपक्रमों तथा आयात से क्रय	Purchases made by Ministry of Defence from Public Undertakings, Private Undertakings and Imports	84
3489.	आवश्यकता के समय सेना का शीघ्रता से संचलन	Swift movement of Troops in time of need	84
3490.	वियतनाम से अमरीकी सेना की वापसी	Withdrawal of American Forces from Vietnam ..	84
3492.	दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण	Unveling of Gandhi Statue in South Africa ..	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3493. भारत, फ्रांस तथा अफ्रीकी देशों के बीच त्रिपक्षीय व्यापार करार	Trilateral Trade Agreement between India, France and African Countries	85
3494. पटसन उद्योग को करों में राहत	Fiscal Reliefs to Jute Industry	85—86
3495. चाय उद्योग को सहायता	Assistance to Tea Industry	86—88
3496. लौंग का आयात	Import of Cloves ..	88—89
3497. शराब का आयात	Import of Liquor	89
3498. विदेश प्रचार की अपर्याप्तता	Inadequacy of Foreign Publicity	90
3499. सैनिक कर्मचारियों के लिए उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्र भत्ता	High Altitude Allowance for Army Personnel	90
3500. ब्रिटेन को किये जाने वाले निर्यात में गिरावट	Decline in exports to Britain	91
3501. सस्ते रेडियो का निर्माण	Manufacture of Cheap Radio Sets ..	92
3502. नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात के लिए राजसहायता	Subsidy on Coir Goods Exports	92
3503. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना	Resettlement of Ex-servicemen in States and Union Territories ..	92—93
3504. न्यूक्लियर मास (प्रवइमान) सहित न्यूक्लियर ईंधन के विखण्डन (फिशन) तथा संलग्न (फ्यूजन) में प्रयोग सम्बन्धी नीति	Policy Re-Experimentation in Fission and Fusion of Nuclear Fuels with Nuclear Mass ..	93
3505. शस्त्रास्त्रों की सीमा निर्धारित करने के बारे में हेलीसिंकी में वार्ता	Helsinki talks on Armament Limitations ..	93—94
3506. चौथी योजना में अणु शक्ति विकास नीति	Atomic Development Policy during Fourth Plan ..	94
3507. रूस और अमरीका को जूतों का निर्यात	Export of shoes to USSR and USA ..	94—95
3508. काजू और चाय का निर्यात	Export of Cashewnuts and Tea ..	95—96
3509. मध्य प्रदेश के रेशमी कपड़े का निर्यात	Export of Silk Cloth of Madhya Pradesh ..	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3510.	महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में शक्ति चालित करघे	Powerlooms in Maharashtra and Madhya Pradesh ..	96—97
3511.	मध्य प्रदेश के भूमिहीन सैनिकों को आवंटित भूमि	Land Allotted to Landless Army Personnel from Madhya Pradesh ..	97
3512.	विश्व में भारत द्वारा निर्यात की स्थिति	India's Exports position in the World	97—98
3513.	गाय तथा सूअर की चर्बी का आयात	Import of Cow 'Charbi' (Tallow) Pig 'Charabi'	98
3514.	कोसी बांध पर भारतीय के साथ दुर्व्यवहार	Ill Treatement of Indians at Kosi Barrage	98
3515.	राजनयिक सूची में यूनेस्को मिशन, दिल्ली के श्री दीवान का नाम शामिल किया जाना	Inclusion of Shri Dewan of UNESCO Mission, Delhi in Diplomatic List ..	99
3516.	पटसन के समर्थन मूल्य का पुनरीक्षण	Revision of Support Prices of Jute ..	100
3517.	भारत नेपाल वार्ता	Indo Nepal Talks	99—100
3518.	कागज का निर्यात	Export of Paper ..	100—101
3519.	चीनियों द्वारा नाथूला के निकट सैनिक कार्यवाहियों में वृद्धि	Intensification of Military Activities by Chinese near Nathu La ..	101
3520.	हथकरघा के नाम पर विद्युत करघे के रेशम का निर्यात	Export of Powerloom Silk in the name of Handloom ..	101
3521.	भारतीय सेना में ईसाइयों के लिये विदेशी धर्मप्रचारक	Foreign Missionaries for Christians in Indian Army ..	101—102
3522.	महेन्द्र राजपथ के निर्माण में प्रगति	Progress in Construction of Mahendra Highway	102
3523.	विदेशों में प्रदर्शन कक्ष	Show Rooms in Foreign Countries ..	102—103
3524.	कुआलालुमपुर में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का सम्मेलन	Conference of South East Asian Nations of Kuala Lumpur ..	103
3525.	पोलैण्ड को गन्धक के बदले में रेलवे माल डिब्बों का निर्यात	Supply of Railway Wagons to Poland in Exchange of Sulphur ..	103—104
3526.	दिल्ली में विदेशी दूतावासों में भारतीय कर्मचारी	Indian Staff in Foreign Embassies in Delhi :	104

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3527. रुई तथा अन्य औद्योगिक कच्चे माल का रक्षित भण्डार	Buffer Stocks of cotton and other Industrial raw materials ..	104
3528. मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore ..	104—105
3529. विमानों के पुर्जे	Aircraft Parts	105
3530. राजदूतावासों द्वारा विदेशों में भारत का सही चित्र प्रस्तुत किया जाना	Projecting image of India by Embassies ..	105—106
3531. टोकियो और वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूतावासों तथा लन्दन स्थित उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या	Staff strength of Indian Embassies in Tokyo, Washington and High Commission in London ..	106—107
3532. भारतीय दूतावासों तथा उच्च आयोगों के कृत्य	Functions of Indian Embassies and High Commissions ..	107—108
3533. उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Hill Areas of UP ..	108
3534. भारत में मिग विमानों का निर्माण	Manufacture of MIGs in India	108
3535. सेना में रिजर्विस्टों को दी जाने वाली पेंशन में वृद्धि	Increase in Pension paid to Reservists in Army ..	109
3536. गोपालपुर (उड़ीसा) के पास आणविक कच्चा माल पाया जाना	Atomic Raw Materials found near Gopalpur (Orissa)	109
3537. दिल्ली में राज्य व्यापार निगम द्वारा किराये पर लिये गये भवन	Buildings hired by STC in Delhi ..	109—110
3538. सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये कपड़ा मिलों की कार्यप्राणाली	Working of Textile Mills taken over by Government ..	110
3539. स्कूल आफ फारेन लैंग्वेज को मन्त्रिमण्डल सचिवालय अथवा वैदेशिक कार्य मंत्रालय को सौंपने का प्रस्ताव	Proposal to hand over School of Foreign Languages to Cabinet Secretariat of External Affairs Ministry ..	110
3540. जिला स्तर पर योजनायें बनाना	Planning at District Level ..	110—111

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

3541. संयुक्त राष्ट्र शिष्टमण्डल के लिये संसद सदस्यों का चयन	Selection of M.Ps. for UN Delegation ..	111—112
3542. राकेट लांचिग स्टेशन, त्रिवेन्द्रम के निदेशक की अर्हतायें	Qualifications of the Director of Rocket Launching Station, Trivandrum ..	112
3543. केरल में अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र	Space Science Research Centre in Kerala ..	112—113
3544. प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड बनाना	Formation of a Defence Production Board..	113
3545. गांधी शताब्दी की प्रतिज्ञा लेने में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की असमर्थता	CPI(M)'s inability to take Gandhi Centenary Pledge ..	113—114
3546. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये पालमपुर में डिफेंस कालोनी बसाना	Setting up of a Defence Colony at Palampur for Rehabilitation of Exservicemen ..	114
3547. कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूलों का राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सौंपा जाना	Handling over of Cantonment Board's Schools to State and Union Territory Governments ..	114—115
3548. आयुध कारखाना महानिदेशालय	Directorate General Ordnance Factories ..	115
3549. भारतीय नौ सेना में अधिकारियों की कमी	Shortage of Officers in Indian Navy ..	115—116
3550. भारत में पटसन अनुसन्धान संस्थायें	Jute Research Institutes in India	116
3551. विदेशों में जूट उत्पादों का निर्माण	Manufacture of Jute Products in Foreign Countries ..	117
3552. अन्दमान जाने वाले यात्रियों को आपात कालीन अनुमति पत्र	Emergency Permits to Passengers going to Andamans ..	117—118
3553. प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान गोआ में एक नौ सेना अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार	Misbehaviour by a Naval Officer at Goa during P. M's Visit ..	118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या। U. S. Q. Nos.		
3554. पश्चिम जर्मनी को निर्यात	Export to West Germany ..	118—119
3555. गढ़वाल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना	Declaration of Garhwal as Backward Areas ..	119
3556. 1965 के पश्चात् भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं में वृद्धि	Increase in Defence Forces of India after 1965 ..	119
3557. उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास बोर्ड	U. P. Hill Development Board ..	119—120
3558. नौ सैनिक अड्डा बनाने के लियें अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास	Development of Andaman and Nicobar Islands for a Naval Base ..	120
3559. हांगकांग में भारत विरोधी भावना	Anti-Indian feeling in Hong Kong ..	120
3560. विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों को अलाट की गयी रिहायशी भूमि	Residential land allotted to Ex-Service-men in various States ..	121
3561. अमरीका में वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा पोशाक सम्बन्धी विनियमों का न माना जाना	Non adherence to Dress Regulation by External Affairs Minister in USA ..	121
3562. हथकरघों द्वारा बोर्डर वाली धोतियों का उत्पादन	Production of Border Dhotis by Hand-looms ..	122
3563. ब्राजील में एक भारतीय को रोक लेना	Indian detained in Brazil	122
3564. प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन अन्तर सेवा तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Inter Service Technical Committees Report ..	122—123
3565. कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इण्डिया) के स्टोर कीपर के विरुद्ध जांच	Inquiry against a Store Keeper of Canteen Stores Department (India) ..	123
3566. सी० एस० डी० (1) के महाप्रबन्धक के सेवाकाल में वृद्धि	Extension of Service given to the General Manager, CSD (I) ..	123—124
3567. मध्य प्रदेश के विकास के लिये योजनायें	Schemes for Development of Madhya Pradesh ..	124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3568.	चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के लिये योजना परिव्यय	Plan Outlay for Madhya Pradesh during Fourth Plan ..	124—125
3570.	सेना के लिये आधुनिक साज सामान	Modern Equipment for Army ..	125
3571.	फ्रान्सीसी टैंक भेदक मिसाइलें प्राप्त करना	Acquisition of French Anti-Tank Missiles ..	125
3572.	फील्ड गनों का निर्माण	Production of Field Guns ..	125—126
3573.	आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in Ordnance Factories ..	126
3574.	सशस्त्र सेना मुख्यालय में स्टेनोग्राफर	Stenographers in Armed Forces Headquarters ..	127
3575.	उत्तर प्रदेश में शक्तिचालक करघों का बन्द होना	Closure of Powerlooms in U. P. ..	127
3576.	स्टेपल यार्न के मूल्य	Prices of Staple Yarn ..	127—128
3577.	स्टेपल यार्न की कीमतों में वृद्धि	Increase in prices of Staple Yarn ..	128
3578.	करघों को आयातित ऊन के कोटे का नियतन	Allocation of quota of imported wool to looms ..	128—129
3579.	हांगकांग में भारत सप्ताह का मनाया जाना	Celebration of India Week in Hong Kong ..	129—130
3580.	कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन	Allocation of quota of Raw Films	130
3581.	प्रधान मंत्री के सचिवालय और उनके निवास स्थान के लिये कारों और फर्नीचर की खरीद	Cars and furniture purchased for Prime Minister's Secretariat and Prime Minister's House ..	130
3582.	लन्दन में लार्ड एटली की कब्र के लिये मकबरे का पत्थर	Tomb stone for Lord Attlee's Grave in London ..	130—131
3583.	विद्युत् चालित करघों के लिये एल—4 लाइसेंस का दिया जाना	Grant of L-4 Licences for Powerlooms ..	131
3584.	कपास का आयात	Import of Cotton ..	131—132

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3585. भारतीय नौ सैनिक डाकयार्ड बम्बई में कैन्टीन के कार्यकरण के बारे में शिकायतें	Complaints Re : functioning of canteen at Indian Naval Dockyard Bombay ..	132
3586. किराया नियन्त्रण सम्बन्धी राज्य अधिनियमों का छावनी क्षेत्रों में लागू किया जाना	Extension of State Enactments regarding control of rent to Cantonment Areas ..	132—133
3587. बख्तरबन्द कोर सेंटर में टैंक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का चालू करना	Introduction of Tank Technology course in Armoured Corps Centre ..	133—134
3588. करांची में प्रधान मंत्री के पुतले तथा राष्ट्रीय झण्डे का जलाया जाना	Burning of Prime Minister's Effigy and National Flag in Karachi	134
3589. कोटा स्थित गार्ड सेन्टर में असैनिक अध्यापकों के स्थान पर जवानों की नियुक्ति	Civilian Teachers replaced by Jawans in Guards Centre Kota ..	134
3590. महाराष्ट्र में विद्युत-चालित करघे	Powerlooms in Maharashtra ..	134—135
3591. चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिये बर्मा को सहायता	Help to Burma to Combat intrusion by Chinese Troops ..	135
3592. निर्यात की गई भारतीय वस्तुओं का सम्बन्धित देशों द्वारा अन्य देशों को विक्रय	"Switch Trade" of Indian Goods ..	135—136
3593. भारतीय दालों की मांग	Demand for Indian Pulses ..	136
3594. भारतीय सेना में छिपे नागाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव	Proposal to employ underground Nagas in Indian Army ..	136
3595. लन्दन स्थित चीन के दूतावास द्वारा भारतीय राजनयिक को निमंत्रण	Invitation to Indian Diplomat at Chinese Embassy function in London ..	137
3596. संगणकों का निर्माण	Manufacture of Computers ..	137
3597. मेरठ के निकट एक दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के एक विमान चालक की मृत्यु	IAF Pilot killed in accident near Meerut ..	137

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3598. चौथी योजना के लिए संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन पर मतभेद	Differences over re-appraisal of resources position for Fourth Plan ..	138
3599. सांख्यकी विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	Publications brought out by the Department of Statistics ..	138
3600. भारत-अमरीका व्यापार	Indo-US Trade ..	139
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
पाकिस्तानी पुलिस द्वारा सीमा-खम्भों का हटाया जाना	Reported removal of Boundary Pillars by Pakistani Police ..	139—141
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	141—142
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	142—143
व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Merchant Shipping (Amendment) Bill as Passed by Rajya Sabha ..	142—143
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Private Members Bills and Resolutions ..	143
56वां प्रतिवेदन	Fifty-sixth Report	143
एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक	Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill ..	143—161
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ..	144
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ..	144—146
श्री अशोक मेहता	Shri Ashoka Mehta ..	146—148
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	149—150
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani ..	150—153
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	153
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan ..	153—154
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ..	154—155
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedbrata Barua ..	155—156
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav ..	156

विषय	Subjects	पृष्ठ/Pages
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshi Das Jadhav	.. 156—157
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	.. 157—158
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	158
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	158—159
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	.. 159—160
श्री शिव पूजन शास्त्री	Shri Sheo Pujan Shastri	160
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee	.. 160—161
आयुध वस्त्र कारखाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement Re: Ordnance Clothing Factories	.. 161—162
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Misra	.. 161—162
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	162
42वां प्रतिवेदन	Forty-Second Report	162
मध्यावधि संसदीय निर्वाचनों के संबंध में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा	Discussion Re: Statement on Mid-Term Parliamentary Elections	.. 163—173
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	163
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	.. 163—164
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	.. 164—165
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	.. 165—166
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	166
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	.. 166—167
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 167—168
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	168
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	169
श्री एम० नारायण रेड्डी	Shrj M. N. Reddy	.. 169—170
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	170
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	.. 170—173
सभा की बैठकों के बारे में	Re: Sitting of the House	173

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 10 दिसम्बर, 1969/19 अग्रहायण, 1891 (शक)
Wednesday, December 10, 1969/Agrahayana 19, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

"पान इस्लामी" शिखर सम्मेलन

*511. **श्री दे० अमात :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री महेन्द्र माझी : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति श्री नासर के कहने पर पान-इस्लामी शिखर सम्मेलन होने वाला है ;

(ख) क्या शिखर सम्मेलन बुलाने का विशेष उद्देश्य इसराइल के विरुद्ध जनमत तैयार करना है ;

(ग) क्या भारत ने इन बैठकों में भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह उसकी गुट निरपेक्षता की नीति के अनुरूप होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

श्री दे० अमात : महोदय, अरब प्रतिरक्षा परिषद् ने राष्ट्रपति नासर की अध्यक्षता में काहिरा में हाल ही में 8 नवम्बर, 1969 को एक बैठक की है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य

यह था कि इसरायल के साथ अनिवार्य युद्ध को ध्यान में रखते हुए अरब देशों को एकत्रित करना ताकि अरब क्षेत्रों को मुक्त कराया जा सके और इसरायल के साथ जारी रखा जाये जिससे न केवल मध्य-पूर्वीय संकट समाप्त किया जा सके बल्कि यहूदी नस्ल को ही समाप्त किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी समाचार पत्र से उद्धरण दे रहे हैं ?

श्री दे० अमात : यह भी कहा गया है कि अरब के हितों के लिये उनको यूरोप के छः सामाजिक राज्यों का भी समर्थन मिला है और 20 दिसम्बर, 1969 को रबात में शिखर सम्मेलन होने से पहले ही एक मिस्री शिष्टमंडल परामर्श के लिए मास्को भी जायेगा। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि यदि पान-इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो इस गम्भीर स्थिति में सरकार ने क्या रवैया अपनाया है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने दो मामलों को मिला दिया है। यहां पर उन्होंने पान-इस्लामी शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। अब वह अरब सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं जोकि एक सर्वथा भिन्न सम्मेलन है। जहां तक अरब शिखर सम्मेलन का सम्बन्ध है, उसमें हमारा भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम अरब देश नहीं हैं।

श्री दे० अमात : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गवासी श्री जवाहरलाल नेहरू ने धार्मिक एवं राजनीतिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए कोई मार्ग-दर्शन सिद्धान्त निर्धारित किये थे और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : इस पर सभा में चर्चा हो चुकी है।

श्री महेन्द्र माझी : क्या माननीय मंत्री महोदय इस के महत्व को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार किया गया नोट सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : अरब सम्मेलन में भाग लेने के सम्बन्ध में स्वर्गवासी प्रधान मंत्री नेहरू द्वारा तैयार किये गये किसी नोट की मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि हम अरब देश नहीं हैं।

श्री रा० की० अमीन : यद्यपि हमें रबात सम्मेलन में भाग लेने नहीं दिया गया फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने रबात सम्मेलन में भाग लिया, जहां पर विभिन्न निर्णय लिये गये जिनके परिणामस्वरूप उनमें कुछ देशों के प्रतिनिधियों की फिर बैठकें हों तो क्या हम उन बैठकों में भाग लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में दी गई जानकारी के आधार पर अपना प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री रा० की० अमीन : हमने रबात सम्मेलन में भाग लिया, यद्यपि हमें उसमें शामिल नहीं होने दिया गया था। उस बैठक के परिणामस्वरूप कई अन्य बैठकें होने जा रही हैं। पान-इस्लामी सम्मेलन उनमें से एक है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु वह कहते हैं कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री रा० की० अमीन : क्या वह उस बैठक में भाग लेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : मैं एक कल्पित प्रश्न का किस प्रकार उत्तर दे सकता हूं। हमने रबात सम्मेलन पर बहुत लम्बी चर्चा की है और माननीय सदस्यों को ये सब प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर मिला था और मेरा विचार है कि मैंने सरकार का रवैया स्पष्टरूप से बता दिया था। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि पान-इस्लामी शिखर सम्मेलन कब होने जा रहा है। अत: मैं यह कैसे कह सकता हूं कि जब कोई सम्मेलन हो ही नहीं रहा है, उसमें हम भाग लेंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर प्रत्येक बात कल्पित है।

श्री क० लकप्पा : भारत एक बड़ा धर्म निरपेक्ष देश है। रबात की घटना के पश्चात् इस सम्बन्ध में यह निर्णय लेने के लिये कि ऐसे सम्मेलनों में भाग न लिया जाय, प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर एक तुरन्त बैठक बुलाई गई थी। प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर उस बैठक के बुलाने का क्या उद्देश्य था जिसमें यह निर्णय लिया गया और इसका क्या प्रभाव होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। मैं इसकी आज्ञा नहीं देता।

श्री क० लकप्पा : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। रबात की घटना के बाद यह निर्णय करने के लिये कि ऐसे सम्मेलनों में भाग न लिया जाये, एक तुरंत बैठक बुलाई गई थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पान-इस्लामी सम्मेलन के बारे में था। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आप रबात को किस प्रकार यहां ला रहे हैं ?

श्री क० लकप्पा : इसमें निहित नीति के कारण।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इसका प्रश्न से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है परन्तु चूंकि माननीय सदस्य ने बैठक के बारे में कहा है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे निवास स्थान पर न तो कोई तुरत बैठक और न ही कोई अन्य बैठक हुई है।

Mr. Speaker: Shri Tulsidas Jadhav.

Shri Tulsidas Jadhav: Mr. Speaker.....

Mr. Speaker: First of all, will you please tell me the point on which you are going to ask supplementaries? What is the point here on which supplementary questions are necessary? There is no scope for asking supplementary questions here.

मैं फिर कभी आपको बोलने का अवसर दूंगा।

महानगरों में द्रुत परिवहन प्रणाली

*512. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगरों में द्रुत परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने के लिये पृथक प्राधिकार बनाने के प्रस्ताव की योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां, विषय योजना आयोग के महानगरीय परिवहन दल के विचाराधीन हैं ।

(ग) अध्यक्ष दल की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी योजना में इन महानगरों के विकास के लिये 40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है और यदि हां, तो उन्होंने देश में परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिये कौन-कौन से नगर चुने हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : यह सच है कि रेलवे परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिये और चार महानगरों, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली में द्रुत परिवहन प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । ये आंकड़े 50 करोड़ रुपये हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : हैदराबाद को इन महानगरों में क्यों नहीं शामिल किया गया है ? हैदराबाद में काफी अधिक जनसंख्या है और वहां पर सबसे अधिक साइकिल-रिक्शा हैं । कम से कम इन मानव-श्रम को समाप्त करने के लिये क्या सरकार इस सम्बन्ध में हैदराबाद शहर को भी सुधारने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री सोनावने : इससे बेरोजगारी बढ़ जायेगी ।

श्री चेंगलराया नायडू : मुझे यह बताया गया था कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति कई देशों का दौरा कर चुकी है और उसने कुछ प्रस्ताव दिये हैं । अब मंत्री महोदय कहते है कि प्रस्ताव अभी दिये जाने हैं । यदि प्रस्ताव अभी तक नहीं दिये गये हैं तो उनमें और कितना समय लगेगा ?

श्री रघुरामैया : मुझे खेद है कि सदस्यों में कुछ गलतफहमी है । यह प्रश्न विभिन्न प्रकार की यातायात का नियमित ढंग से विकास करने के लिये प्रत्येक महानगर में एक नियमित प्राधिकार गठित करने सम्बन्धी सिफारिशों से सम्बन्धित है । समिति ने इस प्रकार का प्राधिकार नियुक्त करने की वांछनीयता के बारे में सामान्यरूप से सिफारिश की थी परन्तु उसने प्रत्येक महानगर में इस प्रकार का प्राधिकार गठित करने के लिये विस्तृत अध्ययन करने का भी सुझाव दिया था ।

माननीय सदस्य द्वारा हैदराबाद के सम्बन्ध में उठाए गये प्रश्न के सम्बन्ध में मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि यथासमय हैदराबाद के बारे में विचार किया जायेगा । हमारे सभी नगरों का विकास हो रहा है और यातायात सम्बन्धी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं । योजना आयोग ने जनसंख्या में वृद्धि और यातायात-पद्धति के कारण उत्पन्न जटिल समस्याओं के कारण इन चार नगरों को प्राथमिकता दी है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा हो जाने के बाद यथासमय अन्य विभिन्न नगरों, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है, की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री नि० रं० लास्कर : कुछ महानगरों में परिवहन प्रणाली का विकास बिल्कुल रुक गया है। कलकत्ता में सबसे अधिक रुक गया है। इस पर भी आप केवल समस्या का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन पूरा करने के लिये आपको कितना समय लगेगा ?

श्री रघुरामैया : जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है माननीय सदस्य जानते हैं कि अध्ययन करने के लिए वहां पर एक कार्यालय स्थापित किया गया है। जहां तक कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे बनाने का सम्बन्ध है, इसका अध्ययन मार्च, 1971 तक पूरा होने की सम्भावना है।

श्री म० ला० सोंधी : प्रधान मंत्री जितना दिल्ली के निकट हैं उतना ही वह दिल्ली की समस्याओं से अनभिज्ञ हैं। प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में अब प्रधान मंत्री को सम्बोधित करता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन दो मामलों के सम्बन्ध में निर्णय लेने का क्या ढंग अपनाया जाता है ? इनमें से एक टेक्नोलोजी का स्तर है। क्या वह यह निर्णय करेंगी कि दिल्ली में जमींदारी पद्धति होनी चाहिए ? क्या वह यह चाहेंगी कि दिल्ली में भूमिगत प्रणाली हो अथवा अन्य कोई ? क्या वह चाहेंगी कि दिल्ली परिवहन से परिवहन देय का मामला ठप रखा जाये, जो कि स्वयं दिल्ली परिवहन पर और कई अन्य परिवहन प्रणालियों पर एक बोझ है। क्या प्रधान मंत्री इस समय ये दो आश्वासन देने को तैयार हैं ?

श्री रघुरामैया : पीठाध्यक्ष की अनुमति से प्रधान मंत्री की ओर से मैं उत्तर दूंगा।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध हैं, माननीय सदस्य जानते हैं कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान अध्ययन कर रहा है और जब यातायात सम्बन्धी समस्यायों का मूल अध्ययन पूरा हो जायेगा तब रेलवे द्रुत परिवहन प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करेगी। 50 करोड़ रुपये में से दिल्ली के अध्ययन के लिये योजना में पहले से व्यवस्था की गई है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या ये निर्दिष्ट अनुमान सरकार के ध्यान में लाए गए हैं कि यदि 4000 अतिरिक्त बसें कलकत्ता महानगर को और 1800 नई बसें दिल्ली को और 2000 अन्य बसें बम्बई और मद्रास को दी जायें तो इन महानगरों की यातायात सम्बन्धी समस्यायें 1 वर्ष में 95% तक हल हो जायेंगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री रघुरामैया : जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, हम अनेकों कर्जे दे रहे हैं और काफी रकम लेना बाकी है और दिल्ली परिवहन बसों की संख्या बढ़ा नहीं पा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री रघुरामैया : बसों की संख्या बढ़ाने के बारे में माननीय सदस्य इतने इच्छुक क्यों हैं ? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इन चारों शहरों में इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि बढ़ते हुए यातायात तथा यातायात सम्बन्धी अन्य समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या सड़क परिवहन या रेल परिवहन में सुधार करने की आवश्यकता है। यह अध्ययन पूरा हो जाने पर भी पता चलेगा कि किस शहर में भूगर्भीय रेल या जमीन के ऊपर रेल अथवा अधिक सड़क परिवहन सुविधाएं देनी चाहिए।

श्री मयावन: क्या योजना आयोग ने इस पर विचार किया कि क्या इन शहरों में नदी परिवहन सुविधाएं देना सम्भव है ? मद्रास में कूम नदी में इस प्रकार की परिवहन सुविधा है। नदी परिवहन के संधारण पर भी कम खर्चा आता है। क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने कूम नदी में परिवहन सुविधाएं देने पर विचार किया है ?

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य को मालूम है कि मद्रास सरकार कूम नदी की सफाई के लिए कोई कार्यवाही कर रही है।

श्री कण्डप्पन : मद्रास में कूम परियोजना एकीकृत योजना है और जब तक आंध्र का भाग नहीं लिया जाता तब तक यह परियोजना पूर्ण परियोजना नहीं हो सकती।

श्री रघुरामैया : मद्रास सरकार ने इस नदी के समुद्र संगम के स्थान पर कार्य आरम्भ किया है। अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या इस योजना में आगे तालमेल और सुधार की जरूरत है या नहीं। यह समिति इस पहलू पर विचार कर रही है कि आन्ध्र तथा मद्रास को मिलाने वाले इस परिवहन साधन में कैसे सुधार किया जाये।

श्री रंगा : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इस मंत्रालय का प्रभार जब स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के पास था तो उन्होंने वचन दिया था और लगभग 118 लाख रुपये की व्यवस्था बजट अनुमानों में रखी थीं। बकिंगगम नहर और इस कूम परिवहन साधन के सुधार के लिये रखी गई 118 लाख रुपये की निधि उस समय बेकार चली गई क्योंकि मद्रास सरकार आवश्यक पूरक धन व्यवस्था करने के लिये तैयार नहीं थी। क्या मंत्री महोदय इस प्रस्ताव पर फिर से विचार कर आन्ध्र तथा मद्रास सरकार से लिखापढ़ी करेंगे ताकि यह नहर अन्तर्देशीय नदी परिवहन साधन के रूप में बहु प्रयोजनी नहर में बदली जा सके ?

श्री रघुरामैया : आचार्य रंगाजी जैसे नेता द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर अवश्य ही विचार किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : जहां तक मुझे मंत्री महोदय द्वारा दिया गया मूल उत्तर याद है, मंत्री महोदय ने उसमें सिद्धान्त रूप से यह सहमति व्यक्त की थी कि इस प्रयोजन के लिये इन चार महानगरों में स्वतंत्र समन्वय प्राधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिये परन्तु इसका ब्योरा तैयार करने में कुछ समय लगेगा। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है तो जब तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक क्या कलकत्ता में जहां कि परिवहन का महत्वपूर्ण अंग एक नया पुल बनाने का काम पत्तन आयुक्तों को सौंप दिया गया है वृत्ताकार रेल का पहला भाग निर्माण करने का काम रेलवे विभाग को सौंप दिया गया है, इस तरह का स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार किया जायेगा। राज्य सरकार तथा निगम जैसी स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को इस काम में बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन सभी परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये कोई समन्वय प्राधिकरण नियुक्त किया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य को यह सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता महानगर के लिये एक यातायात तथा परिवहन प्राधिकरण स्थापित करने पर पहले ही विचार कर रही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं आप की योजना के बारे में कह रहा हूं ।

श्री रघुरामैया : प्रश्न यह नहीं है कि यह प्राधिकरण कौन स्थापित करेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : पत्तन आयुक्तों तथा रेलवे विभाग को अलग-अलग काम दिया गया है । उनमें कैसे समन्वय स्थापित किया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी यह है कि एक ओर तो पत्तन आयुक्त और दूसरी ओर रेलवे विभाग सम न्वय स्थापित करेंगे । मैं स्वयं उन बैठकों में गया हूं जिनमें समन्वय के प्रश्न पर विचार किया गया था । जैसा कि मैं बता चुका हूं हर महानगर में एक-एक प्राधिकरण नियुक्त करने का ब्योरा योजना आयोग तथा उसकी समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है; लेकिन पश्चिम बंगाल की अपनी अलग योजना है । वह एक प्राधिकरण के बारे में सोच रहे हैं ।

श्री के० रमानी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में वर्तमान परिवहन तरीकों में समन्वय के बारे में ही बताया है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे वर्तमान परिवहन के समन्वय पर ही विचार कर रहे हैं या नये परिवहन साधन विशेष रूप से भूगर्भीय रेल बिजलीचालित ट्राली बस आदि चलाने की बात सोच रहे हैं ? अन्यथा आज के बड़े महानगरों में भीड़-भाड़ वाले यातायात को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है ।

श्री रघुरामैया : इस अध्ययन में सभी परिवहन साधन शामिल हैं, जैसे कि भूगर्भीय रेल, जमीन के ऊपर रेल, सड़क परिवहन ।

Shri Beni Shankar Sharma: Among the four cities as mentioned by the Hon. Minister, Calcutta has terrible traffic. The Hon. Minister has stated that the study about circular railway is going on, but I think that the traffic problem of the city will be more acute by the time circular railway is constructed there. This problem may not be solved until underground or mono railway systems are constructed. I want to know whether this study includes the question of constructing underground or mono railway in Calcutta.

श्री रघुरामैया : जैसा कि मैं कह चुका हूं, स्थान, व्यवहार्यता तथा परिवहन तरीके का अध्ययन किया जा रहा है । माननीय सदस्य को यह जानकर हर्ष होगा कि इस प्रयोजन के लिये रखी गई 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था में अकेले कलकत्ता के लिये 34.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । इस बात से स्पष्ट हो जायेगा कि केन्द्रीय सरकार कलकत्ता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग है ।

श्री म० ला० सोंधी : दिल्ली की क्यों उपेक्षा की जा रही है ? दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मंत्री महोदय ने हमें उन चार शहरों के बारे में बताया है, जहां यातायात की समस्या बड़ी जटिल है । किन्तु क्यों वे किसी निरोधात्मक कार्यवाही के बारे

में विचार कर रहे हैं जिससे यह समस्या दूसरे विकासशील शहरों में गम्भीररूप धारण न कर सके । उदाहरण के लिये, विशाखापत्तनम् जैसे स्थान में औद्योगिक क्षेत्र, शहर के क्षेत्र से बन्दरगाह को जाने वाले मार्ग द्वारा बिल्कुल विभाजित किया गया है और वहां एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है । क्या मंत्री महोदय विशाखापत्तनम् जैसे शहरों की भावी आवश्यकताओं के बारे में कुछ निरोधात्मक कार्यवाही अथवा कुछ कार्यवाही किये जाने के विषय को भी सम्बद्ध अध्ययन में शामिल करेंगे ?

श्री रघुरामैया : यातायात सम्बन्धी अध्ययन में हमेशा भावी यातायात का प्रश्न निहित होता है अतः किसी भी अध्ययन में भावी यातायात के प्रश्न पर स्वभावतः विचार किया जायगा ।

जहां तक विशाखापत्तनम् का सम्बन्ध है, मैंने पहले जो दूसरे माननीय सदस्य को कहा है, वही इसमें भी लागू होगा । यह कहानी का अन्त नहीं है । यह केवल प्रारम्भ है । एक बार इन चार बड़े शहरों में नमूनों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो दूसरे शहरों को भी प्राथमिकता के अनुसार लिया जायगा ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : विशाखापत्तनम् को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

Abrogation of Tashkent Declaration

*513. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1474 on the 30th July, 1969 and state :

(a) whether Government would abrogate the Tashkent Declaration with Pakistan as she is not carrying out its provisions ;

(b) whether Government would withdraw its offer of 'No War Pact' from Pakistan as she has not shown any interest in it ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार का अभी भी विश्वास है कि ताशकंद घोषणा, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्शों द्वारा मतभेदों को दूर करने की एक समुचित रूपरेखा प्रस्तुत करती है ।

सरकार का यह भी विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान के बीच "युद्ध नहीं संधि" से उप-महाद्वीप में तनाव में काफी कमी होगी और इससे हमारे दोनों देशों के पारस्परिक हित के आधार पर संबंधों का सुधार होगा । यह हमारी आशा है कि पाकिस्तान इस विचार को स्वीकार करेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : So far as the hopes of the Government of India are concerned and the views they told, they are good, but as the Hon'ble Minister has himself said in his statement on 26th November on the attitude of Pakistan that there are 9 clauses in Tashkent Agreement. Out of 9 clauses Pakistan has not implemented any of the clauses except one clause regarding withdrawal of forces. The tension is the same and same propaganda is being made against India. When this is the position it is being taken as a sign of

our weakness and it is being understood that we are appeasing Pakistan because this is going on for four five years and one-sided action is being taken. Then will the Government tell Russia as this Tashkent Agreement was made through Russia, because it is a package deal. This cannot happen that one thing is implemented and others are left. Then will the Government tell Russia that since Pakistan is not implementing Tashkent Declaration we will not be bound to implement it? If not, what are the reasons therefor?

Shri Dinesh Singh: So far the question of Tashkent Declaration is concerned it was based on the understanding that the matters between Pakistan and India would be settled peacefully by the two countries among themselves. This is in the beginning of it and I feel that whether Pakistan agrees to it or not, there is no question of withdrawing it. So far the issues thereunder were concerned we and Pakistan would together settle them and we are trying for it. Pakistan is not agreeing to it. Tashkent Declaration is not such a declaration in which there is any such thing that we would give something to Pakistan and take back something from them. In the agreement it was written that how we can settle our matters. I do not think that there is any necessity of our saying somthing that we withdraw the declaration. So far Russia is concerned we have many times brought to the notice of Russia that how we have made efforts for the implementation of Tashkent Declaration but Pakistan is not agreeable to that.

Shri Hukam Chand Kachwai: We will also not agree to that.

Shri Dinesh Singh: You may not agree. Who say that you may agree.

Shri Kanwar Lal Gupta: The Hon'ble Minister that day has himself said in his reply:

"ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत आपसी सम्बन्धों को सामान्य बनाने तथा उनके सुधार के लिए उठायी गई बातों में से किसी भी बात पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान सहमत नहीं हुआ है।"

It means Pakistan does not want to normalise relation with us and only agrees to those points which are in his favour.

अध्यक्ष महोदय: भाषण न दिये जायं। माननीय सदस्य सीधे प्रश्न पूछें।

Shri Kanwar Lal Gupta: Inspite of this the Government is going on having talks with Pakistan. This is correct that we do not want conflict with any country. The 'No War Pact' offered by this Government is also correct. But when Pakistan does not agree inspite of several efforts made by India, why does the Government humiliate the country? Whether the Hon'ble Minister assure the House the Government would not again offer 'No War Pact' to Pakistan?

Shri Dinesh Singh: I do not understand that there is any humiliation in this. The Hon'ble Member does not talk of the humiliation done himself to the country and want to create an atmosphere of humiliation in the country on other things. I want to say it clearly that if we tell to a country that let us settle matters among ourselves and do not make conflicts then what is the humiliation in this?

Shri Kanwar Lal Gupta: If Pakistan does not agree with this Government, will the Government go on doing like this? **(interruption)**

Shri Dinesh Singh: What has happened if she does not agree? **(interruption)**

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, Sir, my question should be replied.

Shri Hukam Chand Kachwai : If Pakistan does not agree to the Tashkent Agreement then we would go on appeasing her? **(interruption)**

Mr. Speaker : Will She agree by shouting like this?

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ,

Shri Kanwar Lal Gupta : My question may please be answered.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं और आगे प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूं किन्तु मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया गया है यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो वह दूसरी बात है।

श्री कंवर लाल गप्त : यह किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट नहीं है। यह केवल आपको स्पष्ट हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर होने के बाद रूस के प्रधान मंत्री ने कितनी बार यह पहल की है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मूल आवश्यकताओं के बारे में सहमत हों तथा घोषणा को पूरी तरह से क्रियान्वित करें ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : रूस के प्रधान मंत्री की ओर से मेरे लिए यह जवाब देना कठिन होगा कि उन्होंने क्या पहल की है तथा कितनी बार की है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मेरा प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद रूस के प्रधान मंत्री ने कितनी बार इस बात की पहल की है कि भारत और पाकिस्तान दोनों घोषणा को इसकी वास्तविक भावना में क्रियान्वित करें ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है और कहा है कि मैं रूस के प्रधान मंत्री की ओर से उत्तर नहीं दे सकता हूं और यह नहीं कह सकता हूं कि कितनी बार उन्होंने पहल की है और क्या किया है। जहां तक हमारे साथ हुई चर्चा का सम्बन्ध है, मैं सभा को कुछ सूचना दे सकता हूं। जब रूस के प्रधान मंत्री यहां आये तो उन्होंने हमारे साथ बातचीत की थी और जब मैं रूस गया तो हमने यह प्रश्न उठाया कि हमने पाकिस्तान के साथ अपने सभी मतभेदों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया है किन्तु पाकिस्तान ने सहयोग नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि हमने जो कदम उठाये तथा जो प्रयत्न कर रहे हैं उनकी वे सराहना करते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : The circumstances under which the Tashkent Agreement was made were ominous to India. Those were much ominous because India had lost her Prime Minister at the time of Tashkent Agreement. When any Third Party gets done such an agreement then it becomes its moral responsibility that if any of the parties does not implement that agreement it should use its infleunce for implementation of that agreement by that

party. As the Hon'ble Foreign Minister has said that Indian Government have time and again informed Russian Government that Pakistan was not implementing that agreement. Whether the Hon'ble Minister is aware of any pacts that Russia has pressed Pakistan that She should implement the agreement and if inspite of the pressure from Russia Pakistan has not implemented the agreement then what has been the reaction of Russia ?

Shri Dinesh Singh: I understand that Russian Government have had a talk with Pakistan in this matter and they have also told us that they have had talks with Piskistan. According to the Tashkent Declaration both the countries should come forward for settling their matters. The full details of the talks between Russia and Pakistan are not known to me. But its results is before us that Pakistan has not taken any step forward in this direction.

Shri Prakash Vir Shastri: My question is this that if Pakistan has not taken any step forward in this direction then what is the reaction of Russia ?

Mr. Speaker: Shri S. Khandappan.

श्री कण्डप्पन : यह दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान ताशकंद समझौते को मानने से होने वाले लाभ की अच्छाइयों को नहीं समझ सका है। किन्तु मुझे यह प्रतीत होता है कि हमारी सरकार यह आशा लगाये बैठी है कि कब पाकिस्तान का रुख बदले। क्या सरकार इन वर्षों तक सक्रियरूप से तथा निश्चितरूप से यह कुशल प्रयत्न करती रही है कि पाकिस्तान इसे मान लें।

श्री दिनेश सिंह : मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि आपके दिमाग में किस कुशल प्रयत्न की बात है।

श्री एस० कन्डप्पन : राजनीतिक, राजनयिक तथा अन्यथा।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक चर्चा सम्बन्धी प्रश्न का सम्बन्ध है जहां कहीं भी सम्भव हुआ है हमने हर एक अवसर पर पाकिस्तान के साथ यह जिक्र किया है कि हम ताशकन्द घोषणा के अनुसार हम मतभेदों को शांति पूर्वक सुलझाना चाहते हैं। इसी भावना से प्रधान मंत्री ने युद्ध न करने का वचन दिया है।

Shri D. N. Tiwary: We know that Russia is supplying arms to Pakistan and those arms will be used against us. Whether the Hon. Minister has ever had a talk with Russia that she should stop the supply of arms to Pakistan till she does not have talks with India according to the Tashkent Agreement and all the matters are thus settled ?

Shri Dinesh Singh: Yes, Sir. Many times we have had talks with Government of Soviet Union and those have also been mentioned here. We have told the Government of Soviet Union that the arms supply to Pakistan increased danger for us. So far there are such matters between us and Pakistan the supply of arms to Pakistan create danger for us. In this regard we have had talks with the Government of Soviet Union several times.

Shri D. N. Tiwary: What was the reaction of Russia to this ?

Mr. Speaker: Shri Hem Barua.

श्री हम बरुआ : चूंकि युद्ध न करने का वचन पाकिस्तान को ताशकंद घोषणा के आधार पर दिया गया था, चूंकि पाकिस्तान ने दण्डाभाव के कारण घोषणा के उपबन्धों का उल्लंघन

किया है और चूंकि कोसीगिन, जो ताशकंद घोषणा के निर्माता माने जाते हैं, इस घोषणा के उल्लंघन के मामले में भारत को पाकिस्तान के बराबर मानते हैं, तो क्या सरकार विश्व में यह घोषणा करेगी कि ताशकंद घोषणा समाप्त हो चुकी है क्योंकि किसी द्विपक्षीय समझौते की इकतरफा कार्यान्विति नहीं हो सकती है और ताशकंद घोषणा एक द्विपक्षीय घोषणा है।

श्री दिनेश सिंह : मुझे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि माननीय सदस्य का इस सुझाव को देने का क्या विचार है क्योंकि यह मामलों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करने के सम्बन्ध में भावना की घोषणा है। हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह समाप्त हो गई है ? यह ऐसा मामला है जिसमें हम यह सोचते हैं कि पाकिस्तान सहमत हो जायेगा।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह है कि ताशकंद घोषणा जैसी द्विपक्षीय-घोषणा का इकतरफा क्रियान्वयन कैसे हो सकता है।

श्री दिनेश सिंह : सारी बात यही है कि यह एक घोषणा है न कि एक समझौता है। माननीय सदस्य ने यह पढ़ा है और यह महसूस करेंगे कि इस विचार से इसे समाप्त करने की कोई बात नहीं है। यह मूलतः युद्ध किये बिना झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करने के सम्बन्ध में एक घोषणा है।

श्री हेम बरुआ : यह भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच एक घोषणा है। भारत इसे क्रियान्वित करता है और पाकिस्तान नहीं करता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई तर्क न करें।

श्री हेम बरुआ : ताशकंद घोषणा में घोषणा करने वाले दोनों देशों के ऊपर इसे क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कोई दायित्व है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं निवेदन करता हूं कि जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों, तक न करें।

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Minister has said many times that the Soviet Government have insisted and pressed Pakistan for the implementation of Tashkent Pact. I want to know whether apart from the pressure from Soviet Union have ever been made any such efforts that leaders of both the countries are made to get together to that all the points are brought before each other and it may be known that in fact what is going on ? Secondly, when Pakistan did not show any initiative, whether Russia showed her displeasure or disregard for Pakistan ?

Mr. Speaker : This has been replied to.

इतने प्रश्न पूछे गये हैं और इतना समय लगा है।

श्री चेंगलराया नायडू : आप एक सदस्य को उस ओर से, एक सदस्य को इस ओर से तथा एक सदस्य को केन्द्र से बुलाया करते थे। अब आप केवल केन्द्र से ही बुला रहे हैं। हमारे बारे में क्या बात है ? (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्नों तथा चर्चा के मामलों में, चूंकि अब कांग्रेस दल विभाजित हो गया है, कांग्रेस दल को जो समय दिया जाता था अब वह समय दोनों दलों में बांटा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल ऐसा ही करने के लिये तैयार हूं । **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachwai: Mr. Speaker, I am standing again and again.

Mr. Speaker: You will not get time in this way. Your party asked the question. They were given a chance and they put supplementaries. There are even now so many Members to put the questions. On your side three Members have asked the supplementaries, even then you are insisting to put the questions. Thus we shall not be able to take up more than three questions.

श्री गोपालन : ताशकंद घोषणा में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि भारत पाकिस्तान के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये आगे जो कदम उठाये जायं, उस पर विचार करने के लिये भारत-पाकिस्तान का एक संयुक्त तंत्र कायम किया जाय । मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं और इसमें कहां तक सफलता मिली है और क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है कि आगे कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा करने और शेष विवादों को तय करने के लिये एक संयुक्त तंत्र कायम करने के साथ-साथ सरकार युद्ध न करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की पहल करेगा ।

श्री दिनेश सिंह : ताशकंद घोषणा के बाद शीघ्र दोनों देशों के मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई थी । तब से कोई अन्य बैठक बुलाना सम्भव नहीं हुआ है । हम बैठक में जाने और पाकिस्तानी मंत्रियों को यहां आने के लिये आमंत्रित करने को सर्वथा तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में बातचीत जारी रखने के लिये रुचि नहीं दिखाई है ।

युद्ध न करने के समझौते के सम्बन्ध में इस सभा में पहले यह कई बार बताया गया है कि पाकिस्तान चाहता था कि कोई तंत्र कायम किया जाये और हमने कहा था कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच शेष सभी मतभेदों पर विचार करने के लिये एक तंत्र कायम के लिये राजी होंगे ।

ब्रिटेन को चाय का निर्यात

514. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री गणेश घोष :**
श्री भगवान दास :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के पहले आठ महीनों में तथा वर्ष 1969 के पहले 8 महीनों में उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के पृथक-पृथक कितनी मात्रा में चाय ब्रिटेन भेजी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में चाय के मूल्यों में इतनी तेजी से गिरावट आई है कि उत्तर तथा दक्षिण भारत के चाय उत्पादों ने लन्दन की नीलामी में बिक्री के लिये अपनी चाय भेजनी कम कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में भेजी गई चाय का यूनिट मूल्य कितना था तथा यदि स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही हैं, तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) उत्तर और दक्षिणी भारत से 1968 तथा 1969 से पहले 8 महीनों में ब्रिटेन को भेजा गया चाय का परिणाम निम्नलिखित था ।

	1968	1969
उत्तर भारत	410.6 लाख कि० ग्रा०	269.4 लाख कि० ग्रा०
दक्षिण भारत	84.6 ,, ,,	43.2 ,, ,,

(ख) जी हां । लन्दन की नीलामियों में प्राप्त चाय के मूल्यों में निरन्तर गिरावट के बाद भारत में नीलामियों की ओर चाय का परावर्तन हुआ है ।

(ग) 1968-69 के पहले आठ महीनों में ब्रिटेन में प्राप्त हुये चाय के इकाई मूल्य क्रमशः 8.40 रु० प्रति कि० ग्रा० तथा 7.38 रु० प्रति कि० ग्रा० थे ।

निर्यात बाजार में सम्भरण मांग से अधिक होने से और उत्पादन में वृद्धि होने से, विशेषतः पूर्व अफ्रीकी देशों में, चाय के मूल्य को स्थिर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही पर मुख्य रूप से निर्भर रहना पड़ता है । तत्काल उपाय के रूप में, उत्पादन करने वाले देश 1970 में अपने अनुमानित निर्यातों से 9 करोड़ पौंड चाय रोकने के लिये सहमत हो गये हैं । खाद्य तथा कृषि संगठन के अधीन चाय सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की गई है जो बाजार स्थिति की निरंतर समीक्षा करेगी और अल्पावधि और मध्यावधि उपायों पर सिफारिशें करेगी तथा बाद में साम्यिक तथा लाभप्रद स्तर पर चाय के मूल्यों को स्थिर करने के लिये दीर्घावधि योजनाएं विकसित करेगी ।

उत्पादक देश, ब्रिटेन में चाय के संवर्धन के अभियान को जारी रखने तथा तेज करने के उपायों पर भी विचार कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम वास्तविक संकट का सामना कर रहे हैं । हम अपने कुल निर्यात होने वाली आय का 42% ऋणों की किस्त देने तथा उन पर ब्याज की अदायगी करने पर खर्च करते हैं और जब तक विदेशों को होने वाले निर्यात का हमें पूरा मूल्य नहीं प्राप्त होता है तब तक हमारी बरबादी हो जायेगी । हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने विश्व के बाजार में भारतीय चाय की विशिष्टता बनाए रखने के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठाए हैं क्यों कि मैं बताना चाहता हूं कि जब अलजीरिया के शराब उत्पादक फ्रांस के शराब उत्पादकों के पास गये और उनसे दोनों शराबों को मिश्रित कर एक ही बोतल में बेचने के लिये कहा तो फ्रांस के उत्पादकों ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे ग्राहक के लिये फ्रांस की शराब का स्वरूप समाप्त हो जायगा ।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ऐसे बाहरी देशों के साथ आयात शुल्क कम करने के बारे में बातचीत के लिये क्या कदम उठाये गये हैं जहां चाय पर भारी आयात शुल्क है ।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : शुल्क का प्रश्न एक आंतरिक मामला है और शुल्क लगाने का हर एक देश का अधिकार है। हम उसके साथ चर्चा करते हैं।

श्री रंगा : कनेडी राउन्ड है।

श्री ब० रा० भगत : यह सचमुच कनेडी राउन्ड में है। शुल्क समाप्त किया गया है। जहां तक यूरोपीय साझा बाजार को सम्बन्ध है हमने चाय पर से मात्रा सम्बन्धी तथा दोनों प्रकार के प्रतिबन्धों को कम किये जाने के लिये कदम उठाये हैं अतः हम हर समय इस बारे में प्रयत्नशील हैं। जहां कहीं भी ऐसी कठिनाई सामने आती हैं हम सम्बद्ध देश से बातचीत करते हैं। अतः इस समय आयात शुल्क का प्रश्न नहीं है किन्तु प्रश्न यह है कि विश्व के बाजार में चाय की सप्लाई मांग से अधिक है। चाय की मांग प्रति वर्ष एक प्रतिशत बढ़ रही है अतः मुख्य बात चाय की मांग को बढ़ाना है। सर्वत्र इसकी खपत में वृद्धि होनी चाहिये। उदाहरणार्थ, हर एक वर्ष काफी की खपत चाय की खपत की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्योंकि आप 20 वर्षों से सोते रहे हैं। मंत्री महोदय ने गलत सूत्र पकड़ा है। जैसा कि सभा में अनेक बार सुझाव दिया गया है पैकेट चाय ही एकमात्र समाधान है इसमें कुछ ऐसे देशों में अधिक आयात शुल्क एक बाधा है जहां से हम बहुत सी वस्तुएं आयात करते हैं। मैं केवल श्री हेम बरुआ.....को उद्धत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पर आना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश की उद्योगति होने जा रही है। हम आयात से होने वाली आय का 42 प्रतिशत विदेशी ऋणों की किस्त अदा करने में व्यय कर रहे हैं और आप इस पर चर्चा के लिये प्रोत्साहित करना नहीं चाहते हैं।

इसका समाधान यही है कि पैकेट चाय का निर्यात किया जाय जिसकी पंसारियों के जरिये बिक्री की जाय। सरकार के पीछे दो साल तक पड़ने के बाद उन्होंने सिद्धांत रूप में माना है कि यह किया जाना चाहिये। मैं नहीं जानता कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं किन्तु मैं सरकार का ध्यान दूसरी बात की ओर ले जाना चाहता हूं। ब्रिटेन का थोक पंसारी बुलेटिन (ब्रिटिश होलसेल ग्रासर बुलेटिन) जिसमें घरों में इस्तेमाल की जाने वाली, रोजाना की जरूरत की तथा अति आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का घट-बढ़ सम्बन्धी ब्योरा दिया रहता है। इसमें मैं चाय और चीनी भी दिखाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से सीधे प्रश्न पर आने को कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सोचता था कि आप इस सभा में अर्थशास्त्र पर चर्चा करना पसंद करेंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं करूंगा। मैं सरकार का ध्यान इस फेडरेशन के पंसारी तथा खाने पीने की वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचकांक की ओर ले जाना चाहूंगा। चाय और चीनी जैसी वस्तुओं का सूचकांक यद्यपि जनवरी, 1963 में 99.7 था और फिर जून, 1967 में यह 99.7 था। अन्य वस्तुओं का, उदाहरणार्थ बिस्कुट का 101.7 से बढ़कर 115.5 हो गया। यद्यपि ब्रिटेन का मजदूर दूसरों से तीन गुना अधिक कमाता है वह चाय और चीनी को छोड़ कर

रोजाना की सभी जरूरी वस्तुओं की अधिक कीमत देता। सरकार ने, जब कि दूसरे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं, ब्रिटेन की सरकार से उपभोक्ता से उचित मूल्य लिये जाने के बारे में क्या कदम उठाने के लिये कहा है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने जान-बूझकर पैकेज चाय के बारे में जिक्र नहीं किया है क्योंकि इस समय एक संसदीय समिति अर्थात् सलाहकार समिति, इस पर विचार कर रही है। माननीय सदस्य इस समिति के सदस्य हैं और मुझे पैकेज चाय के बारे में रिपोर्ट मिलने वाली है। किन्तु सामान्यतया यह सत्य है कि यदि खुली चाय के बजाये हम पैकेज के रूप में चाय का निर्यात करते हैं तो हमें हर एक एकक की काफी अधिक कीमत मिलेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष।

श्री ब० रा० भगत : इस मामले में माननीय सदस्य जानते हैं हमारी पहली कठिनाई यह है कि हम अभी अपने राष्ट्रीय पैकेज चाय उद्योग को सुव्यवस्थित नहीं बना पाये हैं और मेरा विचार है कि यह समिति इस बारे में एक व्यवहार्य प्रतिवेदन देगी और मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हम उसे क्रियान्वित करेंगे और हम पैकेज चाय उद्योग को एक राष्ट्रीय उद्योग के रूप में, अपने ही देश में, सरकारी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र में, जिस भी रूप में व्यावहारिक होगा, स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्य तथा अन्य अनेक सदस्य भी जानते हैं कि बन्द चाय के निर्यात में मुख्य कठिनाई यह है कि अनेक देशों में बन्द चाय पर जबरदस्त राष्ट्रीय एकाधिकार है, और इसलिये किसी भी सरकार को, उस देश में चाय के आयात के लिये राजी करना अत्यन्त कठिन है।

श्री हाल्दर : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशों में कितने प्रदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं और वहां पर किस तरह के चाय परिष्करण केन्द्र हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न का सम्बन्ध इंग्लैण्ड से है। अभी इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल इंग्लैण्ड से ही है। इंग्लैण्ड में दो चाय केन्द्र हैं, एक लन्दन में और दूसरा शायद बिरमिन्घम में है। दो केन्द्र कार्य कर रहे हैं और उनका बजट है, वे चाय के प्रदर्शन सहित चाय का प्रचार और बेचने का काम करते हैं।

Shri Bhagwan Das : I would like to know the quantum of production of tea during the last three years and also the quantum of tea exported. I would also like to know what steps Government propose to take to increase the sale of tea in the countries where it is less at present.

Shri B. R. Bhagat : Figures of total production and export are published every year. I do not have all those figures at present. But I can tell you about United Kingdom that in the year 1967 the tea worth of Rs. 107 crores was exported to that country which had come down to Rs. 86 crores in 1968. Tea worth Rs. 91 crores was exported to all the countries in 1968 and tea worth Rs. 70 crores has been exported during these 8 months.

श्री गणेश घोष : क्या मैं जान सकता हूं कि 1967 के बाद से विदेशों में चाय पीने को बढ़ावा देने के लिये क्या विशेष विकास कार्यक्रम अपनाये गये हैं और विशेषकर ब्राजील की काफी

और अमेरिका के फलों के रस की प्रतियोगिता का सामना करने के लिये क्या कार्यक्रम अपनाये गये हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह सत्य है कि चाय बोर्ड की अपेक्षा कॉफी बोर्ड अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी को बढ़ावा देने के लिये अधिक धन व्यय कर रहा है। और इसीलिये कॉफी का प्रति व्यक्ति उपभोग चाय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रहा है। चाय के सम्बन्ध में हम अन्य देशों के सहयोग से चाय पीने को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। युनाइटेड किंगडम में हम काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे बजट में 1969-70 वर्ष में इंग्लैण्ड में 14,39,000 रुपया खर्च करने की व्यवस्था है। अमरीका, जर्मनी और यूरोप के बाजार में भी हम चाय पीने को बढ़ावा दे रहे हैं। जापान जैसे देशों में इसकी अच्छी खपत है और हम इसे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि जापान ने 10,000 किलोग्राम हरी चाय खरीदने का प्रस्ताव रखा था ? सरकार भारत में हरी चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिससे यहां के उत्पादक इसका उत्पादन करें ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है।

श्री लोबो प्रभु : दक्षिण भारत से चाय के निर्यात में 50 प्रतिशत कमी हुई है जो कि उत्तरी भारत में हुई कमी से बहुत अधिक है। क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि यह कमी दक्षिण भारत में उत्पादित चाय की घटिया किस्म के कारण है, जिसे अफ्रीका की चाय के साथ जबरदस्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है ? इन परिस्थितियों में क्या मंत्री, जिसकी नियुक्त की गई है, समिति के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना ही दक्षिण भारतीय चाय पर निर्यात-शुल्क में और अधिक कमी की अनुमति देंगे ?

श्री ब० रा० भगत : बजट प्रस्तावों को बनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है। परन्तु यह सच है कि दक्षिण भारतीय चाय के निर्यात मूल्य में कमी, मात्रा में नहीं बल्कि केवल मूल्य में कमी मुख्य रूप से इसके कारण है कि नीलामी में इसे कम कीमत मिल रही है। कीमत में कमी दक्षिण भारत की चाय में ही अधिक हुई है। विश्व बाजार में इसे बड़ी जबरदस्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और विश्व बाजार में यह बहुत अधिक है क्योंकि इस किस्म विशेष का अन्य देशों में भी उत्पादन होता है।

श्री लोबो प्रभु : उत्पादन शुल्क में कमी के बारे में क्या हुआ ? क्या आप इसकी अनुमति देंगे ?

श्री ब० रा० भगत : मैं यह नहीं कह सकता।

श्री समर गुह : देश में चाय के अधिक उत्पादन और कम निर्यात के कारण चाय उद्योग से देश को जो लगभग 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है, इस बात को ध्यान में रखकर और इस तथ्य को ध्यान में रखकर भी कि हमारा चाय निर्यात व्यापार अधिकांशतः विदेशी एकाधिकारियों द्वारा नियंत्रित है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार चाय निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है या कम से कम यूरोपीय चाय बागानों का ?

श्री ब० रा० भगत : चाय की समस्या एक बहुत ही जटिल समस्या है और इसे केवल निर्यात व्यापार को सरकार के अधीन लाने से हल नहीं किया जा सकता है। यदि यह लोकहित में हो तो मैं माननीय सदस्य से इस बात के लिए सहमत हूं कि मैं भी इसके पक्ष में हूं और चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों, जिससे उद्योगों में कुशलता आये और जिससे जनहित हो। यदि किसी यूनिट को सरकारी क्षेत्र में लाने से हानि हो अथवा व्यवस्था भंग हो तो मैं यह नहीं समझता कि केवल सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिये इसका समाजीकरण अथवा राष्ट्रीयकरण ठीक है। चाय उन वस्तुओं में से एक वस्तु है जिनके सम्बन्ध में स्थिति कुछ जटिल है। इस समय विश्व के बाजारों में चाय की सप्लाई उसकी मांग से काफी अधिक है। उत्पादन की अपेक्षा मांग कम बढ़ रही है। अत: सप्लाई को नियमित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक है। खाद्य तथा कृषि संगठन के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जा रही है। हम सप्लाई को नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यूनिट मूल्य अधिक मिल सके।

इसके साथ ही चाय की किस्म भी ठीक रखी जानी चाहिए। चूंकि हम चाय का उत्पादन करते हैं इसलिए हमें यह देखना है कि हमारी चाय की किस्म न घटे। इसी तरह हमें पैकेजिंग का भी सुधार करना है। इस सम्बन्ध में हमारे पास विशेषज्ञ नहीं हैं। निर्यात कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमें अपने देश की मार्केट में नियंत्रण करना चाहिए। चूंकि इस सम्बन्ध में बहुत ही अधिक प्रतियोगिता है इसलिए हमें धीरे-धीरे कदम उठाना है। यदि लोकहित और कुशलता सम्बन्धी प्रयोजन हल होते हैं तो किसी भी उद्योग को सरकारी क्षेत्र में लाने सम्बन्धी माननीय सदस्य के विचारों से मैं सहमत हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon. Minister has just told that our tea is becoming very popular and we are unable to fulfil its demand in most of the countries of the world.

Shri B. R. Bhagat : I have not said this.

Shri Hukam Chand Kachwai : I would like to ask the Government as to what percentage of the profit earned through export of our tea is being distributed as bonus to the workers of tea gardens. Is the Hon. Minister taking any step in regard to payment of more bonus to the workers in tea-gardens out of the profit being earned by the owners of tea-gardens ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। साथ ही, प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Why it is not relevant ? My question is fully relevant. What are the reasons for non-payment of more bonus to the workers out of the profit being earned by the owners of the tea gardens ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Mahajan Committee's Report on Revision of Syllabus of National Defence Academy

*515. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Sharda Nand :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the main recommendations of Mahajan Committee on the revision of syllabus of National Defence Academy ; and

(b) the decisions taken and also the action taken thereon ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The important recommendations of the Committee are as under :—

(i) Upgradation of the syllabus both for Humanities and Sciences, to degree standard.

(ii) Award of degrees BA (Pass) / BSc (Pass) for the Humanities and Science Streams.

(iii) Minimum educational qualification for entry into test Academy may be Higher Secondary or equivalent with age limit of 16 to 18 years **or** matriculation or equivalent to be followed by a Preparatory course of one year with age limit of 15 to 17 years.

The recommendations are under consideration and it is hoped to introduce the upgraded scheme of training for cadets taken into the N. D. A. in July 1971 on the basis of U. P. S. C. Examination to be held in December, 1970.

अफ्रीकी देशों से भारत-मूलक व्यक्तियों का निकाला जाना

*516. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-मूलक व्यक्तियों को तंजानिया, कीनिया, कांगो तथा अन्य अफ्रीकी देशों से निरन्तर निकाला जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन देशों की सरकारें भारत-मूलक एशियाई व्यक्तियों तथा एशिया के अन्य देशों के व्यक्तियों के बीच में भेदभाव करती है और उनका रोष मुख्यत: भारत-मूलक व्यक्तियों के विरुद्ध है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय-मूलक लोगों के साथ किये जाने वाले इस व्यवहार के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है ; और

(घ) भारत-मूलक व्यक्तियों के न्यायोचित अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अफ्रीका के कुछ देशों में भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों ने स्थानीय राष्ट्रिकता नहीं ली थी, उन पर दूसरे विदेशियों की ही तरह, व्यापार, रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंध लगाये गये हैं। इसकी वजह से उनमें से कुछ को उन देशों को छोड़ना पड़ा है।

(ख) जी नहीं, भारतीय मूल के व्यक्तियों के प्रति रोष का कोई प्रश्न नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों पर इसका असर हुआ है, वे ज्यादातर ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं और उनके हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मूलत: ब्रिटेन की सरकार पर है। जहां तक भारतीय राष्ट्रिकों का प्रश्न है, भारत सरकार उन्हें हर तरह की सम्भव सहायता देती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात

*517. **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अभी हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी आयात राज्य व्यापार निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार करने के परिणाम-स्वरूप सरकार को कुछ विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने नीति में इस परिवर्तन पर अपनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री बलि राम भगत) : (क) सरकार की नीति आयात तथा निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अभिकरणों के कार्य-कलापों का क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ाने की है।

(ख) विपुल परिमाण में खरीदारी और विपुल परिमाण में पोत-लदानों से विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा होती है।

(ग) सितम्बर, 1969 में हुई व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष ने आयात-निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अभिकरणों के योगदान को बढ़ाने के मामले में सावधान रहने की दलील दी थी।

(घ) राज्य व्यापार अभिकरण अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कच्चे माल का अधिकाधिक दक्षता के साथ आयात करते रहे हैं और उच्च तथा न्यायसंगत मूल्यों पर उनकी पूर्ति करने में समर्थ रहे हैं। इन अभिकरणों के माध्यम से औद्योगिक कच्चे माल के आयात के मार्गीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने का विचार है।

Proposal to Manufacture Jumbo Jets

*518. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme for the manufacture of Jumbo Jets of the capacity of carrying 300 to 400 passengers ; and

(b) if so, when and the amount likely to be invested in this project ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारत के अणुशक्ति कार्यक्रम में रूस की सहायता

*519. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री पीलु मोडी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने हाल ही में भारत के अणुशक्ति कार्यक्रम में रुचि व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस सरकार ने पंचवर्षीय व्यापार करार, जिसके लिए अभी वार्ता चल रही है, के अन्तर्गत इन प्रयोजनों के लिये सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय के निर्यात के बारे में भारत और जापान के बीच व्यापार करार

*520. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी तरीके से भारत में पैदा की गई हरी (ग्रीन) चाय जापान में पैदा की गई हरी चाय की तुलना में बढ़िया किस्म की सिद्ध हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक जापानी चाय व्यापारी ने, जिसने भारतीय चाय उत्पादकों को जापानी तरीके से और अपने विशिष्ट विवरण के अनुसार सलाह दी थी, 1970 में लगभग 300 टन और उसके बाद आगामी तीन वर्षों में लगभग 10,000 टन हरी चाय खरीदने के लिए करार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जिस प्रकार की हरी चाय की जापान ने मांग की है, उसके उत्पादन के प्रयत्न हाल ही में किये गये हैं। ऐसा कोई निष्कर्ष तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि अपेक्षित प्रकार की चाय का विपुल परिमाण में उत्पादन नहीं होने लगता।

(ख) समाचार पत्रों के अनुसार कतिपय जापानी खरीदारों ने भारतीय हरी चाय के आयात में दिलचस्पी प्रकट की है और कतिपय चाय कृषक जापानी विशिष्टियों के अनुरूप हरी चाय के उत्पादन की व्यवस्था कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी एशिया में शांति के लिये सुरक्षा परिषद् के संकल्प की क्रियान्विति

*521. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1969 में भारत ने सुरक्षा परिषद् से यह कहा था कि वह पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिये शीघ्र उपाय करें और अपने 22 नवम्बर, 1967 के संकल्प को पूर्णतया क्रियान्वित करायें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में सुरक्षा परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 10 सितम्बर, 1969 को सुरक्षा परिषद् में जो भाषण दिया था, वह सदन की सभा-पटल रख दिया गया है। इसराइल सुरक्षा परिषद् के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव संख्या 242 के अमल का अब भी विरोध कर रहा है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2320/69]**

भारत और ईरान के बीच व्यापार करार

*522 **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब ईरान के शाह ने जनवरी, 1969 में भारत की यात्रा की थी, उस समय दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर एक व्यापक समझौता हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके तुरन्त बाद व्यापार करार करने के लिए बातचीत आरम्भ की गई थी ;

(ग) क्या यह बातचीत कई महीनों तक चलती रही ;

(घ) यदि हां, तो अब तक व्यापार करार न होने के क्या कारण हैं और निर्णय होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या व्यापार करार हो जाने की संभावना है और यदि हां, तो कब तक ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) । (क) से (ङ). वर्ष 1964 से भारत तथा ईरान के मध्य एक व्यापार करार है जो कि मार्च, 1970 तक लागू है । ईरान के शाहन्शाह की भारत यात्रा के पश्चात्, आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग के लिये एक भारत-ईरान संयुक्त आयोग स्थापित किया गया था । इस आयोग के प्रमुख उद्देश्यों में संसाधनों, आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ करने के लिये स्वामित्वों तथा आवश्यकताओं, व्यापार संवर्द्धन, आर्थिक, औद्योगिक, तथा वाणिज्यिक संस्थानों के मध्य संपर्कों, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण की सुविधाओं और उद्योग में संयुक्त प्रयासों के बारे में संयुक्तरूप से अध्ययन करना शामिल है । यह आयोग समय-समय पर की जाने वाली सिफारिशों तथा निर्णयों को समन्वित ढंग से लागू करने के बारे में उपयुक्त कार्यवाही करेगा । इस प्रकार यह एक निरन्तर निकाय है ।

वाणिज्यिक सहयोग के क्षेत्र में भी, जहां भारत ईरान से अमोनिया, गन्धक तथा फास्फोरिक तेजाब की खरीद की सुविधायें देगा, वहां ईरान भी इसी प्रकार भारत से इस्पात उत्पादों, पूंजीगत उपकरणों, कतिपय रसायनों, अन्तर्वर्तियों, रेलवे तथा अन्य साज-सामान की खरीद करने की सुविधायें देगा ।

यह आयोग दोनों देशों के मध्य व्यापारिक आदान-प्रदान के विस्तार की अन्य संभावनाओं का भी पता लगायेगा । इस प्रस्तावित विस्तार के लिये, फीड्रेशन आफ इरानियन चैम्बर्स आफ कामर्स तथा फीड्रेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के मध्य सीमा सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा । सैन्ट्रल बैंक आफ ईरान तथा रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा और अच्छे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ईरानी तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाणियों में भी परस्पर सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने का प्रस्ताव है ।

परमाणु निरस्त्रीकरण सम्मेलन

*523. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1969 में जनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में हुई चर्चा का ब्योरा क्या है और उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(घ) क्या सरकार ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने संबंधी संधि का अनु-समर्थन करने की अपनी नीति पर पुनर्विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस समिति की बैठक 18 मार्च, 1969 से 23 मई, 1969 तक और फिर 3 जुलाई, 1969 से 30 अक्तूबर, 1969 तक चली ।

(ख) जी हां ।

(ग) तीन मदों पर प्रमुख रूप से विचार किया गया, जो इस प्रकार है :

(1) भूमिगत नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण का स्थगन,

(2) रासायनिक और जीवाणुविक युद्ध और

(3) समुद्रतल और महासागरतल का निःसैनीकरण ।

इनमें से किसी भी मद पर सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हुआ और इन सभी मदों को अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के विचारार्थ भेज दिया गया है, जिसका आजकल न्यूयार्क में अधिवेशन चल रहा है ।

(घ) सरकार के इस निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि नाभिकीय अस्त्रों के विस्तार-प्रसार को रोकने से सम्बद्ध संधि पर, जिस रूप में वह इस समय है उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगी ।

राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण के बारे में टंडन समिति का प्रतिवेदन

*524. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के पुनर्गठन से, जिसकी टंडन समिति ने सिफारिश की है, व्यय में कितनी वृद्धि हो जायेगी और यह प्रबन्ध पर होने वाले व्यय का कितने प्रतिशत होगा ;

(ख) निर्यात पर होने वाले मुनाफे की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) यदि 20 प्रतिशत मुनाफा केवल आयात से है, तो इसमें से कितना मुनाफा उन वस्तुओं से है, जिनमें राज्य व्यापार निगम का एकाधिकार है ; और

(घ) देश में फल और सब्जियों की प्रति व्यक्ति कितनी खपत है और यह उन देशों की तुलना में कैसी है जिनको इनका निर्यात किया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में समीक्षा समिति की सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) समूचे आधार पर, राज्य व्यापार निगम के निर्यातों पर कोई लाभ नहीं हुआ है । तथापि, वर्ष 1968-69 में 48.46 करोड़ रुपये के निर्यातों पर 0.16 प्रतिशत का उपान्त (मार्जिनल) घाटा हुआ था ।

(ग) वर्ष 1968-69 में इस निगम के आयातों पर, जिससे 114.1 करोड़ का व्यापार हुआ, 11.93 करोड़ रुपये का कुल व्यापार लाभ हुआ जिससे 10.46 प्रतिशत का लाभ हुआ है । इस निगम के माध्यम से किये गये आयातों से 94.73 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ जिसमें 11.89 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो 12.55 प्रतिशत होता है ।

(घ) भारत तथा अन्य देशों में फलों तथा सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1964-66 में ताजे फलों तथा सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत

देश	फलों की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत (कि० ग्रा०)	सब्जियों की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत (कि० ग्रा०)
भारत	16.5	22.2
फ्रान्स	83	309
पश्चिम जर्मनी	92	321
इटली	153	253
नीदरलैंड	67	65
बेल्जियम	58	243
लक्सम्बर्ग	41	203
ब्रिटेन	84	77
स्पेन	149	272
स्विट्जरलैंड	76	238
स्वीडन	44	184
डेनमार्क	108	185
यूनान	136	216
यूगोस्लाविया	124	63
लेबनान	70	105
संयुक्त अरब गणराज्य	15	42
इराक	10	10
कुबेत	83	—
बहराइन@	57	23
थाइलैंड	43	32
फिलीपाइन्स	41	56
हांगकांग	67	46
सिंगापुर	105	—
मलयेशिया@		

स्पेन के साथ व्यापार करार

*525. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्पेन में भारतीय चाय तथा खाद्य पदार्थों की काफी मांग है ;

@ताजे फल तथा सब्जियां शामिल हैं ।

(ख) इस बाजार में माल बेचने के हमारे प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ; और

(ग) क्या स्पेन की सरकार के साथ कोई व्यापार करार हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बाजार में पैठने के हमारे प्रयत्नों के परिणामों का परिमाण बताना सम्भव नहीं है । इस बाजार के सम्बन्ध में निर्यात संबर्धन उपायों को सघन किया गया है परन्तु ऐसे उपायों के परिणाम निकलने में काफी समय लगता है । फिर भी विगत तीन वर्षों में स्पेन को होने वाले हमारे निर्यात निरन्तर बढ़ते रहे हैं ।

(ग) स्पेन सरकार के साथ कोई व्यापार करार नहीं किया गया है ।

कोचीन शिपयार्ड

*526. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड का निर्माण-कार्य अन्तिम चरण/आकार में पहुंच गया है ; और

(ख) शिपयार्ड के निर्माण कार्य को सहज बनाने के लिये कोचीन बन्दरगाह का भी साथ-साथ विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 66,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक की क्षमता के पोतों के लिये एक भवन डाक, तथा 8,50,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक की क्षमता के पोतों को स्थान देने के लिए सरकार ने एक मरम्मत डाक सहित कोचीन शिपयार्ड प्रायोजना का अनुमोदन किया है । प्रायोजना की पुनः संशोधित अनुमानित लागत 45.42 करोड़ रुपये है ।

(ख) कोचीन शिपयार्ड प्रायोजना कोचीन बन्दरगाह के विकास के लिए योजना से अलग स्वतन्त्ररूप से साधित की जा रही है ।

चौथी योजना में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

*527. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा चौथी योजना में अपने निर्यात अभियान के लिये तैयार की गई योजना का ब्योरा क्या है ;

(ख) व्यापक अभियान के लिये कौन-सी वस्तुयें चुनी गई हैं और क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) विदेशी बाजारों में भारतीय माल में रुचि पैदा करने तथा निर्यात योग्य स्तर की

और प्रतियोगी मूल्यों वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिये क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गई है ; और

(घ) तदनुसार, अपने उत्पादन की योजना बनाने के हेतु निर्माताओं को सलाह देने के लिये राज्य व्यापार निगम ने क्या व्यवस्था की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री बलि राम भगत): (क) और (ख). निगम निम्नलिखित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये एक विशेष अभियान चलाने की योजना बना रहा है :

(एक) **रेलवे चलस्टाक तथा उपकरण विशेषकर :**

—माल डिब्बे
—सवारी डिब्बे
—डीजल तथा बिजली के इन्जन
—रेल पटरियों के लिये टर्नकी प्रोजेक्ट्स
—सिगनल तथा अन्य रेलवे उपकरण

(दो) **इंजीनियरी वस्तुएं :**

—कपड़ा बनाने की मशीनें
—भारी इंजीनियरी—मेकेनिकल और इलैक्ट्रिकल
—हल्की इन्जीनियरी
—निर्माण सामग्री तथा इमारती सामान
—स्वचालित मशीनों के कल पुर्जे तथा अन्य सामान
—टर्नकी प्रोजेक्ट्स

(तीन) **चमड़े की वस्तुएं :**

—जूते
—चप्पल
—टुकड़े तथा चमड़े की बनी वस्तुएं

(चार) **खाद्यान्न, सब्जियां, फल—ताजा तथा डिब्बों में बन्द और कटे हुए फूल ।**

(पांच) **कपड़ा**

—कपड़ा—रुई, कृत्रिम रेशे, ऊनी तथा पटसन ।
—बुने हुए ऊनी कपड़े, सिले सिलाये कपड़े तथा अन्य ।

(छः) **सामान्य वस्तुएं :**

—घरेलू प्रयोग की वस्तुएं
—व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं
—कार्यालय में प्रयोग की वस्तुएं
—उद्योगों में काम आने वाली वस्तुएं
—नकली बाल, मनुष्यों के बाल, पशुओं के बाल तथा उनसे बनी वस्तुएं ।

(सात) **रसायन तथा भेषज :**

—नमक तथा

—सीमेंट

वर्तमान योजनाओं के अनुसार निगम को अपने निर्यात में प्रतिवर्ष लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि करने की आशा है ।

(ग) और (घ). निगम तथा उसके विदेश स्थिति कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है और उत्पादन की व्यवस्था करने, टर्न-की कार्यों के लिये टेंडर देने लेने तथा व्यापार के अन्य अवसरों का पता लगाने के लिये औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही निगम अपने संगठन में ही विक्रय निपुणता का विकास कर रहा है जिससे विदेशों के बाजारों का अध्ययन आरम्भ हो सके और विक्रय नीति का विकास हो सके और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने का पूरा लाभ उठाया जा सके ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों की मांगें पूरी करना

*528. **श्री प० मण्डल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय में कोई ऐसा विभाग है जो विदेशों में स्थित हमारे राजदूतावासों और राजनयिक मिशनों की विभिन्न मांगो का अध्ययन और छानबीन करता है और उस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का सुझाव देता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : इस मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों में ये कार्य संपादित होते हैं। इस मंत्रालय में एक विदेश सेवा निरीक्षण दल भी है जो अपने आवधिक दौरे के दौरान मिशनों की मांगों की परीक्षा करता है। जब मिशनों की मांगों पर विचार किया जाता है तब इस निरीक्षण दल की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाता है ।

जापान के सहयोग से पावर रिएक्टर तथा परमाणु ईंधन का विकास

*529. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने पावर रिएक्टर तथा परमाणु ईंधन के विकास के लिये भारत को सहयोग देने की पेशकश की है; और

(ख) क्या सरकार ने इस पेशकश का लाभ उठाने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच यदि कोई करार किया गया है तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वायु सेना तथा सिविल क्षेत्र में विमान चालकों के वेतनमानों में असमानता को दूर करना

*530. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना अधिकारियों द्वारा प्रायः इस प्रकार का अभ्यावेदन दिया जाता है कि भारत में वायु सेना के विमान चालकों के वेतन और सिविल क्षेत्र के विमान चालकों के वेतन में भारी विषमता है;

(ख) क्या यह सच है कि सिविल एयर लाइन्स जिसमें एयर इंडिया शामिल है, के विमान चालकों को वायु सेना के विमान चालकों को अपेक्षा कई गुना अधिक वेतन दिया जाता है और इसके अलावा उन्हें कई भत्ते मिलते हैं जिसमें ड्यूटी पर मुफ्त भोजन भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वेतन में समानता लाने का कोई प्रयास किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). वायु सेना और असैनिक एयर लाइन्स के विमान चालकों के वेतनमानों, भत्तों और सेवा की अन्य स्थितियों / शर्तों में अन्तर भेदों का सरकार को ज्ञान है।

(ग) वायु सेना विमान चालकों के वेतनमान जैसे के समस्त सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के मूलतः लगभग उनके समान हैं जो केन्द्रीय असैनिक सेवाओं के लिये लागू हैं; उड़ान कक्ष में सेवा के विशिष्ट लक्षण को उड़ान अधिदान और अन्य उपाय प्रदान करके मान्यता दी जाती है। वायु सेना के विमान चालकों की उपलब्धियों की वाणिज्य एयर लाइन्स के चालकों की उपलब्धियों से तुलना करना व्यवहार्य नहीं, कि जिनकी सेवा की शर्तें / स्थितियां भिन्न हैं।

उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रोनिक्स का एक कारखाना स्थापित करना

*531. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कानपुर में अन्य प्रतिरक्षा कारखाने होने के कारण क्या इस कारखाने को वहां स्थापित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० की दूसरी यूनिट की स्थापना के लिये स्थान की अन्तिम रूपरेखा अभी तैयार नहीं हो पाई।

(ख) जी नहीं।

(ग) निर्णय शीघ्र ही लिया जाना प्रत्याशित है।

जाली आयात लाइसेंस

*532. **श्री गाडिलिगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जाली आयात लाइसेंसों का खुलकर प्रयोग हो रहा है तथा इस प्रकार के व्यापार में कई करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा निहित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई स्थित आयात तथा निर्यात के संयुक्त नियंत्रक के कार्यालय के आयात लाइसेंसों के कुछ कोरे फार्म गुम हैं;

(ग) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) इस प्रकार के व्यापार के सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान गड़बड़ी को रोकने और आयात प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1965 से अब तक ऐसे 24 मामलों की सूचना मिली है जिनमें लगभग 74.76 लाख रुपये मूल्य के जाली आयात लाइसेंसों का प्रयोग हुआ बताया जाता है ।

(ख) वर्ष 1964-65 में आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय, बम्बई से कुछ कोरे आयात लाइसेंस फार्म गायब पाये गये थे ।

(ग) इन लाइसेंसों के आधार पर किये गये वास्तविक आयात ज्ञात नहीं हैं । इन मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपने हाथ में लिया गया था और उनकी जांच रिपोर्टों के आधार पर आगे कार्रवाही की गई है ।

(घ) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 41 है ।

(ङ) आयात क्रियाविधि की निरन्तर समीक्षा की जाती है और कदाचार को रोकने के लिये अनेक उपचारोपाय पहले ही कर लिये गये हैं ।

लंका में राष्ट्रिकताविहीन व्यक्तियों को राष्ट्रिकता प्रदान करना

*533. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री रा० बरुआ :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और लंका दोनों द्वारा राष्ट्रिकताविहीन व्यक्तियों को राष्ट्रिकता प्रदान करने के बारे में काफी धीमी प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारत और लंका द्वारा अब तक कितने राष्ट्रिकताविहीन व्यक्तियों को राष्ट्रिकता प्रदान की गई है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को राष्ट्रिकता प्रदान की जानी शेष है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। जहां तक भारतीय मूल के लोगों का सम्बन्ध है, भारत ने भारतीय राष्ट्रिकों के रूप में 291,580 लोगों को पंजीबद्ध किया है और श्रीलंका ने श्रीलंका के राष्ट्रिकों के रूप में 141,723 लोगों को।

(ग) अभी काफी लोग रह जाते हैं, जिन पर अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अनुसार विचार होगा।

सिकन्दराबाद स्थित सेना का इलेक्ट्रोनिक्स तथा मेकैनिकल इंजीनियरिंग कालेज

*534. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद स्थित सेना के इलेक्ट्रोनिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कालेज में "डाइनेमिक इलेक्ट्रोनिक ट्रेनिंग" नाम से इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षण की एक नई तकनीक का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नई तकनीक के क्या लाभ हैं; और

(ग) सेना के लिए दूरसंचार मैकेनिकों को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित करने में इससे किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

रक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इससे प्रशिक्षणार्थी इलेक्ट्रोनिकी सर्कटरी में शिक्षण को शीघ्र तथा अच्छी तरह समझने के योग्य हो जाता है। इससे प्रयास में भी बचत होती है क्योंकि इन प्रबन्धों को छात्रों के आने वाले दलों के लिये भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) प्रशिक्षण प्रशिक्षित टेलीकम्यूनीकेशन मैकेनिकों की कोटि में सुधार करेगा।

नेपाल में भारतीय बीमा कम्पनियों पर प्रतिबन्ध

*535. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि नेपाल सरकार विदेशी बीमा कम्पनियों पर जिनमें भारतीय कम्पनियां भी शामिल हैं, प्रतिबन्ध लगाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या नेपाल में अधिकांश बीमा कारोबार भारतीय कम्पनियों द्वारा ही किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 22 सितम्बर, 1969 को, नेपाल सरकार द्वारा प्रख्यापित बीमा अधिनियम 1968 के अन्तर्गत, बनाये गये नियमों में विदेशी बीमा कम्पनियों को, उस अधिनियम के अन्तर्गत ही पंजीबद्ध करने की अनुमति मिली, बशर्ते कि उनकी दायिताएं उनकी आस्तियों से अधिक न हों और उनके पास उस देश में बीमा व्यवसाय का भारवहन करने के पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिये नेपाल में पर्याप्त आस्तियां हों । विदेशी बीमा कम्पनियों को जो सामान्य बीमा कर रहे हैं उन्हें अपनी प्रीमियम का 50 प्रतिशत, रिजर्व फण्ड के रूप में नेपाल सरकार की किसी वित्तीय संस्था के साथ भी रखना होगा ।

(ग) और (घ). भारतीय बीमा कम्पनियों पर स्वाभाविक रूप से इसका विपरीत असर पड़ेगा किन्तु यह एक ऐसा मामला है जो नेपाल के घरेलू अधिकार क्षेत्र में आता है ।

पूंच और रजौरी जिलों में घुसपैठ

*536. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले नौ महीनों में पूंच और रजौरी जिलों में 10,000 व्यक्ति युद्ध विराम रेखा को पार कर भारत की ओर लुक-छिपकर घुस आये हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त व्यक्तियों में अधिकतर लोग गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में चले गये थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 2200 व्यक्ति मार्च से अक्तूबर, 1969 तक राज्य में लौटे, कि जिनमें से अधिकतम 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में चले गये थे ।

Backwardness of North Cachar and Mikir Hills

*537. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that North Cachar and Mikir Hills in Assam is the most backward area from the economic and educational point of view ;

(b) whether it is also a fact that some anti-national elements are making efforts to take advantage of this backwardness of the aforesaid area ;

(c) if so, whether Government propose to give special funds to Assam Government for the development of this region ; and

(d) whether Government propose to establish any industry in this area ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) These are among the backward districts of Assam.

(b) Government has received no such information.

(c) and (d). Specific allocations are being made for the development of this region including the promotion of such industries as are feasible in the State's Fourth Five Year Plan and Central assistance on very liberal terms would be provided for financing the development Plans of the hill region.

ऊन की कमी के कारण ऊनी मिलों का क्षमता से कम काम करना

*538. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऊनी मिल ऊन की कम सप्लाई के कारण अपनी क्षमता का केवल एक-तिहाई उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो मिलों द्वारा अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए ऊन की सप्लाई सुनिश्चित करने के संबंध में क्या उपाय किये गये हैं और कौन-सी योजनाएं बनायी गई हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां । वर्स्टेड क्षेत्र में ऊनी उद्योग को विद्यमान स्थापित क्षमता का विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयातित ऊन की सीमित प्राप्यता के परिणामस्वरूप पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है ।

(ख) ऊन के वार्षिक आयात के अलावा ऊनी मिलें निर्यातरत होकर अथवा निर्यातों में वृद्धि करके और निर्यात हेतु प्रतिपूर्ति योजना के अधीन आयातित ऊन की वर्धित पूर्ति प्राप्त करके अपनी क्षमता का अधिक उपयोग कर सकती हैं । अब स्वदेशी ऊन अधिकाधिक परिमाण में साफ की जा रही है ताकि वर्स्टेड क्षेत्र में पूर्ति और मांग के अंतर को पूरा किया जा सके ।

कुंजपुरा (हरयाणा) में सैनिक स्कूल

*539. **श्री सूरज भान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूल कुंजपुरा (हरियाणा) में कुल कितने छात्र हैं जिन्होंने गत वार्षिक परीक्षा दी थी, उनमें से कितने सफल हुए तथा कितने असफल हुए और कितने निकाल दिये गये (कक्षा वार) तथा गत वर्ष कितने छात्रों ने परीक्षा दी, कितने सफल हुए तथा कितने असफल हुए और कितने निकाल दिये गए;

(ख) असफल छात्रों को निकाल दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) छात्रों के असफल होने आदि से केन्द्र तथा राज्य सरकार को कितनी हानि हुई और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) छात्रों की उचित शिकायतों की उनके अभिभावकों की जांच कराने तथा निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या ऐहतियाती उपाय किए गए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1968-69 की परीक्षा के परिणाम इस प्रकार हैं :—

श्रेणी	उत्तीर्ण होने वालों की संख्या	फेल होने वालों की संख्या	डिस्चार्ज किए जाने वालों की संख्या
11 वीं	33	9	42
10 वीं	50	12	17
9 वीं	52	3	3
8 वीं	51	4	3
7 वीं	99	7	7
6 वीं	95	7	7
5 वीं	90	7	10
दिसम्बर, 1967 की परीक्षा के परिणाम इस प्रकार थे :—			
11 वीं	39	3	9
10 वीं	42	3	9
9 वीं	62	8	10
8 वीं	55	7	11
7 वीं	55	0	0
6 वीं	106	4	5
5 वीं	102	2	5

(ख) छात्रों को डिस्चार्ज किया गया था क्योंकि वह पदोन्नति के लिए कम से कम नम्बर प्राप्त कर पाए। साधारणतः वे लड़के जो स्कूल के दो वर्षों में फेल होते हैं सरकारी छात्र-वृत्ति के लिए अनधिकारी बन जाते हैं और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। हरयाणा गवर्नमेंट के मामले में पहले वर्ष में फेल होने वाले लड़के भी आगे छात्र-वृत्ति के लिए अनधिकारी हो जाते हैं। तदपि ऐसे छात्रों को स्कूल में रहने दिया जाता है अगर वह पूरी फीस अदा करने को तैयार हों। राज्य सरकार उन लड़कों के मामले में भी छात्र वृत्ति बन्द कर देती है जिन्होंने एन० डी० ए० के लिये अपना अन्तिम अवसर भी समाप्त कर दिया हो। डाक्टरी तौर पर अयोग्य पाये गए लड़के भी निकाल दिये जाते हैं।

(ग) जो लड़के 1968-69 में निकाले गये थे, उन द्वारा प्राप्त की गई छात्र-वृत्तियों की राशि लगभग 320,000 रुपये बनती है। जिन लड़कों के स्कूल में रह कर लाभ उठाने की आशा नहीं थी उन पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा और अधिक खर्च उठ सकता था। कमजोर छात्रों को आवश्यक स्तर पर लाने के लिये विशेष ध्यान दिया जाता है।

(घ) अभी तक माता-पिताओं से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

राज्य व्यापार निगम के पास पड़े निर्यात के क्रयादेश

*540. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के पास इस समय पड़े हुये निर्यात क्रयादेशों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) उनमें कौन सी निर्यात मदें हैं तथा उनका कुल मूल्य क्या है;

(ग) क्या मांगी गई वस्तुओं के निर्यात क्रयादेश इस बीच पूरे कर दिये गये हैं; और

(घ) क्या फूलों, सब्जियों, तैयार भोजन तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं से निर्यात को बढ़ाने के कोई प्रयत्न किए गये हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम के पास 49.94 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात क्रयादेश हैं। निर्यात की मदों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. कृषि उत्पाद
2. इंजीनियरी उत्पाद
3. रसायन
4. वस्त्र
5. चमड़ा संघटक तथा जूते
6. रेलवे उपकरण
7. सामान्य उत्पाद

(ग) जी हां।

(घ) ताजे गुलाब के फूलों, आमों, सेबों तथा ताजी सब्जियों की नमूने की खेपें विभिन्न पश्चिम यूरोपीय देशों को पहले ही भेजी जा चुकी हैं और इन मदों तथा इस जैसी अन्य वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया)

3401. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के कार्य संचालन में दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें भूतपूर्व सैनिकों को भेजने की बजाय इस व्यवसाय में प्रशिक्षित लोगों को ही सीधे भर्ती करने का विचार करेगी ?

प्रति रक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के कार्य संचालन के लिये व्यक्तियों का चुनाव मुख्यतया उनकी योग्यता, अनुभव और गुण-दोष के आधार पर होता है। अतः भूतपूर्व सैनिकों को उससे बाहर रखना उचित नहीं होगा और विशेषतया एक ऐसे डिपार्टमेंट से जिसका मुख्य उद्देश्य सैनिकों की सेवा करना है।

विद्रोही नागाओं के पास भारतीय सेना के हथियार

3402. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1969 को 'इकनामिक एण्ड पोलिटिकल' साप्ताहिक पत्रिका में "समझौते के इच्छुक नहीं" (इन नो मूड टू कम्प्रोमाइज) शीर्षक के अन्तर्गत नागालैण्ड में हमारी सैनिक कार्यवाही के तरीके के विरुद्ध की गई कुछ निन्दात्मक टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं के पास भारतीय सेना को मिलने वाली गोलियां बन्दूकें, जूते तथा वर्दियां पाई गई हैं और यदि हां, तो वे वस्तुएं विद्रोही नागाओं के पास कैसे पहुंची ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सेना अपना सामान ढोने के लिये कुलियों का प्रबन्ध गांवों के मुखिया लोगों के द्वारा सामान्यतया कराती है और इस व्यवस्था के कारण गांवों के मुखिया छिपे हुए नागाओं को सेना के आगामी आक्रमण के बारे में सूचना देने में सफल हो जाते हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए कार्यवाही करेगी ?

प्रति रक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भूगर्भगत नागाओं के पास जो सेवा पेटर्न के आयुध हैं हो सकता है वह उन्हें द्वितीय युद्ध के दौरान जापानियों तथा उनके सहायकों की सेनाओं द्वारा त्यागे गए भण्डारों से प्राप्त हुये हों । ऐसे आयुध उन्होंने पाकिस्तान से भी प्राप्त किए हैं । कुछ आयुध भूगर्भगत नागाओं द्वारा तब प्राप्त किये गए थे, जब उन्होंने ग्राम रक्षकों, होम गार्ड्ज और हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा भेजे गये गश्ती दस्तों पर घात लगाई थी ।

(ग) असैनिक भारिक किसी भी संक्रियात्मक कार्य पर नहीं लगाये जा रहे हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पक्षियों का निर्यात

3403. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कौन-कौन से तथा कितनी संख्या में पक्षी निर्यात किये गये, और गत वर्ष इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) ये पक्षी किन-किन देशों को निर्यात किये गये और गत वर्ष यह व्यापार प्रत्येक देश के साथ कितने मूल्य का हुआ; और

(ग) क्या यह निर्यात राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है या गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से या दोनों के माध्यम से ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). 1968-69 अवधि के दौरान निर्यातित पक्षियों की संख्या तथा मूल्य को दर्शाते हुये एक विवरण गन्तव्य-वार संलग्न है। भारतीय व्यापार वर्गीकरण में सभी प्रकार के पक्षियों को एक शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है और इस लिये निर्यातित पक्षियों के नाम ब्योरे वार नहीं दिये जा सकते।

(ग) सभी श्रेणियों के निर्यातकों द्वारा निर्यात की अनुमति है जिसमें व्यक्ति भी शामिल हैं। राज्य व्यापार निगम ने अभी तक पक्षियों का निर्यात नहीं किया है।

विवरण

मूल्य हजार रुपयों में
संख्या हजार में

1968-69

देश का नाम	**संख्या**	**मूल्य**
वेल्जियम	101	249
फ्रांस	298	560
जर्मन संघीय गणराज्य	104	422
इटली	329	530
जापान	585	938
नीदरलैण्ड	95	333
ब्रिटेन	106	678
संयुक्त राज्य अमरीका	168	460
अन्य	62	222
योग	1848	4392

हांग-कांग निवासी भारतीयों पर रोक

3404. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांग-कांग में रहने वाले भारतीयों पर वहां के अधिकारियों ने ऐसी नई रोक लगाई है जिनसे भारतीयों के लिये वहां रहना और व्यापार करना असम्भव हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन रोकों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). आवश्यक पूछ-ताछ की जा रही है और तथ्य यथाशीघ्र सदन के सामने रख दिए जाएंगे।

बन्दरों का निर्यात

3405. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष, देशवार, कितनी संख्या में और कितने मूल्य के बन्दरों का निर्यात किया गया ;

(ख) किस प्रकार के बन्दरों की मांग है और ऐसे बन्दर किस राज्य से उपलब्ध होते हैं ;

(ग) किन-किन संस्थाओं ने बन्दरों के निर्यात का विरोध किया है ; और

(घ) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1968-69 में निर्यातित बन्दरों की संख्या तथा मूल्य देशवार दिखाये गये हैं।

(ख) रहेसस किस्म के बन्दरों की मांग है जो कि अधिकांशतः उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ल्ड कोलीशन अगेंस्ट विविसेक्शन तथा ब्ल्यू क्रास आफ इण्डिया से बन्दरों के निर्यात के विरुद्ध विरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ) भयानक रोगों का सामना करने के मामले में मानवता के संरक्षण तथा प्रगति के व्यापक हित में, चिकित्सा गवेषणा तथा उपचार में सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ सीमित आधार पर बन्दरों के निर्यात की अनुमति देना आवश्यक समझा गया है।

विवरण

मात्रा संख्या में
मूल्य 000 रुपयों में

1968-69

देश	**संख्या**	**मूल्य**
इटली	1560	106
ब्रिटेन	2796	184
संयुक्त राज्य अमरीका	34290	2533
सोवियत संघ	4490	314
नीदर लैण्ड्स	802	66
जर्मन संघीय गणराज्य	706	48
अन्य	2253	154
योग	46897	3405

कालेजों में अनिवार्य छात्र-सेना प्रशिक्षण

3406. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज स्तर पर छात्रों और छात्राओं के लिये छात्र-सेना प्रशिक्षण अनिवार्य हैं ;

(ख) जो छात्र छात्र-सेना में रुचि नहीं रखते क्या उनके लिये ऐसा ही कोई अन्य प्रशिक्षण है ;

(ग) छात्रों को छात्र-सेना का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य क्या है ; और

(घ) छात्र-सेना पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) छात्र-सेना योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण को अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक बनाने के प्रश्न पर प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने छात्रों के आधार पर ही निर्णय लेता है। इस योजना के अन्तर्गत इस समय, तीस बिश्वविद्यालयों में उनके पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में लड़कों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है सभी कालेजों में लड़कियों के लिये प्रशिक्षण स्वैच्छिक है।

(ख) छात्र-सेना योजना के कार्य-क्षेत्र और विषय क्षेत्र के समकक्ष कोई अन्य योजना नहीं है। शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ने कुछ ही समय पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय खेल संगठन को बनाया है। कई विश्वविद्यालयों में वाक्पीठ आयोजना, सामाजिक सेवा लीग इत्यादि हैं, जिनके अन्तर्गत विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक सेवा की जा सकती है।

(ग) संसद् द्वारा बताये गये एन० सी० सी० एक्ट 1948 के अनुसार छात्र-सेना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) चरित्र-विकास, सहयोग, सेवा का आदर्श तथा नेतृत्व की क्षमता।

(2) देश की प्रतिरक्षा में रुचि उत्पन्न करने में लिए सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था और

(3) आपातकालीन स्थिति में सशस्त्र सेनाओं के शीघ्र विस्तार के लिए एक बड़ी संख्या में सशक्त रिजर्व जन शक्ति बनाये रखने के लिए।

(घ) छात्र-सेना पर किये गये सारे व्यय को अलग से नहीं रखा जाता। छात्र-सेना को कैडेट शक्ति पर प्रति व्यक्ति किये गये व्यय के आधार पर 1969-70 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय क्रमानुसार लगभग 857 लाख और 650 लाख हैं।

अपर्याप्त रोजगार सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने से सम्बन्धित अध्ययन दल

3407. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपर्याप्त रोजगार के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने के लिये योजना आयोग ने कोई अध्ययन-दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा अध्ययन-दल नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो अपर्याप्त रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(घ) अपर्याप्त रोजगार की समस्या को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री अणुशक्ति मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). देश में अपर्याप्त रोजगार के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने के लिये योजना आयोग ने कोई अध्ययन-दल गठित नहीं किया है। बहरहाल, योजना आयोग ने बेरोजगारी प्राक्कलन के सम्बन्ध में प्रोफेसर एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति का कार्य अभी हो रहा है।

(घ) चौथी योजना में सड़कें, छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण, वन विकास, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सहकार, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण बिजलीकरण, ग्रामोद्योग व लघु उद्योग तथा आवास जैसी श्रम-सघन स्कीमों पर अत्यधिक बल दिया गया है। योजना आयोग ने जुलाई, 1969 में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को एक पत्र भी भेजना है जिसमें उनसे निवेदन किया गया है कि उनकी योजनाएं अधिक रोजगार प्रधान होनी चाहिए।

इम्फाल (मनीपुर) में असैनिक अधिकारियों की सहायता हेतु सेना बुलाना

3408. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1969 को इम्फाल, मनीपुर में असैनिक अधिकारियों की सहायता हेतु सेना बुलाई गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). इम्फाल और माइरांग में अमन अमान कायम रखने के लिये 23 सितम्बर, 1969 को असैनिक प्राधिकरणों की सहायता में सेना बुलाई गई थी।

तेलंगाना और रायलसीमा के विकास के लिये विशेष सहायता

3409. **श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना और रायल सीमा क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को विशेष सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य को किस प्रकार की और कितनी सहायता दी जायेगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). इस प्रश्न का निर्णय राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय किया जायेगा।

पाकिस्तान स्थित ननकाना साहब को करतारपुर क्षेत्र के साथ अदला-बदली

3410. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

श्री जे० के० चौधरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह पंजाब के लोगों की इच्छा के अनुसार पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब के साथ भारत के करतारपुर क्षेत्र के साथ अदला-बदली के लिए पाकिस्तान से कहे ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

विज्ञान तथा प्रोद्योगिक सम्बन्धी समिति द्वारा नयी विज्ञान नीति का निर्धारण

3411. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सम्बन्धी समिति ने देश के लिये एक नई विज्ञान नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस नयी नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस समिति द्वारा बनाई गई नीति स्वीकार कर ली है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अभी नहीं, महोदय ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हाजियों को विदेशी मुद्रा

3412. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में किसी पक्ष से कोई ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय राजदूतावासों के माध्यम से निर्धन हाजियों के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर की जाने के लिये अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन लोगों ने अनुरोध किया है और कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा के लिए ;

(ग) किन-किन लोगों का अनुरोध स्वीकार किया गया और किन-किन लोगों का आवेदन अस्वीकार किया गया ; और

(घ) इस अवधि में भारत के मुस्लिम-रा-हाली नामक होस्टलों के रख-रखाव के लिये कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सऊदी अरब में जो भारतीय किसी भी कारण से बेसहारा हो गए थे, वे वित्तीय सहायता के लिये जेद्दा में भारतीय राजदूतावास के पास आते रहे हैं।

(ख) और (ग). सभी आवेदकों के नाम और उन्हें दी गई सहायता का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2321/69]**

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

भारतीय तथा नेपाली भूतत्वज्ञों द्वारा नेपाल में भूतत्वीय खोज

3413. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय तथा नेपाली भूतत्वज्ञों द्वारा नेपाल में भूतत्वों सम्बन्धी जो खोज की गई थी, उन पर संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक तकनीकी सहायता योजना पर नेपाल में काम कर रहे रूसी भूतत्वज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में अपना दावा जताया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रामय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने नेपाल में हुई भूवैज्ञानिक खोजों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश की गई रिपोर्ट नहीं देखी है। परन्तु सरकार ने भारतीय और नेपाली अखबारों में इस प्रकार की खबरें देखी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि कुछ वर्ष पूर्व भारतीय और नेपाली भूवैज्ञानिकों ने मिलकर ये खोजें की थीं।

(ख) कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

चाय उद्योग को सहायता देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निकाय

3414. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकटग्रस्त चाय उद्योग की सहायता करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य तथा कृषि संगठन एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय स्थापित करने को सहमत हो गया है;

(ख) क्या इस संगठन में भारत को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा ; और

(ग) संगठन किन-किन विभिन्न क्षेत्रों में काम करेगा तथा वह समस्या के किन-किन विभिन्न पहलुओं को हल करेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) चाय के औसत निर्यात मूल्य में गिरावट पर विचार करने के उपरान्त, जिससे उत्पादन करने वाले देशों के चाय उद्योगों के लाभांश पर प्रभाव पड़ा है और जिससे विदेशी मुद्रा की आय में गिरावट आई और चाय की किस्म में हुए परिवर्तनों तथा विश्व बाजार में मूल्य निर्धारण के कार्य में उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में हुए परिवर्तनों के योगदान को ध्यान में रखते हुए, और चाय के लिये एक स्थायी बाजार प्राप्त करने, जहां चाय के मूल्य उत्पादकों के लिये लाभकारी तथा उपभोक्ताओं के लिये उचित हो, के उद्देश्य से चाय सम्बन्धी सलाहकार समिति नामक एक समिति की स्थापना की गई है जो स्थिति को ठीक करने के लिये अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों का अध्ययन करेगी और निर्यात करने वाले तथा आयात करने वाले दोनों ही देशों की सरकारों द्वारा विचार करने के लिये सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

चाय से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा उनके अध्ययन के लिये एक मंच की व्यवस्था करना। सलाहकार समिति के कार्य में विशेष रूप से ये शामिल होगा :

(क) अल्पावधि तथा दीर्घावधि परिस्थितियों की निम्ननोक्त के सम्बन्ध में लगातार समीक्षा :

(1) चाय का विश्व उत्पादन तथा उपभोग।

(2) व्यापार तथा मूल्यों में प्रवृतियां।

(3) किस्म के सम्बन्ध में उपभोक्ता प्राथमिकता।

(ख) विपणन ढांचों पर अध्ययन को जारी रखना।

(ग) चाय उपभोग की अभिवृद्धि।

(घ) चाय आंकड़ों का सुधार।

(ङ) आगामी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिये सुझावों के विषयों के प्रारूप तैयार करना अथवा अनुमोदन करना जिसे बाद में सभी सम्बद्ध सरकारों को प्रस्तुत किया जायेगा।

सम्भरण तथा निबटान महानिदेशालय के ठेकों में हुए विवादों में मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था

3415. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही सम्भरण तथा निबटान महानिदेशालय के ठेकों में एक मध्यस्थ-खण्ड जोड़ा गया है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्थ, जो कि प्रायः विधि मन्त्रालय का अधिकारी होता है, द्वारा विवादों में मध्यस्थता करने की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त विवादों का मध्यस्थ निर्णय करने के लिए दो मध्यस्थों, जिनमें से एक संभरक की ओर से और एक संभरण तथा निबटान महानिदेशालय की ओर से नामजद करने की व्यवस्था थी ;

(ग) यदि हां, तो नए खण्ड के जोड़े जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि हाल ही में भारतीय मध्यस्थ परिषद् द्वारा मध्यस्थता के बारे में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उक्त विषय की आलोचना की गई थी ; यदि हां, तो अन्य निकायों, जिनमें भारतीय वाणिज्य तथा व्यापार मंडल संघ भी शामिल है, द्वारा की गई आलोचना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या नये खण्ड को हटाने और पूर्व स्थिति को कायम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां । 1 जनवरी, 1964 से पूर्ति और निबटान महानिदेशालय द्वारा विधि-मंत्रालय का ही अधिकारी मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है । उस तारीख से पहले पूर्ति और निबटान के महानिदेशक अथवा उनके द्वारा नामजद किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो कि प्राय: विधि मंत्रालय का ही अधिकारी होता था ।

(ख) जी, हां । 1 सितम्बर, 1956 से पूर्व ऐसी व्यवस्था थी ।

(ग) यह देखा गया था कि वास्तविक व्यवहार में दो मध्यस्थों वाली व्यवस्था में देर लग जाया करती थी, वह खर्चीली और कष्टप्रद थी । आमतौर पर मध्यस्थों में मतभेद हो जाता था, और फिर मामला पंच के पास भेजना पड़ता था ।

(घ) सरकार को इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं हैं ।

(ङ) हाल में ही व्यापारियों के एक विशेष वर्ग की ओर से एक सुझाव आया था कि सम्बन्धित पार्टियों की सहमति से भारतीय मध्यस्थता परिषद् में से ही मध्यस्थ नियुक्त किए जाएं । यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

Naga Rebels

3417. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Shri Chand Goyal :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Naga rebels who have surrendered before the Indian Security Force, during the last two years ; and

(b) the number of foreign made arms out of those seized from the Naga rebels who surrendered ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) 2,316.

(b) Although the markings on the weapons captured from the underground personnel were found to have been obliterated, 321 of them appeared to be of foreign origin.

अमरीका की आण्विक तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक

3418. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिक अमरीका की आण्विक तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं में सर्वोच्च पदों पर काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इन वैज्ञानिकों को विदेशों में सेवा करने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई है तथा उन्हें भारत में सेवा के अवसर क्यों नहीं प्रदान किये गये ; और

(ग) उन्हें वापस बुलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बहादुरशाह जफर के शव को रंगून से वापिस लाना

3419. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान में नेताजी के जीवन सम्बन्धी प्रदर्शनी के बारे में 22 अगस्त, 1969 के अल्पसूचना प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंग्रेजों द्वारा रंगून के समीप एक जंगल में दफनाये गये बहादुर शाह के शव को वापिस लाने के प्रश्न की जांच की है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1943 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता बहादुर शाह जफर की कब्र पर गये थे और उन्होंने स्वतन्त्र भारत सरकार के प्रथम राज्याध्यक्ष के रूप में प्रण किया था कि 1857 के विद्रोह के नेता के शव को भारत के स्वतन्त्र होने पर वापिस भारत ले जाया जायेगा और उसे दिल्ली के लाल किले में पुनः दफनाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बहादुरशाह जफर के शव को वापिस देश में लाने के सम्बन्ध में नेताजी के प्रण को पूरा करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कोई आधिकारिक रिपोर्ट सुलभ नहीं है ।

(ग) अवशेषों को वापस लाने के प्रश्न पर विचार किया गया है लेकिन इसे सम्भव नहीं पाया गया ।

लद्दाख का विकास

3420. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **प्रधान मन्त्री** लद्दाख के विकास के बारे में 8 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में लद्दाख को दी जाने वाली सहायता के आकार के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) किस प्रकार पूर्ण राशि उपयोग करने तथा यह सुनिश्चित करने का सरकार का विचार है कि कोई राशि अप्रयुक्त न रहे जैसा कि कुशल और अकुशल कर्मचारियों की कमी के कारण गत योजना के मामले में हुआ ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, लद्दाख की योजना स्कीमों के व्यय 90% केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में वहन करेगी और शेष 10 प्रतिशत को ऋण के द्वारा पूरा किया जायेगा ।

(ख) राज्य सरकार ने तकनीकी संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त तरीके अपनाए हैं । आशा है इन तरीकों से परिव्यय के उपयोग का पूरा निश्चय हो जायेगा । योजना आयोग उसकी प्रगति पर नजर रखेगा ।

पिछड़े और अल्प-विकसित क्षेत्रों की समस्या

3421. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता के मार्ग में देश के पिछड़े तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों की समस्यायें बाधक रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को सरकार किस प्रकार से हल करना चाहती है ;

(ग) क्या रायलसीमा योजना तथा विकास बोर्ड जैसे बोर्डों की स्थापना से ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को शीघ्र विकसित करने में सहायता मिलेगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का सभी राज्य सरकारों को इस आशय का निदेश देने का विचार है कि अर्धविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए सभी राज्यों में ऐसे बोर्ड बनाये जायें ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) संतुलित क्षेत्रीय विकास राष्ट्रीय एकता के निर्माण का एक प्रमुख उपादान है ।

(ख) दिनांक 13 अगस्त, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न 3366 और दिनांक 26 नवम्बर, 1969 को पूछे गये राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) जी, हां। इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना से विकास में सहायता मिलनी चाहिए।

(घ) इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारें इस प्रकार के बोर्ड स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यात

3422. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से लौह अयस्क के निर्यात के लिये पश्चिमी एशिया और पूर्व यूरोपीय देशों से कितने अतिरिक्त क्रयादेशों की आशा है ;

(ख) सभी विदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमारे लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) विभिन्न बन्दरगाहों से अयस्क को जहाज द्वारा भेजने के लिये पत्तनों पर क्या अतिरिक्त सुविधायें की गई हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1970 के दौरान पूर्व यूरोपीय देशों से 8 से 10 लाख मे० टन तक अतिरिक्त लौह-अयस्क के क्रयादेश प्राप्त होने की सम्भावना है। अभी तक पश्चिम एशियाई देशों में लौह-अयस्क की कोई मांग नहीं है।

(ख) बैलाडिला डिपाजिट नं० 5 तथा बेलारी-होस्पेट क्षत्र में स्थित डोनीमैलें नामक लौह अयस्क की दो और खानों के विकास की मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त बैलाडिला नं० 14 तथा दायतारी में पूरा उत्पादन होने के फलस्वरूप तथा वराजमदा तथा बेलारी-होस्पेट क्षेत्रों में स्थित विद्यमान खानों से होने वाले उत्पादन में सामान्य विस्तार द्वारा और भी माल प्राप्त होने लगेगा।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में इन बातों की व्यवस्था है : (1) हल्दिया में लौह अयस्क हेतु यन्त्रीकृत घाट का काम पूरा करना, (2) विशाखापत्तनम पर गहरे तल वाली वाह्य बन्दरगाह बनाना, (3) मद्रासी वाह्य बन्दरगाह पर यन्त्रीकृत अयस्क लदान सुविधा की व्यवस्था, (4) मर्म गोआ पत्तन को ज्यादा गहरा करके तथा यन्त्रीकृत अयस्क लदान की सुविधा की व्यवस्था करके उसका आधुनिकीकरण और (5) अयस्क लादने तथा उतारने की दृष्टि से पारादीप पत्तन की क्षमता को बढ़ाने की सुविधाओं में सुधार।

सरकारी प्रयोग के लिये विदेशी कारों की खरीद

3423. **श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

श्री जय सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों

द्वारा स्टाफ-कार या मंत्रियों के सरकारी प्रयोग में आने के लिये विदेशों में बनी कुल कितनी कारें खरीदी गईं और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी प्रयोजनों के लिए आयातित कारों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 1942 के उत्तर में 31 जुलाई, 1968 को पहले ही बतलाया जा चुका है कि सितम्बर, 1966 में अनुदेश जारी किये गये जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/स्वतंत्र विभाग को अनुज्ञा दी गई कि वे 1960 के बाद की बनी बड़े आकार की एक विदेशी कार अपने पास रखें। अगस्त, 1969 में छोटे आकार की विदेशी कारें भी इन अनुदेशों की सीमा-क्षेत्र में लाई गईं। उस समय यह निर्णय किया गया कि भविष्य में प्रत्येक मंत्रालय/स्वतंत्र विभाग केवल एक विदेशी कार, भले ही वह कार बड़े आकार की हो, अपने पास रखे, किन्तु जो भी छोटे आकार की विदेशी कारें पहले खरीदी जा चुकी हैं, उन्हें अपने पास रखें। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1966, 1967 तथा 1968 के दौरान 1960 के बाद की बनी हुई विदेशी कारें जो खरीदी गईं, उनकी संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	विदेशों में बनी हुई बड़े आकार की कार की खरीद	विदेशों में बनी हुई छोटे आकार की कार की खरीद
1966	4	..
1967	2	2
1968	7	2
	13	4

चूंकि ये कारें राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खरीदी गई थीं, इसलिए उन पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ी।

(ख) और (ग). वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को लौह अयस्क का जहाजों द्वारा भेजने तथा उसके निर्यात में संवर्धन

3424. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों ने भारतीय लौह अयस्क के जहाज द्वारा ढोये जाने की व्यवस्था को अन्तिमरूप देने तथा उसके

निर्यात में संवर्धन करने के उद्देश्य से जापान तथा कुछ अन्य देशों का नवम्बर, 1969 में दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तथा कितने अधिकारियों ने किन-किन देशों की यात्रा की और उन यात्राओं पर कितना-कितना खर्च आया ; और

(ग) इन अधिकारियों को अपने उद्देश्य में कहां तक सफलता मिली ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). 15 वर्ष (1970-84) की अवधि के दौरान 21.8 करोड़ मे० टन लौह अयस्क की बिक्री हेतु जापानी इस्पात मिलों को दीर्घकालीन प्रस्ताव के बारे में वार्ता के लिये 12-11-69 को सर्वश्री आर० आर० बहल (नेता के रूप में) और वी० एस० भटनागर, डिवीजनल मैनेजर (विक्री), खनिज तथा धातु व्यापार निगम, टोकियो गये ।

इस प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री भगवान सिंह तथा बी० बी० इंजीनियर, क्रमशः राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष तथा निदेशक, उड़ीसा खान निगम के सर्वश्री श्रीनिवासन तथा अग्रवाल क्रमशः प्रबन्ध निदेशक व निदेशक, और परिवहन मंत्रालय के उप-सचिव श्री ए० यू० शर्मा भी शामिल हैं ।

अभी वार्ता चल रही है । इसलिये वार्ता के परिणाम व उस पर हुए व्ययों की जानकारी प्रतिनिधिमंडल की वापिसी पर ही उपलब्ध हो सकेगी ।

त्रिपुरा में पटसन खरीदने के केन्द्र खोलना

3425. **श्री के० एम० अब्राहम** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री गणेश घोष : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर पटसन खरीदने के लिये त्रिपुरा में 1969 में कितने सरकारी खरीद केन्द्र खोले गये ;

(ख) यदि ऐसे केन्द्र नहीं खोले गये, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के देहाती क्षेत्रों में पटसन 25 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति मन के भाव पर बेचा गया था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने, जो चालू मौसम में पटसन के मूल्य समर्थन की कार्यवाही का प्रभारी है, त्रिपुरा में 30 खरीद केन्द्र खोले हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

Decline in Production of Cotton Mills

3426. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that production in cotton mills has been declining and the cost of production is going up ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to improve this situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) There has been some fall in production and some rise in the cost of production during the year 1969.

(b) The fall in production is due to uneconomic working of some mills, strikes, lock outs, disturbed conditions for some days in certain areas and power cut in certain areas.

The increase in the cost of production is due to rise in the prices of raw material and increase in wages.

(c) It is expected that with the return of normal conditions, the level of production will rise. Government will also investigate into the affairs of closed mills in suitable cases with a view to examining the possibility whether with proper investments, they can be run as viable units.

रबड़ उत्पादों का निर्यात

3427. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रबड़ उत्पादों की पूर्वी यूरोपीय देशों में अच्छी मंडी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय हम देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो देश की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विदेशों में इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जूतों का निर्यात तथा जूता उद्योगों को सहायता

3428. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को भारतीय जूतों का निर्यात काफी बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ हमारे निर्यात व्यापार में काफी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या रूस ने बड़ी संख्या में जूतों के सम्भरण के लिये क्रयादेश दिये हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने जूते बनाने के उद्योग को तकनीकी निर्देशन और वित्तीय सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई है और निर्यात में वृद्धि होने से रोजगार मिलने की स्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) सोवियत संघ, सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, नेपाल, सऊदी अरब, फ्रांस, यूगोस्लाविया, जाम्बिया, कुवैत, जर्मन संघीय गणराज्य, डेन्मार्क, चैकोस्लोवाकिया, नीदरलैण्ड, कतार, सूडान, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, लीबिया, सीरिया, लिओन तथा जापान ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, जूतों के निर्माताओं को विदेशी खरीदारों द्वारा विहित विशिष्टियों के अनुसार जूते बनाने के लिये तकनीकी निर्देशन तथा सहायता प्रदान करता है । जूतों के निर्यातकों/निर्माताओं को विदेशों में प्रचलित नवीनतम डिजाइन तथा फैशन की जानकारी देने के लिये निगम का विचार एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का है । निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया खरीद योजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक निर्माताओं के लिये मशीनों तथा उपकरण के आयात हेतु यन्त्रीकरण योजनाएं तैयार करने में भी सहायता देता है । भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्माताओं को लाभ-हानि-रहित आधार पर वितरण के लिये अपेक्षित किस्म के कच्चे माल की भी थोक में खरीद की जाती है । तकनीकी सहायता के अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम जूते बनाने वाले को उनके उत्पादन को सुधारने और उन्हें दिये गये निर्यात क्रयादेशों को समय के अनुसार पूरा करना सुनिश्चित करने के लिये अग्रिम राशि के रूप में वित्तीय सहायता भी देता है ।

जूतों के निर्यात में हुई वृद्धि से जूता बनाने वाले के उत्पादन में स्थिरता तथा निरन्तरता आई है और रोजगार बढ़ाने में भी सहायता मिली है ।

Report of Inter-Ministry Group on Delhi as Dry Port

3429. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Inter-Ministry Group in regard to declaring Delhi a dry port ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the various advantages thereof and the time by which Government would take a decision in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). The report of the Inter-Ministerial Group on Delhi Dry Port has not yet been received by the Government. The Group has, however, been requested to submit the report as early as possible.

Nationalisation of Tea Gardens in Assam

3430. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of foreigners still owning tea gardens in Assam ;

(b) the extent of Indian capital sent to foreign countries by them ;

(c) whether Government have received certain complaints regarding black-marketing in foreign exchange by them ;

(d) whether Government have also received certain suggestions for nationalisation of these tea gardens ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) 202 gardens in Assam are owned by sterling companies.

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(d) and (e). Nationalisation of the tea industry has been suggested on occasions. But, Government have not felt it necessary to consider, at present, the question of nationalising the tea plantations.

राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री

3431. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने गत वर्ष कितनी और कौन-कौन सी कारें बेचीं ;

(ख) कौन सी कार का मूल्य सर्वाधिक था और कौन सी कार का मूल्य सबसे कम ;

(ग) सरकारी कार्यालयों ने कितनी कारें सीधे प्राप्त कीं ; और

(घ) कारों की बिक्री से राजकीय व्यापार निगम को कमीशन या लाभ के रूप में कितनी राशि मिली है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1968-69 में 686 आयातित मोटरगाड़ियां (कार, स्कूटर तथा मोटर साइकिल) बेची । बेची गई मोटरगाड़ियों की किस्में इस प्रकार थीं :

1. अल्फा रोमियो	21. ओल्डमोबाइल
2. ऑस्टिन	22. ओपेल
3. ब्यूक	23. पिउजिओट

4.	केडिलेक	24.	प्लाइमाउथ
5.	सेड्रिक	25.	पोन्टिअक
6.	शेवरलेट	26.	रेम्बलर
7.	क्रिसलर	27.	रिनौल्ट
8.	सिट्रोइन	28.	साब
9.	कोमर	29.	सिमका
10.	डहसुन	30.	स्कोडा
11.	डॉज	31.	स्टैंडर्ड
12.	फिएट	32.	स्टुडबेकर
13.	फोर्ड	33.	सनबीम
14.	हिलमैन	34.	टोयोटा
15.	होल्डन	35.	ट्रम्फ
16.	हम्बर	36.	वोक्सहाल
17.	जगुआर	37.	वाल्क्सवेगन
18.	कैसर जीप	38.	वॉल्वॉ
19.	मरसेडीज	39.	विली जीप
20.	मौरिस	40.	वॉल्जेली

(ख) सबसे कम कीमत शेवरलेट कैरिऑल की और सबसे अधिक कीमत मरसेडीज बेन्ज 250 की मिली ।

(ग) 73 मोटरगाड़ियां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राज भवनों तथा सरकारी विभागों/उपक्रमों को बेची गई थीं ।

(घ) वर्ष 1968-69 में इस निगम को आयातित कारों की विक्री से 94.66 लाख रुपये का कुल मुनाफा हुआ ।

Territorial Waters

3432. **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the definition of the "territorial waters" by the various countries of the World along with the names of the respective countries ; and

(b) the definition which has been considered to be the best according to the interest of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a). The definition of territorial waters is not regulated by International Convention. Claims of most of the coastal States about territorial waters vary from 3 nautical miles to 12 nautical miles, measured from the appropriate base lines along the coast. Although some countries claim territorial waters extending beyond 12 miles, general international opinion is that international law does not permit extension of territorial waters beyond 12 miles. The position of the various countries by name about the extent of their territorial waters is given in the annexure, laid on the Table of the House.. **[Placed in Library. See L.T.No. 2322/69]**

(b) India's territorial waters extend to 12 nautical miles itno the sea measured from the appropriate base line. A proclamation to this effect was issued by the President of India on the 30th September, 1967, and published in the official Gazette extraordinary bearing the same date, in Part III—Section 2, at pages 3-4. The extension of India's territorial waters is in accordance with international law and customs and safeguards India's interest therein, including those relating to security fisheries and other resources, and fiscal regulations.

Allotment of Seat to Mayor of Delhi on Republic Day Celebration

3433. **Shri Yajna Datt Sharma :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the replies given to Unstarred Questions Nos. 5080 and 427 on the 2nd April and 23rd July, 1969, respectively, and state :

(a) whether a decision has since been taken on the question of allotment of seat of the Mayor of Delhi in connection with Republic Day Celebrations;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the condition in England and other countries in this regard ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). After taking into consideration the position of Mayor in UK and certain other countries, it has been decided that no change need be made in the existing position assigned to the Mayor of Delhi in the Table of Precedence and accordingly seats will be reserved for him at the Republic Day Parade and Beating Retreat ceremony on the said basis.

(c) In the U. K. Mayors traditionally have a very special position within their own jurisdiction. Out of their jurisdiction, they are treated as distinguished citizens without any special precedence. The Lord Mayor of London is equated with Privy Councillors in the Warrant of Precedence even outside his city's boundaries.

In some of the countries in respect on which information has become available, no position has been assigned to the Mayors. The other Mayors do not have a specially high position in the warrant of precedence.

लीबिया के सैनिक शासन को मान्यता प्रदान करना

3434. **श्री दे० अमात :** **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री धी० ना० देव : **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
श्री अजमल खां :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने हाल ही में लीबिया के अरब देश में सत्ता हथिया ली है ;

(ख) क्या सरकार ने नए सैनिक शासन को राजनयिक मान्यता दे दी है ;

(ग) नए सैनिक शासन के प्रति देश में तथा बाहर सामान्य प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) क्या उसे हमारे द्वारा राजनयिक मान्यता दिया जाना प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों और आदर्शों को कायम रखने की हमारी नीति के अनुरूप है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विदेशों में इसकी प्रतिक्रिया देश-देश में भिन्न रही है जो मुख्यतः द्विपक्षीय सम्बन्धों पर निर्भर है। लीबिया में इसकी प्रतिक्रिया से केवल लीबियाई लोगों से ताल्लुक है ।

(घ) समस्त राष्ट्रीय हितों और मान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के आधार पर ही राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं ।

संयुक्त अरब गणराज्य पर इसराइल का आक्रमण

3435. **श्री दे० अमात :** **श्री मीठालाल मीना :**
श्री चं० चु० देसाई : **श्री एम० पी० राममूर्ति :**
श्री जनार्दनन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसरायली सैनिकों ने 9 सितम्बर, 1969 को संयुक्त अरब गणराज्य के विरुद्ध स्वेज नहर के पास पूरे जोरों से आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त अरब गणराज्य के अनेक सैनिक मारे गये ; और

(ख) क्या सरकार को काहिरा स्थित हमारे दूतावास और संयुक्त अरब गणराज्य से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 9 सितम्बर, 1969 को स्वेज नहर पर लड़ाई छिड़ने की खबरें मिली हैं । काहिरा से प्राप्त खबरों से पता चलता है कि यह आक्रमण इजराइली सैनिकों की ओर से हुआ जिन्होंने पहले ही से संयुक्त अरब गणराज्य के भू भाग पर कब्जा जमा रखा है ।

(ख) सरकार को काहिरा स्थित राजदूतावास से इस आशय की एक खबर मिली है ।

मध्य प्रदेश में चौथी योजना के लिये साधनों का बढ़ाया जाना

3436. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री मयावन :**
श्री रा० बरुआ : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने योजना आयोग को सूचित किया है कि वह राज्य चौथी योजना के लिये उन संसाधनों में और अधिक वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है, जितने के बारे में वह पहले बता चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य के दल ने इस संबंध में 23 और 24 सितम्बर, 1969 को योजना आयोग के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चौथी योजना के लिये राज्य साधनों के पुनर्निर्धारण के लिये राज्य सरकार से औपचारिक विचार-विमर्श 24 तथा 25 सितम्बर, 1969 को तथा तत्पश्चात् राज्य के मुख्य मंत्री से 1 दिसम्बर, 1969 को हुए ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है तथा राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है ।

भारत और पाकिस्तान के सेक्टर कमांडरों की करीमगंज में बैठक

3437. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 नवम्बर, 1969 को भारत और पाकिस्तान के सेक्टर कमांडरों की करीमगंज में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों क्षेत्र कमांडरों ने सीमाओं के पार होने वाले अपराधों से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया । विचार-विमर्श के विषयों में शामिल थे :

(1) सीमा के आर पार तस्करी तथा घुसपैठ की रोक-थाम ।

(2) सीमा के आर-पार डकैती तथा अपराधियों की गतिविधि की रोकथाम के लिये उपाय ।

(3) क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भों की मरम्मत और बहाली ।

पाकिस्तान के साथ प्रतियोगिता के कारण भारत के विदेशी पटसन बाजार का समाप्त हो जाना

3438. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा भारत को विदेशों में पटसन बाजार से प्रतिस्पर्धा द्वारा हटा दिये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ख) इस उद्योग में अन्य देशों के साथ मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशों में पटसन माल बाजारों में पाकिस्तान निम्नलिखित कारणों से भारत की अपेक्षा लाभ की स्थिति में रहा है :

(1) पाकिस्तान के अन्दर कम कीमतों पर अच्छी किस्म की पटसन की उपलब्धता ; और

(2) निर्यात बोनस बोचर योजना का लागू होना ।

(ख) अपेक्षित किस्म तथा मात्रा के पटसन की भारत में ही उपज तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । उत्पादन निर्यात के विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

Commission Agents for Export of Goods to East European Countries

3439. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1475 on the 30th July, 1969 and state :

(a) the names and addresses of such associated suppliers who have exported goods of the value of more than Rs. 50,000 to USSR and the countries of Eastern Europe during the last two years ;

(b) the quantity of goods exported by the said associated suppliers during the last two years along with the names of the respective countries ; and

(c) the number of personnel of the said associated suppliers who visited foreign countries during the last two years alongwith their names and addresses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

1974 तक शस्त्रास्त्र में आत्मनिर्भरता

3440. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री ने 21 अक्तूबर, 1969 को पटना में कहा था कि 1974 तक भारत हथियारों, गोलाबारूद तथा अन्य प्रतिरक्षा सामान के उत्पादन में पूर्णतया आत्मनिर्भर हो जायगा ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या 1974 तक प्रतिरक्षा उत्पादन में पूर्ण आत्मनिरर्भता प्राप्त करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी मदों के उत्पादन के लिये क्षमता प्रगतिशीलता से स्थापित की जा रही है कि जिनके संबंध में देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है । तदपि, इतना तो ध्यान होना ही चाहिये कि विज्ञान की शीघ्र परिवर्ती टेक्नालोजी को ध्यान में रखते हुये रक्षा के लिये आत्मनिर्भरता एक तुलनात्मक कथन है ।

नागालैंड में पुनः शान्ति की स्थापना

3441. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1969 में नागालैण्ड की अपनी यात्रा के दौरान इस राज्य में पुनः शान्ति स्थापित करने के बारे में नागा नेताओं से बातचीत की ;

(ख) क्या विद्रोही नागाओं के प्रतिनिधियों ने भी उनसे बातचीत की और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) नागालैंड में पुनः शान्ति स्थापित करने के लिये नागा नेताओं ने क्या प्रस्ताव रखे थे तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या उनकी नागालैंण्ड की यात्रा के समय उन्होंने हिंसात्मक कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कर दी थी, यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान तथा उसके बाद में विद्रोही नागाओं द्वारा की गई हिंसात्मक कार्यवाहियों का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । छिपे नागाओं के संगठन में फीजो-विरोधी दल के श्री साटो सू ने प्रधान

मंत्री को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने राजनीतिक बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की ।

(ग) जिन नागा नेताओं ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने पुनः शान्ति स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव रखे ।

लगभग प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की, यह विचार था, कि हथियार और प्रशिक्षण के लिये, चीन और पाकिस्तान में छिपे नागाओं के आवागमन से शान्ति को खतरा पहुंचा है । प्रधान मंत्री ने नागा नेताओं को यह बताया कि विदेशी शक्तियों के साथ छिपे नागाओं की सांठ-गांठ से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हो गया और सुरक्षा सेनाओं को इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ी । उन्होंने कहा कि नागालैण्ड में यथाशीघ्र सामान्य स्थिति लाई जाए, जिससे वहां के लोग विकास कार्य में लग सकें ।

(घ) 24 सितम्बर, 1969 को, छिपे नागाओं ने जीपों के एक छोटे काफिले पर घात से आक्रमण किया, जिसमें हमारे दो व्यक्ति घायल हो गये । उसके दूसरे दिन, एक असम राइफल दल पर घात से आक्रमण हुआ, और हमारे दो व्यक्ति घायल हुए, जिनमें एक व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गई । छह छिपे नागाओं को गिरफ्तार कर लिया गया ।

नागालैण्ड में इन दो घटनाओं से, छिपे नागाओं के निराशोन्मत्त प्रयास का पता चला जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान अपनी उपस्थिति को नाटकीय रूप देना चाहा और अपना विख्यापन चाहा ।

रबात सम्मेलन के बारे में "मोनोग्राफ" लेख

3443. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 16 और 17 नवम्बर, 1969 को रबात सम्मेलन के बारे में श्री प्राण चौपड़ा, डा० गोपाल दास तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखित अनेक "मोनोग्राफ" संसद सदस्यों को परिचालित किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो यह लेख किसने तैयार कराये थे और सरकार ने उन पर कितनी राशि खर्च की ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन मोनोग्राफों में उनके लेखकों और प्रकाशकों के नाम है । जैसा कि ऐसे मामलों में पहले से किया जाता है, प्रसारित करने के लिये सरकार ने स्वयं उसकी कुछ प्रतियां खरीदी हैं, जिसकी कुल कीमत 9637.47 रुपये है ।

केलों का निर्यात

3444. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केलों के आगामी मौसम में हमारे केलों के निर्यात के सम्बन्ध में कौन से अतिरिक्त बाजार खोजे गये हैं ;

(ख) केलों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये जलगांव (महाराष्ट्र) तथा केरल में केले की फसल में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) आगामी वर्ष में कितनी अनुमानित विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) हमारे केलों के लिये जापान एक अतिरिक्त बाजार बन सकता है परन्तु वहां वाणिज्यिक निर्यात हो सकने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में केलों की निर्यात योग्य किस्मों के उगाने के लिये महाराष्ट्र तथा केरल राज्यों में क्रमशः 1000 तथा 500 हेक्टार भूमि रखने का विचार है ।

(ग) लगभग 60 लाख रुपये ।

राज्य व्यापार निगम का लाभांश

3445. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री दे० अमात :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मीठालाल मीना :
श्री अजमल खां :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में राज्य व्यापार निगम के लाभांशों का ब्योरा क्या हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में लाभांशों के भुगतान में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने जिन वस्तुओं का निर्यात तथा आयात हाल में आरम्भ किया है, उनका ब्योरा क्या है और क्या इससे राजकीय कोष को हानि अथवा लाभ हुआ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा घोषित लाभांश वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान निम्नलिखित थे :

वर्ष	राज्य व्यापार निगम द्वारा घोषित लाभांश
1966-67	20 लाख रु०
1967-68	30 लाख रु०
1968-69	40 लाख रु०

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात तथा आयात को हाल में की गई नई मदों की एक सूची संलग्न है । इन मदों पर कोई भी लाभ या हानि सरकार की न होकर निगम की होगी ।

विवरण

निर्यात की जाने वाली नई वस्तुओं की सूची

लेखन तथा मुद्रण कागज
बिजली के बल्ब
चमकीले टाइल
खुकुरियां
एमरी ग्रेन्स
एबजॉरबेन्ट कॉटन वूल
सजावट सम्बन्धी रोशनी का सामान
कार्डी के बीज का तेल
ट्राइक्लोरों एथिलिन
यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड मोल्डिंग पाउडर रैड लीड नान-सैटिंग
सैलिसिलिक तेजाब
सोडियम सैलिसिलिक तेजाब
डिस्टिल्ड वाटर
यूसाइक्लिन सिरप
चमड़े के जूतों के ऊपरी भाग
कुछ ताजे फल, सब्जियां और फूल

आयात की जाने वाली नई वस्तुओं की सूची

क्लोरऐम्फेनिकॉल पाउडर / पलमीटेट
टैट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड
स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट

हनोई में साम्यवादी चीन के नेताओं के साथ वार्ता

3446. **श्री चं० चु० देसाई :** **श्री अ० दीपा :**
श्री गु० चं० नायक : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह विदेश सचिव के साथ हाल ही में राष्ट्रपति हो-ची-मिन्ह के निधन पर हनोई गये थे;

(ख) क्या हनोई में उनके रुकने के समय साम्यवादी चीन के नेताओं से कोई बातचीत या परामर्श हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Fiat Cars to Rumania

3447. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have concluded an agreement with the Government of Rumania for exporting 2000 Fiat cars to that country ;

(b) if so, the reasons for which Government have decided to export cars inspite of the fact that cars are not available even to the countrymen and their shortage is being experienced in the country ;

(c) whether this step of Government would not promote corruption in the sale of cars ; and

(d) if so, whether Government propose to reconsider their decision and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

रूस और चीनी सेनाओं द्वारा प्रयुक्त एस० एल० आर० राइफलें

3448. **श्री ओमप्रकाश त्यागी :** **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी और चीनी सैनिकों द्वारा अपने प्रयोग में लाई जा रही एस० एल० आर० राइफलें हमारे सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफलों से बहुत हल्की हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन देशों के सैनिकों द्वारा ले जाये जाने वाले कारतूसों का भार हमारे सैनिकों के उतने ही कारतूसों से कम होता है;

(ग) क्या इन विदेशी हथियारों का परीक्षण हमारे इंफैन्टरी स्कूल द्वारा किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इनफैन्ट्री स्कूल ने 0.223" तथा 0.224" बोर की हल्की राइफलों की भी जांच की है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन राइफलों से सम्बन्धित रिपोर्ट भी सभा-पटल पर रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (**श्री स्वर्ण सिंह**) : (क) सोवियत तथा चीनी सैनिकों की एस० एल० आर० भारतीय राइफलों से 300 ग्राम हल्की हैं। भार में यह अन्तर कोई खास नहीं है ।

(ख) जी हां । परन्तु हल्का गोलीबारूद कम दूरी के प्रेशर का तथा कम भेदक होता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) 0.223" बोर की हल्की राइफलों का इनफैन्ट्री स्कूल द्वारा परीक्षण किया गया है । जहां तक ज्ञात है .224" बोर की कोई राइफल नहीं है ।

(च) जी नहीं ।

आयुध कारखानों में असैनिक कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

3449. **श्री ओमप्रकाश त्यागी :** **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) असैनिक पदाधिकारियों में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) आयुध कारखानों, हेवी ह्वीकल फैक्ट्री और एक्सेलरेटिड डराइड फैक्ट्री (अन्तिम दोनों विभागीयतः चलाई जा रही हैं) में 30 जून, 1969 की अराजपत्रित और गैर-औद्योगिक और औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या 139448 थी । अद्यतन आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

Kachchativu Island

3450. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision in regard to Kachchativu ;

(b) if so, the progress made in the talks ;

(c) whether Madras Government have stated that no decision in this regard should be taken without consulting them ; and

(d) if so, the time by which decision in this regard is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d). The question of Kachchativu, is under discussion between the Government of India and the Government of Ceylon through diplomatic channels, and no final agreement has yet been reached. Government of India will naturally take into consideration the views of all interests including Tamil Nadu Government.

परमाणु रिएक्टरों का निर्माण

3451. **श्री गु० च० नायक :**
श्री अ० दीपा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 मेगावाट बिजली का प्रयोग करने के लिये परमाणु शक्ति आयोग ने प्रति वर्ष परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसके लिये योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं;

(ग) इस कार्यक्रम पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) क्या अनुमानित व्यय की अनुमति दे दी गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की वर्षगांठ

3452. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री पीलू मोडी :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में भारत जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य संघ ने जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की बीसवीं वर्ष गांठ मनाने के लिये विदेशों से बहुत से प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था;

(ख) क्या अनेक लोगों ने इस संघ द्वारा इस सम्बन्ध में बहुत अधिक राशि खर्च की जाने की शिकायत की है;

(ग) क्या उसे उपलब्ध हुए धन के स्रोत के बारे में जांच की गई है तथा उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या अनेक संसद् सदस्यों ने भी इस विषय में प्रधान मंत्री से शिकायत की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की बीसवीं वर्षगांठ समारोह के लिये भारत-जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य मैत्री संघ के तत्वावधान में आयोजित विशेष सम्मेलन में 25 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

(ख) से (घ). इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को तीन संसद् सदस्यों का एक पत्र मिला है । इस मामले की जांच की जा रही है ।

राजनैतिक नेताओं को राजनयिक पासपोर्ट जारी करना

3453. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री महेन्द्र माझी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्य के लिये विदेशों को जाने के हेतु विभिन्न राजनैतिक नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राजनयिक पासपोर्ट देने की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार उन सभी लोगों, राजनीतिज्ञ और अन्य, के नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी, जिन्हें गत तीन वर्षों में राजनयिक पासपोर्ट दिये गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 4754 के उत्तर में, 18 दिसम्बर, 1967 को, सदन की मेज पर एक सूची रख दी गई थी, जिसमें उन व्यक्तियों के वर्ग बताये गये थे, जिन्हें साधारणतया राजनयिक पासपोर्ट दिये जाते हैं। राजनयिक पासपोर्ट प्रदान करने की कार्यविधि, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित है।

(ख) 1-11-1965 से 31-10-1968 तक की अवधि में, जिन गैर-सरकारी लोगों को राजनयिक पासपोर्ट दिये गये थे, उनकी सूची, 11 दिसम्बर, 1968 को दिये गये, अतारांकित प्रश्न संख्या 4109 के उत्तर में, सदन की मेज पर रहले ही रखी जा चुकी हैं। परन्तु अब इसकी अद्यतन सूचना तैयार की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

अमरीका के विरुद्ध कोरिया के काउन्सल जनरल की टिप्पणी

3454. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० की० अमीन :
श्री पीलू मोडी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया के काउन्सल जनरल ने अपने एक भाषण में अमरीका के विरुद्ध उत्तेजनात्मक प्रकार के कुछ आरोप लगाये थे;

(ख) क्या इससे, जिसमें एक अन्य देश की, जो कि हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारे देश में आलोचना करने से तीसरा देश सम्बन्धी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कई संसद् सदस्यों ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री से इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार ने कोरियाई लोकतन्त्रात्मक जन-गणराज्य के प्रधान कौंसल द्वारा दिये गये भाषण से सम्बन्धित अखबारी खबरें देखी हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस मामले की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया था। विदेश मंत्रालय ने इस अनुचित व्यवहार की ओर कोरियाई लोकतन्त्रात्मक जन-गणराज्य के प्रधान कौंसल का ध्यान आकर्षित किया है।

Indians in U.K. without Passport

3456. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are in possession of the details regarding Indian nationals who have been risiding in Britain without passports ;

(b) the manner in which they reached Britain and their economic condition there ; and

(c) the number of unauthorised passports seized by our Embassy from Indian nationals and the action being taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) From 1961 to date, 2,400 persons of Indian origin have been identified by the High Commission of India, London as residing in Britain without valid passports. These individuals have been furnished with Certificates of Indian Citizenship (Certificates of Identity) after confirming their national status and verifying their personal particulars from the towns ; districts and villages from which they came and from Seamen's Registration Offices in India, where relevant.

A majority of these persons have taken out either United Kingdom Passports after fulfilling the naturalisation requirements of Britain, or Indian Passports on the basis of the Certificates of Identity issued to them. It is difficult to asertain the number of Indians residing in Britain without valid passports at any given point unless they themselves approach the Consular Office of our High Commission in London, for the issue of a passport or some other valid travel document.

(b) The manner of illegal entry into Britain by persons of Indian origin are the following to the extent that the Government can ascertain :

(i) On the basis of forged passports (of India, United Kingdom or Pakistan).

(ii) By deserting ships when they touch British shores. Such persons are Indian Seamen.

(iii) Entering Britain Clandestinely without any travel documents at all. This is done by landing at various points on the coast of the British Isles by passing immigration control.

(iv) By means illegal overstay in the United Kingdom. Individuals going on short-term visits stay-behind, violating the restrictive conditions of stay imposed over them at the time of their entry.

According to the Government's information, a majority of the immigrants from India earn a reasonable livelihood in the United Kingdom.

(c) Roughly 2,400 illegal passports or travel documents have been seized by our High Commission. Persons who have entered United Kingdom on forged passports and travel documents and have come to the notice of the Government of India, are being denied passport and travel documents facilities for a period of four years from the date of seizure of their illegal travel documents. This leaves them without any definite document of identity as a measure of punishment.

निर्यातकों को प्रोत्साहन

3457. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 में निर्यात के लिये नई नीति की घोषणा के अनुसार प्रोत्साहन केवल उन्हीं निर्यातकों को दिया जायेगा जो अपने माल का निर्यात 6 जून, 1966 से पूर्व करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उन निर्यातकों के प्रति क्या नीति है, जिन्होंने अपने माल का निर्यात इस तिथि से पूर्व किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लुधियाना की दो फर्मों ने घोषणा की उस तिथि से पूर्व अपना माल श्रीलंका को निर्यात किया था और लुधियाना में नियुक्त वाणिज्य विभाग के उच्चाधिकारियों के प्रमाणपत्र के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारियों ने 3 जून, 1966 को उस माल को आगे जाने योग्य घोषित किया था और यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको प्रोत्साहन दिया था, क्योंकि वे अपना माल वापिस लेने में असमर्थ थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने एक पक्ष को प्रोत्साहन दिया परन्तु उन्होंने दूसरे पक्ष को प्रोत्साहन देने से इन्कार किया ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) अवमूल्यन के बाद निर्यातों के लिये सरकार द्वारा घोषित की गई नई नीति के अनुसार केवल 6 जून, 1966 को अथवा उससे पहले किये गये निर्यात ही प्रोत्साहनों के पात्र हैं । यह भी विनिश्चय किया गया कि लदान पत्र में दी गई तारीख निर्यात की वास्तविक तारीख निर्धारित करेगी ।

(ग) और (घ). निर्दिष्ट दो मामले लुधियाना की दो पार्टियों से सम्बन्धित हैं । इन दोनों मामलों में लदान पत्र में दी गई निर्यातों की तारीख 5 जून, 1966 के उपरान्त है । जब कि एक मामले को अस्वीकृत कर दिया गया दूसरे मामले को स्वीकार कर लिया गया जिसे बाद में सम्बद्ध पक्ष की बाद की हकदारियों के आधार पर समंजन करके संशोधित किया गया ।

(ङ) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

हज समिति बम्बई को सहायता

3458. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हज समिति बम्बई को कुल कितनी सहायता दी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार बम्बई हज समिति की विभिन्न राज्यों के हाजियों को लाटरियों द्वारा चुनने के अधिकार को कम कर रही है और हाजियों को स्वयं नामांकित करने के उनके अधिकार को बढ़ा रही है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हज के दौरान हाजियों द्वारा इस्लामी देशों में पाकिस्तानियों की तुलना में धन बहुत कम व्यय किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कुछ नहीं। 1959 के हज समिति अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित बम्बई की हज समिति एक सांविधिक निकाय है। चूंकि समिति को राजस्व प्राप्ति का अपना साधन है, अतः इसे सरकार को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न मुश्किल से उठता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों की हज अवधि में पाकिस्तानी हज यात्रियों ने सऊदी अरब में कितनी धन-राशि व्यय की, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। अतएव, उसी अवधि में भारतीय हज यात्रियों द्वारा सऊदी अरब में खर्च की गई धन-राशि की तुलना उनके साथ करना सम्भव नहीं है।

विदेशी मशीनों का आयात

3459. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत तीन वर्षों में करोड़ों रुपये की कीमत की विदेशी मशीनों का आयात किया ; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितना आयात किया गया, किन मशीनों का आयात किया गया, किन देशों से किया गया, कितने मूल्य का किया गया और किसके माध्यम से किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). सरकार द्वारा तथा अभिकरणों द्वारा किये गये आयातों के अगल-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। आयातों के आंकड़े आयातकवार भी नहीं रखे जाते। एक विवरण (अंग्रजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि में आयातित मशीनों तथा परिवहन उपकरणों के मूल्य तथा उन प्रमुख देशों के नाम दिये गये हैं जहां से ये आयात किये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 2323/69]**

श्रम कानूनों को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करने पर पाकिस्तान का विरोध पत्र

3461. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में कुछ भारतीय श्रम कानूनों को लागू करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक के संसद में पुरःस्थापित किये जाने पर सरकार को पाकिस्तान से कोई विरोध पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पाकिस्तान से प्राप्त विरोध पत्र और हमने उसका जो उत्तर दिया था उसकी एक-एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गई है । यह विरोध पत्र भारतीय प्रदेश पर अपने मंसूबों को और जमाने के लिये भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान सरकार के अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश है । इस विरोध पत्र को अस्वीकार करते हुए, सरकार ने यह आशा व्यक्त की है कि पाकिस्तान भविष्य में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2324/69]**

भारत बर्मा सीमा का सीमांकन

3462. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के साथ सीमांकन के लिये बर्मा सरकार के साथ करार कब किया गया था ;

(ख) दोनों सरकारों द्वारा सीमांकन का कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ग) अब तक कितनी सीमा का सीमांकन किया गया है ; अभी और कितनी सीमा का सीमांकन किया जाना है तथा निर्धारित लक्ष्य क्या है और यह कार्य कब तक पूरा किया जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में अब तक कोई मत भेद हुए हैं और यदि हां, तो उनको किस प्रकार दूर किया गया ; सीमा निर्धारण के परिणाम स्वरूप देश को कितनी भूमि का लाभ अथवा नुकसान हुआ ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) बर्मा के साथ सीमा करार पर 10 मार्च, 1967 को हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) 1 दिसम्बर, 1968 ।

(ग) सीमांकन कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है :

(i) 1968-69 के पहले क्षेत्र कार्य मौसम में 240 मील में सीमांकन किया गया ;

(ii) उम्मीद की जाती है कि 1969-70 के क्षेत्रकार्य मौसम में 250 मील में सीमांकन हो जाएगा ;

(iii) आगे के क्षेत्रकार्य मौसमों के लिये 416 मील में सीमांकन करने का काम बाकी बच जाएगा । अगर काम इसी प्रगति से होता रहा तो उम्मीद की जाती है कि 1973-74 तक सीमांकन पूरा हो जायेगा ।

(घ) जी नहीं । भारत और बर्मा के बीच सीमांकन के प्रश्न पर कोई असहमति नहीं हुई है ।

भारत तथा हंगरी के बीच व्यापार

3463. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान क्षेत्रों दोनों देशों के बीच तथा अन्य देशों के साथ व्यापार में सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विचार विमर्श के दौरान कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते करने पर सहमति हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में सहयोग करने का विचार है तथा किस प्रकार से ; और

(घ) इस समय हंगरी के साथ कितना व्यापार होता है तथा और अधिक सहयोग के बाद इसमें कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जी हां । यह सहमति हुई कि सम्पूरक आधार पर भारत तथा हंगरी के बीच तकनीकी तथा औद्योगिक सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिये सक्रिय प्रयास किये जाने चाहिए । अल्मूनियम उद्योग, दूर संचार, जल गवेषणा तथा सिंचाई जैसे कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें विशिष्ट सहयोग के लिये परस्पर आशाजनक क्षेत्र समझा गया । यह सहमति हुई कि दोनों ओर के विशेषज्ञों के संयुक्त अध्ययन दल इन तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की सम्भाव्यताओं पर विचार करने के लिये मिलेंगे । दोनों पक्षों में तीसरे देशों में उत्पादन तथा विपणन के क्षेत्र में संयुक्त सहयोग की सम्भाव्यताओं पर विचार करने के लिये भी सहमति हुई ।

(घ) गत तीन वर्षों में विपक्षीय व्यापार 1967 में 26.03 करोड़ रु०, 1968 में 22.65 करोड़ रु० तथा 1969 में (जुलाई, 69 तक) 17.81 करोड़ रु० रहा है । आगामी वर्षों में विविधता के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार के ऊंचे स्तरों पर बढ़ने की सम्भाव्यताएं हैं । हंगरी से उपयोगी मदों के आयात करने और परम्परागत मदों के अतिरिक्त, विभिन्न निर्मित तथा इंजीनियरी माल के निर्यात करने के लिये इस दिशा में आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदा-बेचा गया पटसन

3464. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की गोदियों में राज्य व्यापार निगम का कितने मूल्य का पटसन सड़ गया था और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ;

(ख) जब राज्य व्यापार निगम गत दो वर्षों में की गई अपनी खरीद से बाजार पर कोई प्रभाव डालने में असफल रहा है, तो पटसन के समर्थक मूल्यों की योजना को क्रियान्वित करने का कार्य अब उसे सौंपने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस कार्य के लिये 'बफर स्टाक एसोसियेशन' को न चुनने के क्या कारण हैं ;

(घ) राज्य व्यापार निगम के फालतू भण्डार की देख भाल पर प्रति टन अनुमानतः कितनी लागत आती है और पटसन आयुक्त के निदेश के अनुसार उद्योग द्वारा वर्तमान 4,55,000 गांठों से प्रति मास इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जाती है ; और

(ङ) पाकिस्तान में पटसन पर तुलनात्मक शुल्क कितना लगता है और हमारे मूल्यों के विरुद्ध पाकिस्तान में पटसन के मूल्यों के लिये क्या तुलनात्मक रियायतें हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) नगण्य । इसलिए दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) गत मौसम में मूल्य समर्थन सम्बन्धी कोई कार्य नहीं था । वर्ष 1967-68 में राज्य व्यापार निगम की खरीदारियों का बाजार पर अवश्य ही कुछ प्रभाव पड़ा था । उत्पादकों में विश्वास उत्पन्न करने तथा मूल्य समर्थन को गत वर्ष की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस वर्ष पटसन सम्बन्धी मूल्य समर्थन समस्त कार्यों को केवल निगम को ही सौंपा गया है ।

(ग) जूट बफर स्टाक एसोसियेशन द्वारा की गई खरीदारियां सन्तोषजनक नहीं थीं ।

(घ) भण्डारण आदि का अनुमानित खर्च 2241रु० प्रति मे० टन है । पटसन आयुक्त द्वारा जारी किये गये सांविधिक न्यूनतम कोटों पर (क्रय तथा भण्डार के लिए) मिलों द्वारा खरीदारियां खुले बाजार में की जाती हैं ।

(ङ) पाकिस्तान में पटसन की फसल अधिक होने से भारत की तुलना में वहां पटसन की लागत कम है । पाकिस्तान में पटसन सम्बन्धी शुल्कों के विषय में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सार्वजनिक कार्यों में 20 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

3465. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वयोवृद्ध व्यक्तियों के एकाधिकार के कारण 20 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों में व्याप्त निराशा की भावना, जिसमें जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से और वृद्धि हुई है, के सम्बन्ध में जांच कर ली है ;

(ख) सार्वजनिक निकायों जिनमें निर्वाचन होता है आयु वर्ग के अनुपात के लिए आयोग द्वारा नमूना सर्वेक्षण करने का प्रबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि उनका अनुपात 10 प्रतिशत से कम है तो इस आयु वर्ग के लिये 25 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं जो कि जनसंख्या में उनके अनुपात से कम होगा ;

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वयोवृद्धि व्यक्ति रोजगार सम्बन्धी अवसरों को पहले हथिया लेते हैं, योजना आयोग द्वारा बनाये गये रोजगार के अवसरों को इन आयुवर्ग के व्यक्तियों को दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सार्वजनिक निकायों में आरक्षण के उपबन्ध न किये जा सकने पर क्या इस आयुवर्ग के लिए कनिष्ठ मण्डली का उपबन्ध किया जा सकता है, जिसे कि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायों में समय-समय पर संयुक्त प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हो और यदि यह कनिष्ठ मण्डल उस आधार पर निर्वाचित होते हैं जिस प्राधार पर तत्सम सार्वजनिक निकायों में निर्वाचन होता है तो क्या इससे अधिक सक्रिय प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा जिससे देश को आधुनिकतम बनने में सहायता मिलेगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). श्रमिक वर्ग में सम्मिलित होने वाले नये लोगों की रोजगार-समस्या का योजना आयोग अध्ययन करता रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रारूप के निम्न पैराग्राफ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

> "चौथी योजना के दौरान अपेक्षित दिशा में प्रगति की सम्भावना योजना में प्रस्तावित कई कार्यक्रमों की सफलता पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ इनमें ये स्कीमें सम्मिलित हैं—छोटे किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिये विशिष्ट सघन स्कीम, समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तथा वन श्रमिकों तथा निवासियों के लाभ के लिये वन-स्कीमों का प्रशासन, दीर्घावधि पुनर्वास कार्यक्रम तथा जीवनक्षम आधार पर प्रत्येक ग्रामीण उद्योग का विकास तथा उद्योगों को अलग अलग करने तथा छोटे उद्योगों के संरक्षण एवं सतत तकनीकी प्रगति के लिये उपाय। चुने हुए क्षेत्रों में स्थानीय श्रमिकों के लिये स्थायी आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की सम्भावना की जांच करने के लिये एक मार्गदर्शी योजना विचाराधीन है"। (पैरा—21)

यह अनुमान है कि छोटी आयुवर्ग के लोग अन्य बातों के साथ साथ परिकल्पित मार्गदर्शी योजना में अनुमानित स्थानीय श्रमिकों के लिये स्थायी रोजगार की उपलब्धि से लाभान्वित होंगे। योजना के प्रारूप में दिये गये दृष्टिकोण में जो भी संशोधन किया जायेगा चौथी योजना के अन्तिम पाठ में भी दर्शाया जायेगा।

(ख) से (ङ) इनमें ऐसे सुझाव हैं जिनका कार्यान्वयन विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के निर्वाचनों का नियमन करने वाली संवैधानिक तथा अन्य व्यवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए संभव नहीं है।

Expenditure on Exhibition

3466. **Shri Ram Charan :**
Shri Sheo Narain :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of Exhibitions in which the Exhibition Directorate took part during the last three years ;

(b) the total expenditure incurred in this connection in terms of Rupees, and foreign exchange, separately ;

(c) the value of orders booked for the said exhibitions and the value of business transacted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Thirty three.

(b) Rs. 266 lakhs in foreign exchange and Rs. 41 lakhs in Indian currency.

(c) Apart from on-the-spot sale of exibits to the extent of Rs. 169 lakhs, from the indications available from the participants initial business worth Rs. 835 lakhs was booked and business worth Rs. 888 lakhs is under negotiation. The above business does not reflect the totality of export prospects generated since the results in terms of business booked following our participations in foreign exhibitions can be fully gauged over a period of time.

Staff for Expo 70- Osaka Fair

3467. **Shri Ram Charan :**
Shri Sheo Narain :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of newly-recruited Indian workers sent and of those likely to bo sent to the fair to be held at Expo-70 Osaka Japan ; and

(b) the number out of them are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No newly recruited staff has yet been sent to Osaka. The number of staff to be sent is yet to be decided.

(b) Does not arise.

एक्सपो 67 मोनट्रियल मेले के लिये कार्यकर्त्ता

3468. **श्री राम चरण :**
श्री शिव नारायण :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सपो-67 मोनट्रियल मेले के सम्बन्ध में कितने भारतीय कार्यकर्ता भर्ती किये गये तथा इस मेले में भेजे गये ;

(ख) उक्त मेले के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों द्वारा भरे जाने के लिये कितने रिक्त स्थान आरक्षित किये गये थे ; और

(ग) उक्त मेले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पृथक्-पृथक कितने लड़के और लड़कियां भेजे गये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तदर्थ आधार पर एक कत्थक नर्तकी तथा दो संगीतकारों के अतिरिक्त 27 गर्ल-गाइड ।

(ख) और (ग). गर्ल-गाइडों तथा कलाकारों के चयन के विषय में मुख्य आधार नियत कार्यों के लिये उनकी उपयुक्तता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उचित प्रतिरूप पेश करना था, न कि जाति मत अथवा सम्प्रदाय जैसे आधार थे । किन्तु मेले में भाग लेने के लिये प्रदर्शनी निदेशालय के नियमित स्टाफ में अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी का चयन करने का ध्यान रखा गया था ।

Expenditure on Plodive Fair

3469. **Shri Ram Chraan :**
Shri Sheo Narain :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government in foreign cxchange and in Indian currency in Plodive Fair, 1969 ;

(b) the amount of the orders booked in the said fair ; and

(c) the amount of the business done in the said fair ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Against the estimate expenditure of Rs. 2.27 lakhs in foreign exchange and Rs. 1 lakh in Indian currency, expenditure so far incurred amounts Rs. 1,54,706 in foreign exchange and Rs. 43,276 in Indian currency and some more bills are awaited.

(b) and (c). Orders booked which are mostly in the nature of trial orders amount to Rs. 1 lakh and in the event of the Indian goods proving acceptable, substantial business is expected to flow.

इस्पात के निर्यात तथा आयात का राज्य व्यापार निगम को सौंपा जाना

3470. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के निर्यात तथा आयात को राज्य व्यापार निगम को सौंपने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह निर्णय करने से पहले सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के इस्पात उद्योग की सलाह ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विग उद्योग के श्रमिकों को प्रोत्साहन

3471. **श्री नी०श्री-कान्तन नायर :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में विग कारखाने के श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिये कितनी योजनाएं चालू हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी अभी तक अस्थायी हैं तथा कितनों को स्थायी/अर्द्ध-स्थायी घोषित कर दिया जायेगा ; और

(ग) कितने क्वार्टर बनाये गये हैं तथा कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) फैक्टरी के विभागों अर्थात् हैक्लिंग (प्राकृतिक काले बाल) तथा हैक्लिंग (रंजित बाल), में उत्पादन के औसत पर आधारित दो प्रोत्साहन योजनाएं चालू हैं ।

(ख) फैक्टरी के सभी श्रमिक इस समय अस्थायी हैं हालांकि दो श्रमिकों को छोड़कर शेष सभी को नियमित करने के पत्र जारी कर दिये गये हैं । उपयुक्त संख्या में श्रमिकों को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) कर्मचारियों को कोई क्वार्टर बनाकर नहीं दिये गये हैं, परन्तु फैक्टरी औद्योगिक एस्टेट में, जहां फैक्टरी स्थित है, तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाये गये किराये के आवास-खण्डों में, अपने कुछ कर्मचारियों को मकान दिलवाती रही है ।

सूती धागे का निर्यात

3472. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 तथा इस वर्ष सितम्बर, तक कितनी मात्रा में सूती धागे का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष सूती धागे के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में मिलों में सूती धागे के जमा हो गये भण्डार को कम करने में इससे कितनी सहायता मिलेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 31.10.1969 को बिना बिके स्टाक का परिमाण 149 लाख कि० ग्रा० था जब कि 31.12.1963 को 217 लाख कि० ग्रा० था ।

विवरण

वर्ष	परिमाण (लाख कि० ग्रा० में)	मूल्य (लाख रु० में)
1967	110.2	748.5
1968	165.4	1068.8
1969	245.7	1739.1

(सितम्बर, 69 तक अस्थायी)

मोरक्को तथा जोर्डन के साथ निर्यात तथा आयात व्यापार

3473. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मोरक्को तथा जोर्डन को कितना निर्यात किया गया और वहां से कितना आयात किया गया ;

(ख) इन देशों के साथ जारी रहने वाले व्यापार करारों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) रबात काण्ड के पश्चात् इन देशों से अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाये जाने के बाद व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों में मोरक्को तथा जोर्डन के साथ हमारे व्यापार के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

	1966-67		1967-68		1968-69 (लाख रु० में	
	से आयात	को निर्यात	से आयात	को निर्यात	से आयात	को निर्यात
मोरक्को	316	27	153	26	168	40
जोर्डन	369	282	498	212	626	185

(ख) इन दोनों देशों के साथ हमारे व्यापार करार हैं । अप्रैल 1969 में जोर्डन के साथ 1969 के लिये एक व्यापार प्रबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये । इस व्यापार प्रबन्ध के अन्तर्गत सन् 1969 में भारत जोर्डन से 315 लाख रु० के मूल्य के 3,25,000 मे० टन राक फास्फेट का आयात करेगा और जोर्डन को 378 लाख रु० के मूल्य के माल का निर्यात करेगा । भारत तथा मोरक्को के बीच, दोनों देशों के पारस्परिक व्यापार के विस्तार के लिये अगस्त, 1969 में एक करार पर हस्ताक्षर हुये । भारत राक फास्फेट तथा कार्क लकड़ी का आयात करेगा और हरी चाय तथा तम्बाकू का निर्यात करेगा ।

(ग) भारत तथा इन दो देशों के बीच व्यापार पर निकट भविष्य में कोई विशिष्ट प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है ।

Warships of Indian Navy on Goodwill Visit to other Countries

3475. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of warships of Indian Navy sent on goodwill mission to different countries with their names during the current year ; and

(b) the number of warships from different countries (with their names) came in Indian Ocean on goodwill mission during the above period ?

The Minister of Defence and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) A statement is attached.

(b) 27 foreign warships belonging to Britain, USA, USSR, France, Japan, Iran, Thailand, Ethiopia and Australia have visited Indian ports so far during 1969.

Statement

Name of the Ship	Country
Trishul, Rana	Kuwait, Bahrein, Oman
Mysore, Godavari, Gomati	Ceylon, Maldives
Cauvery, Tir, Delhi	Malayasia, Singapore, Australia, New Zealand, Fiji

Trade relations between India and Israel

3476. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the measures adopted to strengthen trade relations between India and Israel ; and

(b) whether any programme is being chalked out for the mutual exchange of trade delegations between the two countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) Private Parties in India are allowed to trade freely with Israel and no restrictions are placed by Government in this regard.

(b) No, Sir.

आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के एक भाग को

कलकत्ता से कानपुर ले जाना

3478. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री ने आयुध

कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के एक भाग को कलकत्ता से हटाकर कानपुर नहीं ले जाने के लिये उनसे एक बार पुनः अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) पश्चिमी बंगाल को सरकार इस विषय पर भारत सरकार से पत्र-व्यवहार करती रही है ।

(ख) राज्य सरकार का यह प्रस्ताव स्वीकार कर पाना सम्भव नहीं हो पाया कि आर्डनेंस ईक्विपमेंट फैक्टरीज ग्रुप के मुख्यालय को कानपुर तबदील न किया जाय क्योंकि इस सम्बन्ध में निर्णय पूर्ण तौर पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रशासनिक कार्यक्षमता के हित में बहुत समय हुआ, लिया गया था । स्थिति राज्य सरकार पर स्पष्ट कर दी गई है और उन्हें इस निर्णय को सुगमतापूर्वक कार्यान्वित करने में सहयोग देने के लिये प्रार्थना की गई है ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार

3479. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 अगस्त, 1969 को लोक सभा में सरकार द्वारा और अधिक उदारता दिखाये जाने की घोषणा को ध्यान में रखते हुये 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों पर इस बीच पुनर्विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्थायी कर्मचारियों के साथ भी स्थायी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस घोषणा से कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है ?

प्रति रक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). तब से रक्षा मंत्रालय द्वारा एक पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप 42 कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । इस पुनरीक्षण के संचालन में अस्थायी और दूसरे कर्मचारियों के बीच कोई विभिन्न भेद नहीं बरता गया ।

कानपुर में विशेष धातु मिश्रित इस्पात के निर्माण के लिये एक कारखाने की स्थापना

3480. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में विशेष धातु मिश्रित इस्पात के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) इस कारखाने की क्षमता कितनी होगी ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सरकार ने कुछ ही समय पूर्व कानपुर में रक्षा क्षेत्र में विशेष धातु मिश्रित इस्पात कारखाने की स्थापना की परियोजना मुख्यतया स्वीकार कर ली है। यह परियोजना कानपुर में वर्तमान आर्डनेंस फैक्टरी योजना का भाग होगी। एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और परियोजना के स्थापना की संभावित तारीख रिपोर्ट मिलने के पश्चात् ही बताई जा सकती है।

(ग) सूचना देना लोक हित में नहीं है।

सैनिक मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए जबलपुर के पास एक आयुध कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

3481. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सैनिक मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिये जबलपुर के पास एक और आयुध कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) इस पर कितना धन खर्च करने का प्रस्ताव है और सम्भावित वार्षिक उत्पादन कितना होगा तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ;

(घ) इसमें कब तक निर्माण आरम्भ हो जायेगा ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जबलपुर में ह्वीकल फैक्टरी लगाने की स्वीकृति नवम्बर, 1965 में दी गई थी।

(ग) पूंजीगत लागत 32 करोड़ रुपये है। अपनी पूर्ण क्षमता में फैक्ट्री 6,000 तीन टन की गाड़ियां और 7,200 एक टन तथा टन की गाड़ियों का उत्पादन करेगी।

यद्यपि उत्पादन का मुख्य लक्ष्य सशस्त्र सेनाओं तथा भारतीय सिविल मार्कीट की मांग को पूर्ण करना है, भविष्य में निर्यात कीसं भावनाओं को ध्यान में रखा गया है। इसमें प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा के विषय में इस समय नहीं बताया जा सकता।

(घ) उत्पादन कार्य 1970 में आरम्भ हो जायेगा और नियमित उत्पादन अन्य दो वर्षों में प्राप्त होने लगेगा।

अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये धन दिया जाना

3482. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्र है कि अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये दिये गये धन का बड़ा भाग प्रशासनिक आवश्यकताओं पर व्यय किया जाता है और इस कारण वास्तविक अनुसंधान कार्य को हानि पहुंचती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को कितना-कितना धन दिया गया था तथा व्यय का मद वार ब्योरा क्या है और किन-किन मामलों में अन्य कार्यों में धन लगाया गया और उनके द्वारा छोड़े गये अप्रयुक्त धन का कारणों सहित ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में मंत्री राज्य (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । यह सच नहीं है कि अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त की गई निधि का अधिक अंश प्रशासनिक आवश्यकता पर खर्च किया जाता है । निधि के अभाव में अनुसंधान कार्य में कोई रुकावट नहीं आई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अनुसंधान तथा विकास संगठन को सरकार द्वारा समग्रतौर पर निधि अलाट की जाती है, और समय-समय पर आवश्यकताओं पर निर्भर मुख्यालयों द्वारा प्रत्येक एस्टेब्लिशमेंट को राशि अलाट की जाती है । 1967-68 और 1968-69 में वास्तविक तौर पर अलाट की गई तथा खर्च की गई राशियां नीचे दी गई हैं :

1967-68 वर्ष	**वृहत तथा लघु निर्माण कार्य**	**वेतन और भत्ते**	**स्टोरों का क्रय**	**नेट बचत**
		लाख रुपयों में		
स्वीकृत राशि 220.70	545.00	67.77	427.00 कुल जोड़ 1260.47	
खर्च की गई वास्तविक राशि 202.62	*557.50	65.10	352.03 कुल जोड़ 1177.25	
—18.08	+12.50	—2.67	—74.97	—83.22
1968-69 वर्ष				
स्वीकृत राशि 251.29	609.30	86.67	465.00 कुल जोड़ 1412.26	
खर्च की गई राशि 156.27	*633.75	83.66	399.09 कुल जोड़ 1269.77	
—95.02	+24.45	—3.01	—65.91	—139.49

*इन राशियों में लगभग 18 प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारीगण के लिये थी और शेष अर्थात् 82 प्रतिशत वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारीगण के लिए ।

उपयोक्त सारणी से पता चलेगा कि इस्तेमाल की गई राशि स्वीकृत राशि के 10 प्रतिशत से कम है । इस बचत के कारण यह है कि स्टोर और साजसामान के लिये भेजे गये कुछ आर्डर कार्यान्वित नहीं हुए थे, और निर्माण कार्यों के उद्देश्यों के लिए भूमि अर्जन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ।

Danapur Cantonment Board

3483. **Shri Ram Avatar Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of roads falling in the jurisdiction of Danapur Cantonment Board is very bad ;

(b) if so, the number of years for which they have not been repaired ;

(c) whether Government have given any grants to the said Board for the repair of these roads during the last three years ;

(d) if so, the details thereof, year-wise ;

(e) whether Government propose to give more financial aid to the said Board ; and

(f) if so, the amount thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (f). It is correct that the condition of roads in Dinapur cantonment is unsatisfactory. The Cantonment is a deficit Cantonment and has not been able to spare adequate funds for road repairs. A special grant-in-aid of Rs. 10,000 was sanctioned to the Cantonment Board during 1966-67 for road repairs. Request for special grant-in-aid of Rs. 50,000 has been received by Government and is under consideration. Decision will be taken in respect thereof taking into account **inter alia** the funds available and the competing claims of various other Cantonments.

सूती कपड़े के उत्पादन की सीमा

3484. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री कृ० मा० कौशिक :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में मिलों द्वारा सूती कपड़े के उत्पादन की सीमा निर्धारित करने तथा कपड़ा उद्योग के क्षत्रों का विकेन्द्रीकरण करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्योग के साथ कोई विचार-विमर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकेन्द्रित क्षेत्र तथा मिल क्षेत्र द्वारा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). जी, नहीं ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राज्यों को धन का नियतन

3485. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद मुख्य मंत्रियों के साथ नवम्बर में हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा राज्यों के लिये धन राशि के पृथक-पृथक नियतन पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श किया गया है ; और

(ग) केरल राज्य के लिये धन के नियतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों और सरकारी उद्यमों द्वारा ऋण लेने के कार्यक्रमों पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रकाश में पुनर्विचार किया गया है और उन्हें संशोधित करके बढ़ाये जाने की सम्भावना है ।

(ग) यह मामला अभी विचाराधीन है । बहरहाल, आशा है कि चौथी योजना अवधि में केरल की सरकार और सरकारी उद्यमों द्वारा बाजार से लिया जाने वाला ऋण चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में निर्दिष्ट राशि की अपेक्षा अधिक होगा ।

चाय का निर्यात

3486. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से वर्ष 1967 और 1968 में चाय का कुल निर्यात कितना किया गया ; और

(ख) भारतीय चाय के मुख्य आयातक देशों के नाम क्या हैं और आयात करने वाले इन देशों में से प्रत्येक देश को कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारत से 1967 तथा 1968 में 213,676 हजार कि० ग्रा० (मूल्य 189,03,84 हजार रुपये) तथा 208,440 हजार कि० ग्रा० (मूल्य 166,48,25 हजार रुपये) चाय का निर्यात किया गया ।

(ख) वर्ष 1967 और 1968 में भारत से मुख्य देशों को निर्यातित चाय का मूल्य निम्नलिखित है :

देश	1967	1968
ब्रिटेन	107,55,81	83,19,51
पश्चिम जर्मनी	2,44,50	4,21,96
आयरिश गणराज्य	5,76,89	5,30,76
नीदरलैंड	3,27,80	2,86,72
सोवियत संघ	20,03,81	20,58,62
अन्य पूर्व यूरोपीय देश	3,82,12	2,65,90
अफगानिस्तान	3,57,61	6,39,06
बहरीन द्वीप	23,71	35,11
इराक	1,42,68	4,41,65
ईरान	2,89,71	3,76,58
कुवैत	15,06	20,57
कतार, ट्रशल ओमन	1,62,95	2,16,12
जोर्डन	91,72	1,22,07
संयुक्त अरब गणराज्य	10,79,16	5,51,93
सूडान	5,19,70	6,46,20
ट्यूनिशिया	2,58,72	53,66
कनाडा	3,46,26	3,10,14
संयुक्त राज्य अमरीका	6,85,72	6,39,94
आस्ट्रेलिया	4,26,24	4,50,94
न्यूजी लैण्ड	36,41	43,35
अन्य देश	1,77,26	2,17,46
	189,03,84	166,48,25

पटसन के सामान का निर्यात तथा कच्चे पटसन का आयात

3487. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तथा उससे पहले वर्ष भारत से निर्यात किये गये पटसन से निर्मित सामान कुल कितने मूल्य का है ; और

(ख) उक्त अवधि में आयात किये गये कच्चे पटसन का कुल मूल्य कितना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख).

वर्ष	पटसन के सामान के निर्यातों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	कच्चे पटसन के आयातों का मूल्य (करोड़ रु० में)
1968-69	217.25	16.46
1967-68	233.50	4.89

Purchases made by Ministry of Defence from Pnblic Undertakings/ Private Undertakings and Imports

3488. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the percentage of the annual purchases for his Department, which were made from the Public Undertakings/Private Undertakings and through imports last year ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : Information to the extent possible will be collected and laid on the Table of the House.

Swift Movement of Troops in time of need

3489. **Shri Maharaj Singh Bharati :** **Shri K. M. Kaushik :**
Shri Gandilingana Gowd : **Shri R. K. Amin :**
Shri Mahendra Majhi : **Shri J. Mohammed Imam :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state the steps taken by Government to ensure swift movement of Army in the country in time of need keeping in view the vastness and difficult mountainous terrains and deserts in the country ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : Plans exist to ensure swift movement of Army in an emergency. It will not be in public interest to divulge details thereof.

Withdrawal of American forces from Vietnam

3490. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have advised the Government of U. S. A. to expedite withdrawal of American forces from Vietnam which is being done by the latter Government in response to the campaign launched by the American citizens for this purpose ;

(b) if so, the reply received from the Government of U. S. A. thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The discussions that the Government of India has been having with the United States Government on the situation in Vietnam are confidential and cannot be divulged. However, the Government of India has on several occasions made its position clear, namely, that it is in favour of the withdrawal of all foreign forces from Vietnam and a peaceful solution based on the wishes of the Vietnamese people, without foreign interference.

दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण

3492. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों ने गांधी शताब्दी दिवस पर महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के लिये एक प्रमुख भारतीय नेता को वहां आने के लिये आमंत्रित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नेता को, दक्षिण अफ्रीका जाने के लिये पासपोर्ट और विदेशी मुद्रा की मंजूरी नहीं दी गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । सरकार ने उन्हें पासपोर्ट तथा विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित सुविधाएं दी थीं ।

भारत, फ्रांस तथा अफ्रीकी देशों के बीच त्रिपक्षीय व्यापार करार

3493. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के साथ कोई त्रिपक्षीय व्यापार करार किया गया है जिसके अन्तर्गत भारत अफ्रीकी देशों को माल निर्यात करेगा और ये इसके बदले अपनी वस्तुएं फ्रांस को निर्यात करेंगे ताकि फ्रांस अपनी मशीनरी तथा उपकरणों का भारत को निर्यात करे ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) भारत द्वारा अफ्रीकी देशों को कौन-कौन सी तथा कितनी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा और उनके बदले फ्रांस से कौन-कौन सी तथा कितनी मात्रा में वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

पटसन उद्योग को करों में राहत

3494. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 सितम्बर, 1969 को कलकत्ता में हुई 'गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन' की वार्षिक बैठक में संस्था के अध्यक्ष ने पटसन उद्योग को निर्यात शुल्क आदि को समाप्त करने के रूप में तथा अन्य प्रकार से वित्तीय राहत देने की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि पटसन उद्योग फिर से सामान्य स्थिति में आ जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उस बैठक में और क्या मांग की गई थीं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) कालीन अस्तर कपड़े के निर्यात के रुख की समीक्षा करने पर सरकार ने 10-12-1969 से इस मद पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 600 रु० प्रति मे० टन से कम करके 300 रु० प्रति मे० टन करने का विनिश्चय किया है । उद्योग भी मूल्यों में 300 रु० प्रति मे० टन की अन्य कमी कर रहा है । अन्य मदों पर लगने वाले निर्यात शुल्क में कमी करने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बोरे व्यापारी संघ द्वारा वित्तीय राहत सम्बन्धी सुझावों के अतिरिक्त दिये गये अन्य सुझाव तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है :

सुझाव	सरकार की प्रतिक्रिया
1. पटसन के उत्पादन और उसके मूल्य के स्थिरीकरण के लिये पर्याप्त रक्षित भंडार होना चाहिये ।	यह सरकार का लक्ष्य है ।
2. अधिक भूमि में पटसन की खेती की जानी चाहिए ।	इस सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।
3. रेशे को गलाने के लिये उपयुक्त तालाबों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।	
4. पटसन मिलों को आधुनिकीकरण के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।	उत्पादन में विविधता लाने के लिए पटसन मिलों को भारतीय वित्त निगम के माध्यम से पहले से ही ऋण दिए जा रहे हैं। तेजी से आधुनिकीकरण करने के लिए पटसन उद्योग को भी अधिक विकास छूट देने के लिये आयकर अधिनियम की अनुसूची पांच में सम्मिलित कर लिया गया है ।

चाय उद्योग को सहायता

3495. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय एसोसिएशन की सामान्य सभा की वार्षिक बैठक में उन्होंने चाय उद्योग को आश्वासन दिया था कि सरकार चाय उद्योग के अपने विकास प्रयत्नों के बराबर इसे राजकोषीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वह विश्व बाजार में चल रही जोरदार प्रतियोगिता का, जिसके कारण मूल्य कम होने लगे हैं, सामना करने योग्य हो सके ;

(ख) यदि हां, तो चाय उद्योग को दिये गये आश्वासनों के संदर्भ में इस उद्योग को क्या सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) चाय उद्योग की मांगें क्या हैं, जो उक्त बैठक में उठाई गई थीं और सरकार उनको कहां तक पूरा कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशी व्यापार मंत्री ने बताया कि सरकार चाय उद्योग के स्वस्थ विकास में अत्यधिक रुचि रखती है ताकि यह अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाये रख सके। उन्होंने यह बात भी कही थी कि निर्यात के बाजारों में चाय के मूल्यों में, उनके विद्यमान स्तर में सुधार करने के लिये और उन्हें निकट अतीत के मूल्यों के स्तर तक फिर से लाने के लिये मांग में वृद्धि के साथ ही निर्यात पूर्ति में वृद्धि समान होनी आवश्यक है।

(ख) अक्तूबर, 1968 तथा मार्च, 1968 में निर्यात तथा उत्पादन शुल्कों में सारवन राहत दी जा चुकी है, फिर भी स्थिति की सतत समीक्षा की जा रही है। चाय के मूल्यों को स्थिर करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय उपायों पर बातचीत हो रही है। मारिशस में हुई चाय निर्यातक देशों की एक बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि वर्ष 1970 के अनुमानित निर्यातों से 9 करोड़ पौंड चाय हटा ली जायेगी। इस विनिश्चय को प्रभावी बनाने तथा मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक उपायों पर और भी अध्ययन करने के लिए विनियम बनाने के लिये चाय संबंधी एक परामर्शदायी समिति का गठन किया गया है।

(ग) (1) **निर्यात शुल्क की समाप्ति तथा चाय के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की वापसी।**

अक्तूबर, 1968 तथा मार्च, 1969 में निर्यात तथा उत्पादन शुल्क में पहिले ही काफी राहत दी जा चुकी है। फिर भी स्थिति की सतत समीक्षा की जा रही है।

(2) **पश्चिम बंगाल प्रवेश कर की वापसी।**

पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी प्रकार की चाय के कलकत्ता अथवा 24 प्रगना में उपयोग, खपत और साधित करने के लिये आई चाय पर 13.78 पैसे प्रति किग्रा० का कर लगाया गया है। खेप के आधार पर सीधे निर्यातित चाय पहले से ही इस कर से मुक्त है।

(3) यह मामला काफी हद तक राज्य सरकारों से संबद्ध है। कतिपय राज्यों में कतिपय ऐसे भूखण्डों को हस्तगत करने की चेष्टा रही है जोकि चाय बागानों को दिये गये अनुदान अथवा पट्टे के रूप में हैं। जहां भी यह आवश्यक समझा गया है कि भूमि चाय की खेती अथवा विस्तार के लिये जरूरी है वहां राज्य सरकारों ने चाय बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करना सम्भव पाया है।

(4) **आयु सीमा पर आधारित पुनर्रोपण उपदान देने की कसौटी में सुधार होना चाहिये ।**

इस मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

लौंग का आयात

3496. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की लौंग का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि लौंग के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और इससे इस के मूल्यों में प्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ग) गत एक वर्ष में हर महीने लौंग की प्रति किलो कितनी कीमत रही है; और

(घ) देश में उपलब्ध साधनों से इसकी सप्लाई में वृद्धि करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) पिछले तीन वर्षों में आयात किये गये लौंगों की मात्रा तथा उनका मूल्य नीचे दिया गया है ।

लौंगों का आयात

वर्ष	मात्रा किलोग्राम	मूल्य रुपये 1000)
1966-67	119,306	586
1967-68	941,922	5286
1968-69	44,893	272

(ख) लौंगों के आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। वास्तविक प्रयोगताओं को सीमित आधारों पर इसका आयात करने की अनुमति है । यह सच है कि लौंगों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

(ग) पिछले एक वर्ष के प्रत्येक मास के अन्त में देश के महत्वपूर्ण बाजारों में लौंगों को थोक मूल्य निम्नलिखित थे :—

मूल्य प्रति किलोग्राम

मास	मद्रास	बम्बई	कलकत्ता
1968			
दिसम्बर	61.00	62.00	56.00
1969			
जनवरी	63.00	72.25	56.00
फरवरी	66.00	105.00	80.00
मार्च	70.00	97.00	100.00

मूल्य प्रति किलोग्राम

मास 1969	मद्रास	बम्बई	कलकत्ता
अप्रैल	100.00	111.50	100.00
मई	125.00	165.00	100.00
जून	---	160.00	—
जुलाई	140.00	147.00	—
अगस्त	—	158.50	—
सितम्बर	140.00	156.00	—
अक्तूबर	140.00	175.00	—
नवम्बर	160.00	180.00	—

(घ) सप्लाई में वृद्धि हेतु लौंगों के आयात तथा इसके मूल्य को कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

शराब का आयात

3497. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों से आयात की गई शराब का कुल मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार अपनी घोषित नीति के अनुरूप विदेशी शराब के आयात को कम करने का प्रयत्न कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) गत तीन वर्षों में आयातित शराब का कुल मूल्य (शराब, सिडार, जौ की शराब, मदिरा, आसव पेयों सहित) निम्नलिखित था :—

(अवमूल्यन के उपरांत की दरें)

	लाख रु०	
1966-67	27.29	(आंकड़ों में निषिद्ध, जब्त की हुई, चोरी-छिपे
1967-68	36.92	लाई गयी, अनधिकृत आयातित तथा व्यापार
1968-69	69.12	आंकड़ों में पृथक न दिखाई गई वस्तुएं सम्मिलित हैं)।

(ख) तथा (ग). वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये विदेशी शराब के आयात की नीति प्रतिबन्धात्मक है। किन्तु वास्तविक आयातों में वे शराब शामिल है जो भारत में विदेशी मिशनों, पर्यटन होटलों, क्लबों, राज्यपालों के उपयोग के लिये तथा निर्धारित सीमा के भीतर एकाकी व्यक्तियों द्वारा उपहार के रूप में होती हैं।

विदेश प्रचार की अपर्याप्तता

3498. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुभव किया गया है कि विदेशों में हमारा प्रचार पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान समय में हमारा विदेश प्रचार संगठन अपर्याप्त तो है, फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। निधि, उपकरण और मानव-शक्ति के उपलब्ध संसाधनों के परिसीमन के बावजूद, हम निरन्तर ही अपने विदेश प्रचार के सुधार में लगे हुए हैं।

(ग) अतिरिक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों को अन्यत्र लगाने के बजाय विदेशों में अपने इस काम में लगाने के सवाल पर अपनी अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विचार करना होगा।

सैनिक कर्मचारियों के लिए उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्र भत्ता

3499. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना को उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्र भत्ता नेफा में सैनिक कार्यवाही के बीच में 6 अक्तूबर, 1962 को मंजूर किया गया हालांकि सैनिक एजुटेंट ने काफी समय पहले इसके दिये जाने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1965 में पाकिस्तानी संघर्ष में सैनिक कार्यवाही के दौरान इसी प्रकार पेंशन की दरों में वृद्धि की घोषणा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में सैनिक कार्यवाही के दौरान इस प्रकार के संशोधनों को बन्द करने का सरकार का विचार है ?

प्रति रक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिकों को उत्तुंग पर्वतीय/अस्वास्थ्यकर जलवायु भत्ते की मंजूरी के सरकारी आदेश 1 अक्तूबर 1962 को जारी किए गए थे। यह आदेश 1 अप्रैल, 1962 से लागू किये गए थे।

(ख) 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध कार्यवाही में पेंशन दरों में इसी प्रकार के किसी अन्य भत्ते की वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की गई थी। यद्यपि 17 सितम्बर, 1965 को सरकार द्वारा सेना कार्मिकों के 5 अगस्त, 1965 को अथवा उसके पश्चात पाकिस्तान के विरुद्ध कार्यवाही में मरने अथवा अपाहिज होने पर दिये जाने वाले कैज्युअल्टी पेंशनरी अवार्ड में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए थे।

(ग) प्रतिरक्षा सेना कार्मिकों को सेवा सम्बन्धी शर्तों को सदैव ध्यान में रखा जाता है और समय-समय पर उसमें आवश्यक सुधार किये जाते हैं।

ब्रिटेन को किये जाने वाले निर्यात में गिरावट

3500. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के साथ हमारा व्यापार बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पटसन के व्यापार में पाकिस्तान ने तथा चाय के व्यापार में लंका ने हमें पीछे छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो हानि की पूर्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी-अगस्त, 1969 में ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापार में गिरावट, गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में, उस देश को किए जाने वाले हमारे निर्यात तथा आयात व्यापार में हुई गिरावट, के कारण हुई है । निर्यात पक्ष में विपुल गिरावट, चाय, कपास तथा पटसन माल, तम्बाकू तथा निर्धारित वनस्पति तेल के निर्यात में हुई अत्याधिक कमी के कारण हुई है । आयात पक्ष में न केवल ब्रिटेन से ही हमारे आयात में गिरावट हुई है अपितु हमारे समूचे आयातों में भी कमी हुई है ।

(ग) कच्चे पटसन की कम कीमत तथा बोनस वाऊचर स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं के कारण पटसन माल के पाकिस्तानी निर्यातक, भारतीय मूल्यों से, कम मूल्य उद्धृत कर सकते हैं परन्तु चाय के विषय में हमें अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि श्री लंका हमें पीछे छोड़ गया है ।

(घ) पटसन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए है :

(क) देश में पटसन की अपेक्षित किस्म तथा मात्रा के उत्पादन तथा उपज में वृद्धि करने के लिए सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) आधुनिकीकरण की गति को बढ़ाने के लिए यह निश्चय किया गया है कि उच्च विकास छूट के प्रयोजनार्थ पटसन उद्योग को आयकर अधिनियम की अनुसूची 5 में शामिल किया जाए ।

(ग) पटसन उद्योग में उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से मिलों को ऋण सहायता दी जा रही है ।

चाय के संबंध में अपनी प्रतियोगी स्थिति को सुधारने के लिये चाय उद्योग के लिए पर्याप्त राजकोषीय राहतें दी गई हैं । भारतीय चाय की ख्याति बढ़ाने के लिए भी जोरदार कदम उठाए जा रहे हैं ।

सस्ते रेडियो का निर्माण

3501. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के इलेक्ट्रानिक उद्योगों की एसोसिएशनों के महासंघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह एक मात्र लघु उद्योग क्षेत्र में सस्ते रेडियो बनवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात के लिये राजसहायता

3502. **श्री विश्व नाथ मेनन :**
श्री अ० कु० गोपालन
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल जटा उद्योग के श्रमिक संगठन और निर्माता संगठन से नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात के लिये राजसहायता देने के बारे में हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या नारियल जटा उद्योग में हाल के संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार इस उद्योग को राजसहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी, ताकि यह विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता कर सके ; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). नारियल जटा के उत्पादों के निर्यातों पर नकद सहायता देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं और नारियल जटा बोर्ड से परामर्श करके इन पर विचार हो रहा है ।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

3503. **श्रीमती सुधा वि० रेड्डी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व सैनिकों को भिन्न-भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि तथा उद्योग में रोजगार देने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस समय कितने भूतपूर्व सैनिकों को अभी बसाना शेष है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर कुल कितना धन खर्च किया जायगा और उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में भिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में कृषि तथा उद्योग में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ग) सूचना प्राप्त नहीं। इसे इकट्ठा करने में अन्तर्ग्रस्त समय और प्रयास प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरुप न होगा।

न्यूक्लियर मास (द्रव्यमान) सहित न्यूक्लियर ईंधन के विखण्डन (फिशन) तथा संगलन (फ्यूजन) में प्रयोग सम्बन्धी नीति

3504. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े आकार के न्यूक्लियर द्रव्यमान सहित न्यूक्लियर ईंधन के विखण्डन तथा संगलन में प्रयोग सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसी नीति भारतीय अणु वैज्ञानिकों को परमाणु विस्फोटों की विखण्डन तथा संगलन प्रक्रियाओं के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने से रोकती है और परमाणु ऊर्जा के इंजीनियरी तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिये प्रयोग में लाने के मार्ग में बाधा डालती है ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय वैज्ञानिकों को परमाणु इंजीनियरी प्रौद्योगिकी के ज्ञान से वंचित करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) हमारी नीति दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित में सर्वश्रेष्ठ है।

(ग) परमाणु ऊर्जा के सभी शांतिमय उपयोगों की पूरी जानकारी रखना हमारा ध्येय है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शास्त्रास्त्रों की सीमा निर्धारित करने के बारे में हेलसिंकी में वार्ता

3505. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शास्त्रास्त्रों की सीमा निर्धारित करने के बारे में हाल ही में हेलसिंकी में रूसी-अमरीकी बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। हेलसिंकी में, 17 नवम्बर, 1969 से जो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता प्रारम्भ हुई है, उसका

उद्देश्य इन दो नाभिकीय शक्तियों के बीच की सामरिक अस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करना है। यह बातचीत अभी चल रही है और इसका विवरण बताया नहीं गया है।

(ग) बातचीत का परिणाम जाने बिना हम उसके बारे में अपना कोई मत स्थित नहीं कर सकते। निरस्त्रीकरण के लिये सच्चे हृदय से किये गये किसी भी उपाय का भारत स्वागत करेगा।

चौथी योजना में अणुशक्ति विकास नीति

3506. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना अवधि के लिये अणुशक्ति विकास नीति को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां। परमाणु ऊर्जा का विकास करने के कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य हैं :

(1) विज्ञान की मूल शाखाओं में प्रगत अनुसंधान करना एवं राष्ट्रीय विकास-कार्यों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी का विकास करना।

(2) विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघर स्थापित करना।

(3) इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिये अपेक्षित क्षमता का विकास एवं आवश्यक सामग्री का उत्पादन देश में ही करना।

(4) कार्यक्रम के संचालन के लिये आवश्यक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशनों को प्रशिक्षण देना।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूस और अमरीका को जूतों का निर्यात

3507. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत रूस और अमरीका को जूतों का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक देश को कितने प्रकार के जूते भेजे जाते हैं और प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और इनके निर्यात से प्रत्येक देश से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय सरकार की चमड़े का माल निर्यात करने की मोटी नीति क्या है और चौथी योजना के लिये क्या नीति होगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1968-69 के दौरान सोवियत संघ और अमरीका को निर्यातित जूतों के प्रकार तथा उनकी मात्रा और मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

परिमाण लाख जोड़ों में
मूल्य लाख रु० में
(अवमूल्यन पश्चात् दर)

क्रमांक	निर्यातित जूतों के प्रकार	देश	1967-68		1968-69	
			परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1.	चमड़े के तलों वाले जूते	सोवियत संघ	9.13	342	8.89	286
		अमरीका	11.10	95	10.56	91
2.	रबड़ के तले तथा रबड़ अथवा प्लास्टिक के ऊपरी भाग वाले जूते	सोवियत संघ	—	—	0.25	2
		अमरीका	11.41	65	15.60	86

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Cashewnuts and Tea

3508. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India had been and can earn a large amount of foreign exchange as a result of export of cashewnuts and tea ;

(b) the reasons for which the export of the said commodities has fallen in 1968 as compared to 1960 ;

(c) whether it is a fact that the countries of East Africa are earning double profit as a result of competing in the export of tea ;

(d) if so, the measure proposed to be adopted by Government in view of foreign markets in respect of tea and cashewnuts ; and

(e) whether it is also a fact that owners of the tea industry have been demanding reduction in taxes for a very long time ; if so, whether Government propose to consider their demand in view of the present circumstances ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chawdhary Ram Sewak) :(a) Yes, Sir.

(b) There was no fall in cashew exports during 1968 as compared to exports during 1960.

The quantum of exports of tea during 1968 was larger as compared to the exports in 1960. But the foreign exchange earnings from tea during 1968 were however less-the main reason being lower unit value realised per kilogram during 1968 due to the supply of tea being in excess of demand in the export market and due to increasing production of tea particularly in East African countries.

(c) The quantity of tea exported by East African countries has nearly doubled in 1968 as compared to 1960, the average price per kilogram realised by them on tea sold at London auction in 1960 and 1968 were 8s–8d and 8s–4d per kilogram respectively ;

(d) In so far as tea is concerned, Government have already given substantial fiscal relief to the tea industry in the current year's budget. Various promotional measures are also undertaken to increase the export of tea to foreign countries. International measures to stabilise tea prices have been under discussion under the auspices of the F. A. O.

As regards cashewnuts, promotional measures are taken in the form of participation in fairs and exhibitions abroad, distribution of publicity booklets, periodicals and pamphlets, sending trade delegation and study-cum-sales teams abroad, conducting market survey, display of samples and presentation samples of cashewnuts and publicity through advertisement abroad. The registered cashew exporters are also allowed to import packaging material upto 2% of the F. O. B. value of export of cashew kernels.

(e) In so far as tea is concerned, there was a reduction in duties in October, 1968 and again in March, 1969.

Export of Silk Cloth of Madhya Pradesh

3509. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation has earned profit by exporting the silk cloth of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to give incentive in respect of this trade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Tussar is the main silk which is largely produced in Madhya Pradesh and exported by the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd. which earns the normal profit on exports.

(b) Following main steps have been taken to step up exports of natural silk goods :

(i) Introduction of replenishment scheme covering all types of natural silk goods with effect from 1. 4. 1969.

(ii) Agreement with E. E. C. countries for duty free entry for handloom silk fabrics in those countries to the extent of 1 million annually.

(iii) Agreement with Australia for duty free entry of Indian handloom silk fabrics into that country without any quantitative restrictions ; and

(iv) Reduction of import duty on raw silk from 50 per cent ad valorem plus Rs. 8.80 per kg. to 30 per cent ad valorem with effect from 28. 3. 1968

Powerlooms in Maharashtra and Madhya Pradesh

3510. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the restrictions imposed by Government vide their Resolutions No. 9 (42)-Tex (C)/64, dated the 2nd February, 1966 have affected adveresly the powerlooms of Maharashtra and Madhya Pradesh and the financial position of the powerloom owners has deteriorated ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak):
(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Land Allotted to Landless Army Personnel from Madhya Pradesh

3511. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of landless army personnel, who have been allotted land during the period from January, 1969 to 31st October, 1969 in Madhya Pradesh; and

(b) the number of applications still under consideration for allotment of land in the State?

The Deputy [Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

विश्व में भारत द्वारा निर्यात की स्थिति

3512. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह:** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का दर्जा धीरे-धीरे नीचे आता जा रहा है तथा वर्ष 1961 से अब तक उसका दर्जा छः स्थान नीचे आ गया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि जो देश भारत के आगे निकल गये हैं, वे विकासशील देश एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका हैं;

(ग) क्या भारतीय निर्यात का पहले वाला दर्जा पुनः प्राप्त करने तथा इसमें और सुधार करने के उद्देश्य से क्या भारत ने उक्त विकासशील देशों की प्रगति के कारणों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित सितम्बर, 1969 के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों के अनुसार उन देशों में, जिनके लिये उपरोक्त प्रकाशन में आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं,मूल्य की दृष्टि से भारत का स्थान वर्ष 1961 में सोलहवां और वर्ष 1968 में बाइसवां था।

(ख) 1961 तथा 1968 में जिन छः देशों ने भारत की तुलना में अपने दर्जे में सुधार किया है वे दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रिया, नार्वे, सऊदी, अरब, ईरान तथा लीबिया हैं। यहां यह दृष्टव्य है कि इस अवधि में भारत की तुलना में किसी भी लेटिन अमरीकी देश ने अपने दर्जे में सुधार नहीं किया है।

(ग) उपरोक्त छः देशों के निर्यातों में तेजी से प्रगति होने का कारण यह है कि इनमें से तीन देश अर्थात् दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रिया और नार्वे विकसित देश हैं और तीन विकासशील देश अर्थात् सऊदी अरब, ईरान तथा लीबिया तेल निर्यातक हैं।

(घ) जहां तक भारत के दर्जे में सुधार का सम्बन्ध है, निर्यात सम्वर्द्धन के हमारे समस्त प्रयत्नों का उद्देश्य हमारे निर्यातों के मूल्य को अधिकतम बनाना है।

गाय तथा सुअर की चर्बी का निर्यात

3513. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स गोदरेज सोप लिमिटेड, टाटा आयल मिल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को साबुन बनाने के हेतु गाय की चर्बी का आयात करने के लिये मार्च, अप्रैल, 1968 की अवधि में क्रमश: 40,68,000 रुपये, 91,65,000 रुपये तथा 3,20,35,000 रुपये के लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) क्या इन कम्पनियों को अपने साबुनों में प्रयोग की जाने वाली सुअर की चर्बी के लिये पृथक् लाइसेंस दिये गये थे;

(ग) गाय तथा सुअर की चर्बी का आयात किये जाने के क्या कारण हैं जब कि भारत में प्रतिवर्ष हजारों गायों तथा सुअरों को मारा जाता है; और

(घ) गत वर्ष गाय और सुअर की कितने मूल्य की चर्बी को आयात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). इन फर्मों को अप्रैल, 1967-मार्च 1968 के दौरान साबुन तथा फैटी एसिड बनाने के लिये इन कुल मूल्यों के आयात लाइसेंस दिये गये थे। लाइसेंसों में वर्णित माल के ब्योरों में 'टेलो' दिया गया था। एक लाइसेंस में 'मटन टैलो / टैलो' के रूप में ब्योरा दिया गया था और दो लाइसेंसों में यह 'इनेडिवल टैलो' के रूप में दिखाया गया था।

(ग) स्वदेश में उपलब्ध चर्बी का परिमाण औद्योगिक उपयोग की आवश्यकताओं से बहुत कम है।

(घ) गाय तथा सुअर की चर्बी के आयात के आंकड़े अलग अलग नहीं रखे जाते।

कोसी बांध पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

3514. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल सीमा पर बिहार से समीप कोसी बांध पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). कोसी नदी में 'नागपंचमी' जल-प्रवाह समारोह के बाद भारत में प्रवेश करते समय नेपाली विद्यार्थियों और सीमा पर भारतीय रक्षकों के बीच हाथापाई की एक सामान्य घटना की खबर मिली है। नेपाल के राजबिराज जिला के अधिकारी के आश्वासन पर कि इस मामले के सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई की जायेगी, इस मामले को बन्द कर देने का निश्चय किया गया।

राजनयिक सूची में यूनेस्को मिशन, दिल्ली के श्री दीवान का नाम शामिल किया जाना

3515. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री भारत में यूनेस्को मिशन के स्थानीय रूप से भर्ती किये गये एक कर्मचारी श्री एस० पी० दीवान का नाम अप्रैल, 1969 की राजनयिक सूची में शामिल किये जाने के बारे में 20 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित यूनेस्को कार्यालय ने उनके मंत्रालय को पत्र लिखा था कि श्री दीवान अन्तर्राष्ट्रीय रूप से भर्ती किये गये कर्मचारियों में से हैं और उस आधार पर उन्होंने उसका नाम राजनयिक सूची में शामिल कराया था;

(ख) क्या बाद में यूनेस्को का वक्तव्य गलत पाया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस मिशन के विरुद्ध तथा इस गलती को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या इस गैर-राजनयिक व्यक्ति का नाम राजनयिक सूची में शामिल किये जाने से उसे अपने आपको राजनयिक बताने, गलतफहमी पैदा करने तथा वित्त मंत्रालय तथा न्यायालय में उसके विरुद्ध विचाराधीन विभिन्न मामलों में किसी प्रकार का लाभ उठाने का अवसर मिला है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, नई दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र संघ और विशेष एजेंसियों के पते की जो अपनी सूची भेजी थी, उसके आधार पर सुस्थापित प्रथा के अनुसार, अप्रैल, 1969 में प्रकाशित सूची में, उनका नाम शामिल किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

पटसन के समर्थन मूल्य का पुनरीक्षण

3516. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष पटसन की बहुत अच्छी फसल हुई है;

(ख) क्या पटसन की कीमतें तेजी से कम होने लगी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि लागत को ध्यान में रखते हुये समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने का है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि समर्थन मूल्यों को नहीं बढ़ाया गया, तो अगले वर्ष कच्चे पटसन के उत्पादन में बहुत कमी हो जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इस वर्ष पटसन की फसल अच्छी होने की आशा है।

(ख) से (घ). जी नहीं।

भारत नेपाल वार्ता

3517. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में पारस्परिक हितों के विषयों पर नेपाल और भारत के बीच विचार-विमर्श हुआ था ;

(ख) क्या भारत को नेपाल द्वारा कृत्रिम कपड़े तथा स्टेनलैस स्टील के माल के निर्यात को सीमित करने के बारे में नवम्बर, 1968 के करार को कार्यान्वित करने के बारे में कोई करार हुआ था ;

(ग) क्या इस वार्ता के दौरान पश्चिम कोसी नहर का प्रश्न भी उठा था और क्या उस पर कोई निर्णय किया गया था ; और

(घ) अन्य किन विषयों पर चर्चा हुई और उन पर क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 29 अगस्त, से 4 सितम्बर, 1969 तक भारत और नेपाल के प्रतिनिधि मण्डलों के बीच सरकारी स्तर पर बातचीत हुई थी।

(ख) इस पर सामान्य रूप से ही विचार-विमर्श हुआ था, क्योंकि बाद में नई दिल्ली में होने वाली संयुक्त अन्तर्सरकारी समिति की बैठक में, इस मामले पर विचार होने की संभावना थी।

(ग) जी हां। नेपाली प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय पक्ष को यह कहा था कि नेपाल सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) 19 नवम्बर, 1969 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाया जाता है, जब कि इस प्रकार की बातचीत के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई थी।

Export of Paper

3518. **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of goods made of paper and quantity of hand-made paper, writing paper and packing paper exported during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the countries to which it was exported and the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(c) the quantity estimated to be exported during the year 1969-70 and the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) and (b). Statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2325/69]**

(c) Value of exports during 1969-70 is estimated at Rs. 7.25 crores.

Intensification of Military Activities by Chinese near Nathu La

3519. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during November, 1969 the Chinese Military personnel had intensified their activities near Nathu La;

(b) whether it is also a fact that the Chinese Military personnel have set up new types of posts in that area; and

(c) the reaction of Government thereto and the action taken in this regard?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) and (b). Across Nathu La, in the Chumbi Valley, Chinese troops continue to remain in their usual strength. The Chinese have in the past few months been constructing and improving roads linking military stations across the border, constructing bunkers, barracks, storage facilities and the like.

(c) Our security forces continue to the vigilant on the border.

हथकरघा के नाम पर विद्युत करघे के रेशम का निर्यात

3520. **श्री मुरासोली मारन :**
श्री मयावन :
श्री कमला नाथन :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा के नाम पर कुछ देशों को विद्युत करघे के रेशम का निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि यहां तक कि एक सहकारी संस्था इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भ्रष्टाचार को, जिससे कि हथकरघा क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, रोकने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Missionaries for Christians in Indian Army

3521. **Shri Jagannath Rao Joshi:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the items published in

September, 1969 issue of "Marathi monthly journal Basant" (Bombay) that deputing of missionaries from the foreign missions for the Christians in the Indian Army is not proper from the security point of view and that permission should be granted for deputing the missionaries from the Indian National Church in place of the foreign missionaries;

(b) the reaction of Government thereto;

(c) whether the permission to depute missionaries from the Indian National Church in place of those from the foreign missions would be granted; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) to (d). Government have not seen the Press item. The position is that religious teachers of any faith may be employed by units having a strength of 120 or more men professing that faith. Where it is not possible to employ a religious teacher on a regular basis, units may obtain the services of an accredited civilia religious teacher, not exceeding four visits in a month, from the nearest town, on a voluntary basis. The service of only accredited Padres of a local church are obtained on this basis.

महेन्द्र राजपथ के निर्माण में प्रगति

3522. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महेन्द्र राजपथ, जिसके निर्माण में सरकार नेपाल सरकार को सहयोग दे रही है, बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितना व्यय वहन किया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) आज कल भारत सरकार भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व-पश्चिमी राजपथ) के इस क्षेत्र के निर्माण में लगी है। इस क्षेत्र की कुल लम्बाई 300 कि० मी० है। जंगल की सफाई का काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और 383 कि० मी० तक सहायक मार्ग का निर्माण हो चुका है। अब जो बड़े काम चल रहे हैं, वे हैं पुल बनाने, रोड़ा-भराई और सम्पूर्ण संरक्षण पर रोड़ी डालने के काम।

(ख) 31 मार्च, 1971।

(ग) 22 करोड़ रु०।

विदेशों में प्रदर्शन-कक्ष

3523. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में इस समय कितने प्रदर्शन-कक्ष हैं ;

(ख) क्या ये भी प्रदर्शन-कक्ष लाभ में चल रहे हैं या घाटे में ;

(ग) किन-किन देशों में प्रदर्शन-कक्ष घाटे में चल रहे हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में कितने प्रदर्शन-कक्ष बन्द किये गये, और इसके क्या कारण थे ; और

(ङ) इन्हें बन्द करने से सरकार को कितनी हानि हुई है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). प्रदर्शनी निदेशालय द्वारा, विदेशों में भारतीय माल के प्रचार और उसे लोकप्रिय बनाने के मुख्य उद्देश्य से इस समय तीन प्रदर्शन-कक्ष वहरीन, काबुल तथा काहिरा में चलाये जा रहे हैं। इसलिये हानि तथा लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

खारतूम, जद्दा और बगदाद स्थित तीनों प्रदर्शन-कक्षों को बन्द कर दिया गया है।

(घ) प्रदर्शन-कक्ष खोलने का मुख्य उद्देश्य आरम्भ में, दृष्य प्रचार और व्यापार जानकारी द्वारा विदेशों में हमारे उत्पादों के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न करना था। इन प्रदर्शन-कक्षों को यह उद्देश्य पूरा होने के बाद बन्द कर दिया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Conference of South-East Asian Nations at Kaula Lumpur

3524. **Shri Yashpal Singh :**
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) is scheduled to be held on the 15th December, 1969 at Kuala Lumpur ;

(b) whether it is also a fact that India has not been invited to attend the said meeting ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen reports to that effect.

(b) and (c). India has not deen invited to attend the meeting as she is not a member of the Association of South East Asian Nations.

पोलैण्ड को गन्धक के बदले में रेलवे माल डिब्बों का निर्यात

3525. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैण्ड ने गन्धक के बदले में रेल के माल डिब्बे खुले खरीदने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने पोलैण्ड सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). पोलैण्ड ने भारत से 200 खुले रेल माल डिब्बों के आयात में रुचि दिखाई है और इस समय राज्य व्यापार निगम,

भारत तथा मैसर्स कोल्मेक्स, पोलैण्ड के बीच बातचीत हो रही है पोलैण्ड से भारत के आयातों में गन्धक एक महत्वपूर्ण मद बन गई है और पोलैण्ड ने ऐसी अतिरिक्त खरीदों के बदले गन्धक के अतिरिक्त परिमाण के संभरण की जो पेशकश की है उस पर द्विपक्षीय व्यापार करार की सम्पूर्ण रूपरेखा के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है ।

Indian Staff in Foreign Embassies in Delhi

3526. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Embassies in the Capital and the number of Indians employed therein ;

(b) the category-wise number of Indians working there ;

(c) whether it is a fact that these employees convey the defence secrets of the country to them ; and

(d) if so, the action taken by Government in the regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The number of Embassies and High Commissions in Delhi is 73. The number of Indians employed by them is 3364.

(b) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-3526/69]**

(c) Government have no reason to think so.

(d) Does not arise.

Buffer stocks of Cotton and other Industrial raw material

3527. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to create buffer stocks of cotton and other vital industrial raw material in addition to foodgrains ; and

(b) if so, the progress made so far in creating buffer stock of indigenous cotton ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) and (b). In pursuance of the decision to set up a public sector agency to undertake import of cotton, a concrete and detailed scheme for the establishment of such an agency is under preparation. The extent to which such an agency will undertake purchase, sale stocking and distribution of domestic cotton is also receiving attention.

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

3528. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67,1967-68 और 1968-69 में भारत से कुल कितना मैंगनीज अयस्क निर्यात किया गया ; और

(ख) किन फर्मों द्वारा निर्यात किया गया और प्रत्येक फर्म ने कितना निर्यात किया ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

	मात्रा '000' में० टन		
निर्यातिक का नाम	1966-67	1967-68	1968-69
भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली।	1,141	977	1,174
दी मैंगनीज ओर इण्डिया लि०, नागपुर।	44	66	33
योग	1,185	1,043	1,207

विमानों के पुर्जे

3529. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देश विमानों के रख-रखाव तथा उत्पादन के लिये अपेक्षित पुर्जों की पूरी मात्रा सप्लाई नहीं कर पाये हैं अथवा उन्होंने सप्लाई करने से इन्कार किया है ;

(ख) क्या रूस द्वारा सप्लाई किये गये विमान-पुर्जे घटिया दर्जे के पाये गये हैं ; और

(ग) उपरोक्त आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजदूतावासों द्वारा विदेशों में भारत का सही चित्र प्रस्तुत किया जाना

3530. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि हमारे राजदूतावास उच्चायोग विदेश में भारत का सही चित्र प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं ;

(ख) क्या हमारे राजदूतावासों और उच्चायोगों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिये मार्गोपायों का सुझाव देने हेतु एक आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). विदेश स्थित हमारे मिशन भारत का सही चित्र प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं। भारत का सही चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसे सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्यों को सरकार निरन्तर निगाह में रखती है। विदेश स्थित हमारे मिशनों के कार्यों की जांच के लिये किसी समिति या आयोग की नियुक्ति करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

टोकियो और वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूतावासों तथा लन्दन स्थित उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या

3531. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टोकियो और वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावासों और लन्दन स्थित उच्चायोगों में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त संख्या पर्याप्त है ;

(ग) क्या हजारों पासपोर्ट वीसा जारी करने के लिये रुके पड़े हैं और पासपोर्ट जारी करने के आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या ये राजदूतावास वहां पर भारतीय लोगों के साथ समुचित सम्पर्क बनाये रखने में असमर्थ रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) टोकियो, वाशिंगटन और लंदन स्थित हमारे मिशनों में सभी विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :

	टोकियो	वाशिंगटन	लंदन
भारत आस्थानी	40	123	172
स्थानीय	35	182	577
कुल संख्या	75	305	749

(ख) सब मिलाकर, टोकियो और वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावासों में, कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त समझी जाती है। परन्तु लंदन में स्थित उच्चायुक्त ने यह सूचना दी है कि कौंसली कार्य करने के लिए कर्मचारियों की संख्या कुछ अपर्याप्त है। इस बात की जांच की जा रही है। हालांकि उच्चायोग के अन्य विभागों में कटौती करने की बात पर विचार हो रहा है।

(ग) और (घ). जिन तीन मिशनों का उल्लेख किया गया है उनमें किसी भी मिशन में, वीजा के लिये दिये गए आवेदन-पत्र इकट्ठे नहीं हुए हैं। जहां तक पासपोर्ट जारी करने

का सम्बन्ध है, टोकियो और वाशिंगटन में कोई मामला शेष नहीं है। परन्तु लंदनस्थित हमारे मिशन में, इस सम्बन्ध में, कुछ आवेदन-पत्र इकट्ठे हो गये हैं क्योंकि यू० के० में भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या अधिक है।

(ङ) जी नहीं।

भारतीय दूतावासों तथा उच्च आयोगों के कृत्य

3532. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे राजदूतावासों तथा उच्चायोगों के कृत्य तथा कर्तव्य क्या हैं ;

(ख) क्या इस बात को देखने के लिये कोई जांच की गई थी कि क्या हमारे दूतावासों तथा उच्चायोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या जांच की गई और परिणामों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश-स्थित भारतीय मिशनों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(1) अपने-अपने प्रत्यापन के देशों की दिन-प्रतिदिन की घटनाओं एवं प्रवृत्ति की रिपोर्ट देना और उनके विषय में अपनी सलाह देना।

(2) विदेशों में भारत की नीतियों और हितों का संवर्धन करना तथा सामान्यतः भारत के चित्र को प्रस्तुत करना।

(3) आर्थिक और व्यापारिक मामलों में भारत के हितों की देखरेख करना।

(4) भारतीय राष्ट्रिकों का कौंसली कार्य करना और विदेशी राष्ट्रिकों को वीजा जारी करना।

(5) अपने देश के विषय में, अपनी सांस्कृतिक परम्परा, नीतियों और प्रगति के विषय में सूचना का वितरण करना।

(ख) और (ग). अपने मिशनों की प्रभावकारिता की जांच कई तरह से की जाती है :

(1) मिशनों से प्राप्त रिपोर्टों और विशेष डिस्पेचों की मंत्रालय में जांच करके ;

(2) मंत्रियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्रा के माध्यम से ;

(3) समय-समय पर संसद सदस्यों जैसे ऊंचे आगंतुक अतिथियों के प्रभावों और मंत्रालय पर व्यक्त प्रभावों के माध्यम से ;

(4) मिशन प्रमुखों के सावधिक क्षेत्रीय सम्मेलन करके, जिनमें संबद्ध क्षेत्रों और देशों में भारत की नीतियों की मोटी रूपरेखा पर विचार किया जाता है ; और

(5) विदेश सेवा निरीक्षकों को सावधिक दौरे पर भेजकर, जो मिशनों के काम-काज पर अपनी रिपोर्टें पेश करते हैं।

इन नियंत्रणों, समीक्षाओं और मूल्यांकनों से, जो कि अनिवार्यतः गोपनीय प्रकृति की है, सरकार विदेश-स्थित अपने मिशनों के काम-काज पर बराबर निगरानी रख पाती है और जब कभी जरूरत होती है कार्रवाई करती है।

Development of Backward Hill Areas of U. P.

3533. **Shri J. B. S. Bist** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4308 on the 20th August, 1969 and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2327/69]**

(c) Does not arise.

भारत में मिग विमानों का निर्माण

3534. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में मिग विमानों का उत्पादन किस अवस्था में है ;

(ख) भारत में प्रथम मिग विमान कब तक निर्मित होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में मिग विमानों के उत्पादन में 60 प्रतिशत भारत में निर्मित पुर्जों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1972 तक मिग विमानों के लिये भारत को केवल रूस से 15 प्रतिशत आयोजित पुर्जों की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ङ) क्या भारत मिग विमानों के लिए इस समय आकाश से आकाश में वार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र बना रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मिग विमानों का उत्पादन शड्यूल के अनुसार हो रहा है। उप-संयोजनों से उत्पादित विमान वितरित किए जा रहे हैं। खाम पदार्थों से उत्पादन शुरू हो गया है।

(ख) खाम पदार्थों से उत्पादित पहला विमान 1970 में तैयार होना प्रत्याशित है।

(ग) तथा (घ). उत्पादन की अन्तिम प्रावस्थाओं में देशीय अंश विमान की लागत का 60 प्रतिशत होगा।

(ङ) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

Increase in Pension Paid to Reservists in Army

3535. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1526 on the 30th July, 1969 and state :

(a) the year in which the ad hoc increase of Rs. 5 made with effect from the 1st April, 1968 was paid to the army reservists ;

(b) whether it is a fact that the aforesaid increase of Rs. 5 is not being given to the reservists released after the 1st January, 1964, whereas these reservists used to get Rs. 10 per month in and before 1962 and have been getting Rs. 15 per month including the aforesaid increase of Rs. 5 since the 1st October, 1963 ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) As already stated in reply to Unstarred Question No. 1526 on the 30th July, 1969 ; no fresh **ad hoc** increase was sanctioned for Army Reservists with effect from 1st April 1968. The **ad hoc** increase of Rs. 5/- p.m. for pensioners in receipt of pension upto Rs. 30/- p.m. had been in existence since 1st October, 1963.

The rates of **ad hoc** increase have since been increased with effect from 1st September, 1969 by Rs. 10/- p.m. for pensioners (including reservist pensioners) in receipt of pension upto Rs. 200/- p.m.

(b) No Sir. **Ad hoc** increase is also payable to reservist pensioners who were granted pension on or after the 1st January, 1964 ; and

(c) Does not arise.

गोपालपुर (उड़ीसा) के पास आण्विक कच्चा माल पाया जाना

3536. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गोपालपुर के निकट तथा आस-पास के क्षेत्रों में पाये गये आण्विक कच्चे माल के बारे में अन्तिम सर्वेक्षण कार्य हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां से कितना कच्चा माल मिलने का अनुमान है ; और

(ग) इस कच्चे माल का उत्पादन शुरू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) से (ग). उड़ीसा के समुद्रतट का सर्वेक्षण जारी है । सर्वेक्षण के परिणामों की जांच के बाद परमाणु खनिजों को काम में लाने के लिये कार्यवाही की जायेगी ।

दिल्ली में राज्य व्यापार निगम द्वारा किराये पर लिये गये भवन

3537. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 6 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राज्य व्यापार निगम द्वारा किराये पर लिये गये भवनों सम्बन्धी मामले पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक): (क) और (ख). निगम ने अपना भवन बनाने का विनिश्चय किया है परन्तु इस सम्बन्ध में अभी विनिश्चय नहीं हुआ है कि किस तारीख से निर्माण कार्य आरम्भ होगा ।

सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये कपड़ा मिलों की कार्यप्रणाली

3538. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 13 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 525 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये कपड़ा मिलों की कार्यप्रणाली के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2328/69]**

Proposal to Hand over School of Foreign Languages to Cabinet Secretary of external Affairs Ministry

3539. **Shri Ramavatar Sharma :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a proposal to hand over the charge of the Foreign Languages School at present functioning at New Delhi, under his Ministry either to the Ministry of External Affairs or to the Cabinet Secretariat ;

(b) if so, the reasons for which the charge of the said school is being handed over to the Ministry of External Affairs or to the Cabinet Secretariat ;

(c) the decision taken in this regard and if no decision has so far been taken ; and

(d) whether Government propose to make any changes in the service conditions of the processors and the director of the said school and in its courses consequent upon its transfer ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Misra) : (a) to (d). Government have directed a study in depth of the needs of the Ministries and Departments for facilities in training of officers in various foreign languages and the facilities existing at present, and to prepare a comprehensive and detailed scheme with financial implications for one or more foreign languages institutes to meet the requirements. The matter is still under study and examination, and decisions will be taken after this study has been completed.

जिला स्तर पर योजनाएं बनाना

3540. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **प्रधान मंत्री** 13 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब यह स्वीकार किया गया है कि योजनाएं बनाने में पंचायतराज संस्थाएं बहुत

महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं, उनसे उन पांच वर्षों में, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी, योजनाओं के बारे में न पूछे जाने के क्या कारण थे ;

(ख) रहन-सहन तथा कार्य-प्रणाली स्तरों में सुधार करने के लिये बनाई गई वे योजनाएं क्या हैं जिनके लिये राज्य सरकारों ने अनुदान तथा ऋण दिये हैं ;

(ग) राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने बैंक ऋण तथा पी० एल० निधि को विशेषतः आवास, ग्रामीण सड़कों तथा ग्रामीण चलचित्रगृहों के लिये उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अमरीका से यह पूछने का है कि क्या वह उपरोक्त उद्देश्यों के लिये तत्सम निधि देने का इच्छुक है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे विकास कार्यक्रम तैयार करने में तथा उनके क्रियान्वयन में भी पंचायतराज संस्थाओं का सहयोग लेंगी और अनुमान है वे ऐसा करती भी हैं। राज्य योजनाओं में जनता के रहन-सहन और कार्य करने के स्तर को उन्नत करने के लिए तथा सामान्य रूप से पूरे राज्य के आर्थिक विकास के लिये तैयार की गई उन स्कीमों का ब्योरा दिया रहता है जिनके लिये राज्य सरकारों द्वारा किसी न किसी रूप में सहायता दी जाती है। ऐसे कार्यक्रमों का आधार और कार्यक्रम एवं सहायता स्वभावतः एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होगी।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय योजनाएं-केन्द्र की या राज्य की तैयार करने में सभी साधनों का ध्यान रखा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र शिष्टमंडल के लिये संसद सदस्यों का चयन

3541. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व सत्तारूढ़ दल के सदस्यों तक ही सीमित रखा जाता है और यदि नहीं, तो इस उद्देश्य के लिये अन्य दलों से किन-किन संसद सदस्यों को चुना गया था ;

(ख) क्या संसद सदस्यों का चयन संसद में तथा सार्वजनिक जीवन में उनके काम के रिकार्ड के आधार पर किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश का उचित प्रतिनिधित्व केवल उन्हीं लोगों से होता है जिनको दल अथवा राजनैतिक हितों के आधार पर चुना गया हो ; और

(घ) वर्ष 1967 से लेकर अब तक, वर्ष वार, किन-किन संसद सदस्यों को विदेश भेजा गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का भारतीय प्रतिनिधि-मंडल, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, अतः

केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाता है जो सरकार की नीतियों से सहमत होते हैं। अन्य बातों में यह बात भी शामिल है कि सरकारी नीतियों को उचित रूप से प्रस्तुत करने तथा महासभा में उनका पूर्णरूप से समर्थन करने की सम्बन्धित व्यक्तियों में योग्यता हो।

(घ) 1967 से संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में जिन संसद् सदस्यों को शामिल किया गया है, उनके नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं जो कि सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2329/69]**

राकेट लांचिग स्टेशन, त्रिवेन्द्रम के निदेशक की अर्हताएं

3542. **श्री के० अनिरुद्धन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम स्थित राकेट लांचिग स्टेशन के वर्तमान निदेशक अर्हताएं तथा अनुभव क्या है और इस पर वह कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या वर्तमान पदधारी इस पद को धारण करने के लिये अपेक्षित उच्च वैज्ञानिक अर्हताएं तथा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें इस पद पर उन्हें बनाए रखने के क्या कारण है जबकि इस क्षेत्र में हमारे पास अधिक अर्हता प्राप्त व्यक्ति मौजूद है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के निदेशक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्नातक है। उन्होंने वायुगति की, संरचना प्रविधि तथा आयुधों के अभिकल्पन में विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। वे सुरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में उच्च पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनका चुनाव एक सुयोग चुनाव समिति द्वारा अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से बुलाये गये व्यक्तियों में से उनकी अर्हता तथा अनुभव के आधार पर किया गया था। वे अपने वर्तमान पद पर 28 फरवरी 1963 से कार्य कर रहे है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र

3543. **श्री के० अनिरुद्धन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) अब तक खर्च की गई राशि के अनुरूप इस केन्द्र ने विकास सम्बन्धी कितना अनुसंधान किया है ; और

(ग) इस केन्द्र की वर्तमान कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) केरल स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं पर 31-3-1969 तक लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे ।

(ख) केन्द्र द्वारा किया गया विकास सम्बन्धी अनुसंधान कार्य उस पर अब तक खर्च की गई राशि के अनुरूप है ।

(ग) कार्यप्रणाली में यथावश्यक सुधार करने के लिये उसका पुनरीक्षण निरन्तर किया जाता रहता है ।

प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड बनाना

3544. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड बनाने के संबंध में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन से व्यक्ति होंगे ; और

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को इस बोर्ड में शामिल किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सदस्य महोदय का ध्यान शायद, आर्डनस उत्पादन बोर्ड स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव की ओर है, यह प्रस्ताव अभी सरकार द्वारा विचाराधीन है ।

गांधी शताब्दी की प्रतिज्ञा लेने में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की असमर्थता

3545. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ब) क्या यह सच है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सचिव ने प्रधान मन्त्री को सूचित किया था कि वे 2 अक्तूबर, 1969 को सार्वजनिक प्रतिज्ञा लेने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिज्ञा का पाठ सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो मार्क्सवादियों द्वारा गांधी शताब्दी की प्रतिज्ञा न लिये जाने के क्या कारण थे ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). प्रधान मंत्री के नाम 17 सितम्बर, 1969 को भेजे गये तार में श्री पी० सुन्दरैया ने प्रस्तावित प्रतिज्ञा में की गई अभिव्यक्ति के बारे में अपने दल की ओर से कुछ आना-कानी व्यक्त की थी । इसके उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा था कि उन्होंने 15 सितम्बर को विभिन्न

राजनीतिक दलों और संगठनों की जो बैठक की थी उसमें इस प्रतिज्ञा पर सहमति हुई थी और वे यह नहीं समझती थीं की श्री सुन्दरैया अथवा उनके दल को प्रतिज्ञा में लिखे उद्देश्यों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई होनी चाहिये। श्री सुन्दरैया से कोई और पत्र नहीं मिला।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये पालमपुर में डिफेंस कालोनी बसाना

3546. **श्री हेमराज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये पालमपुर में एक डिफेंस कालोनी बसाने का प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) पालमपुर में स्थापना के लिये प्रस्तावित बस्ती सेवा कर रहे तथा भूतपूर्व सैनिकों दोनों के लिए हैं।

(ख) बस्ती के लिए भूमि की आवश्यकता पर सेना प्राधिकरणों द्वारा संबंधित असैनिक प्राधिकरणों की सलाह मशविरे से विचार किया जा रहा है।

कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूलों का राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों को सौंपा जाना

3547. **श्री हेमराज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कैंटोनमेंट बोर्ड के हाई स्कूलों तथा उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों को विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों को सौंपने के प्रश्न पर विचार कर रही थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्तमान कैंटोनमेंट बोर्ड के हाई स्कूलों तथा उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों में समुचित कर्मचारी नहीं हैं अध्यापकों के कोई वेतनमान निर्धारित नहीं किये गये हैं और वहां ट्यूशन शुल्क लिया जा रहा है जब की सरकारी स्कूलों में बिना ट्यूशन शुल्क लिये शिक्षा दी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास कैंटोनमेंट स्कूलों को अन्य सरकारी स्कूलों के समान दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा ऐसे किसी सामान्य प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत कैंटोनमेंट बोर्ड के हाई स्कूलों तथा उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों को विभिन्न राज्य सरकारों को सौंपा जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ). कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यापक को भी उसी दर पर वेतन और भत्ते मिलते हैं जो समय-समय पर राज्य सरकार के उसी स्तर के अन्य कर्मचारियों से, अगर वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं। इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि अध्यापकों के लिए कोई वेतन मान नहीं है। कुछ स्कूलों को छोड़कर जहां योग्य कर्मचारियों के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है सामान्यतः स्कूलों में समुचित कर्मचारी हैं। सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए स्कूलों में ट्यूशन शुल्क लिया जा रहा है जब कि राज्य सरकार के स्कूलों में विना ट्यूशन शुल्क लिये शिक्षा दी जा रही है।

आयुध कारखाना महानिदेशालय

3548. **श्री हेमराज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में तथा चालू वर्ष में आयुध कारखाना महानिदेशालय में कितने अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही सेवा निवृत्त कर दिया गया ; और

(ख) इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1967 और 1968 वर्षों में भारतीय आयुध कारखानों के 3 अफसरों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले सेवा से रिटायर किया गया था एक और अफसर इसी प्रकार 1969 वर्ष में रिटायर किया गया था। एक अफसर को भी रिटायर होने का नोटिस दिया गया है।

(ख) इस अफसरों को लोकहित में रिटायर किया गया था कि जैसा नियमों में उपबंधित है।

भारतीय नौ सेना में अधिकारियों की कमी

3549. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना में अधिकारियों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय नौसेना में अधिकारियों की कमी है।

(ख) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा भर्ती किये जाने के सामान्य ढंग के अतिरिक्त भी अफसरों की कमी को पूरा करने के लिये निम्नलिखित विशेष योजनाएं बनायी गई हैं :

(1) **सीधे प्रवेश योजना** :—इस योजना के अन्तर्गत योग्य स्नातकों को अंशकालीन कमीशन दिया जाता है।

(2) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना** :—विद्युत और यांत्रिक इंजिनियरिंग स्नातक कोर्स के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को उनके डिग्री लेने के पश्चात प्रशिक्षण के लिये इस योजना के अन्तर्गत भर्ती किया जाता है।

2. इन विशेष उपायों के अतिरिक्त भी कमी को पूरा करने के लिये भारतीय नौसेना स्वेच्छिक रिजर्व में से योग्य अफसरों को स्थाई केडर में लिया जा रहा है और योग्य व्यक्तियों के मामले में सेवा काल में वृद्धि प्रदान की जाती है ।

भारत में पटसन अनुसंधान संस्थाएं

3550. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी पटसन अनुसंधान संस्थाएं हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) सरकार, शिक्षा संस्थाओं तथा गैर-सरकारी व्यापार गृहों के पूर्ण नियत्रणाधीन कितनी-कितनी अनुसंधान संस्थाएं हैं ;

(ग) क्या ऊन कपास तथा संश्लिष्ट धागों के स्थान पर पटसन का प्रयोग करने के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) चार, अर्थात् (1) जूट टैकनोलोजिकल रिसर्च लेवोरेट्रीज, कलकत्ता (2) जूट एग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट बैरकपुर (3) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन, कलकत्ता तथा (4) इंस्टिट्यूट आफ जूट टैकनोलोजी, कलकत्ता ।

(ख) इन संस्थाओं में से दो का नियंत्रण इण्डियन कौसिल आफ एग्रिकल्चरल रिसर्च द्वारा किया जाता है, एक का नियंत्रण आटोनोमस कौंसिल आफ मैंनेजरों द्वारा किया जाता है जिसमें सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, और एक कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन है ।

(ग) और (घ). जी हां, उनका अंशतः पटसन के स्थान पर प्रयोग करने के लिये गवेषणा की जा रही है । ऊनीकृत पटसन कम्बलों, रैयरों, बुनाई की ऊन आदि में प्रयोग के लिये लाभप्रद हो सकता है । साज-सामान के लिये सजावटी वस्त्र क्षेत्र में विरंजित पटसन कपड़े का प्रयोग किया जा सकता है और यह सूती साज सामान के स्थान पर भी काम आ सकता है । वस्त्रों के क्षेत्र में पटसन स्पष्टतः संश्लिष्टों का स्थान नहीं ले सकता । पैंकिंग और कालीन स्तर क्षेत्रों में इन संश्लिष्टों द्वारा पटसन का स्थान लिये जाने की भारी आशंका है । तथापि गवेषणा से यह पता चला है कि विस्कोस रेयन के स्थान पर पटसन की डण्डी का प्रयोग किया जा सकता है ।

विदेशों में जूट उत्पादों का निर्माण

3551. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री मुहमद इस्माइल :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री गणेश घोष :**
श्री क० हाल्दर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में जूट से कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या अमरीका में डेहम, मास स्थित रेशा अनुसंधान प्रयोगशाला को, वर्ष 1962 में, जूट के बारे में अनुसंधान करने का कार्य सौंपा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) इस अनुसंधान कार्य को त्याग देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशी में पटसन से विभिन्न प्रकार के पटसन उत्पाद तथा निर्मित सामग्री तैयार की जाती है, जैसेकि —कालीन अस्तर, हैसियन, बोरे, तिरपाल, किरमिच, निवाड़, विशेषत: पटसन का तहदार माल, पोलिथिलीन पटसन के थैले, सजावटी तथा साज-सामान के वस्त्र आदि ।

(ख) जी हां । इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन द्वारा ।

(ग) एसोसियेशन ने प्रायोजना पर 472.577 अमरीकी डालरों का व्यय किया ।

(घ) लेबोरेटरी ने पटसन को विभाजित करने के लिये एक प्रक्रिया आविष्कार की और इस प्रक्रिया को पेटेंट कर दिया गया है और इस पेटेंट को नुजूर इनकारपोरेटिड को सौंपा गया है जोकि इन्डियन जूट इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन की सहायक कम्पनी है, सजावटी वस्त्र (पटसन) क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है ।

(ङ) लेबोरेटरी द्वारा प्रारंभ किये गये अन्य प्रायोजनों के सम्बन्ध में भारत में वैज्ञानिक कार्य कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अब विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है ।

अन्दमान जाने वाले यात्रियों को आपात कालीन अनुमति पत्र

3552. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री भगवान दास :**
श्री गणेश घोष :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान जाने वाले यात्रियों को आपातकालीन अनुमति पत्र प्रदान किये थे ;

(ख) ऐसा कब से होता आ रहा था ;

(ग) क्या सरकार ने अभी हाल ही में ये पर्मिट देना बन्द कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). बर्मा होकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को जाने वाले । यात्रियों को आपाती परमिट देने की प्रथा 17 नवम्बर, 1961 को शुरू हुई थी और 8 मई, 1969 को बंद कर दी गई थी जब कि यह पासपोर्ट अधिनियम 1967 और उसके अन्तर्गत निर्धारित नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप कर दिया गया । जो भारतीय नागरिक वर्मा होते हुए इन द्वीप समूहों को जाते है, उन्हें अब नियमित पासपोर्ट जारी किए जाते हैं ।

प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान गोआ में एक नौ-सेना अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार

3553. **श्री वि० कु० मोडक:**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री कं० हाल्दर :
श्री भगवान दास :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ में प्रधान मंत्री के दौरे के समय वहां एक नौ-सेना अधिकारी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नौ-सेना अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). 9 अक्तूबर, 1969 को प्रधान मंत्री के भ्रमण के सम्बन्ध में डबोलिमा हवाई अड्डे पर वी० आई० पी० विश्राम कक्ष में समाचारपत्रों के संवाददाताओं के प्रवेश को नियमित करते हुए एक नौ-सैनिक अधिकारी कुछ अधिक जोश में आ गया था । स्थिति सम्भालने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक सुविधाएं दी जायें, फ्लेग अफसर कमांडिंग इंचीफ दक्षिणी नौसैनिक कमान ने स्वयं फोरी पग उठाए, जो उस समय वहां उपस्थित थे । चूंकि नौसैनिक अफसर का कार्य बुरे उद्देश्य सहित न था, और मामला वहीं निपटा दिया गया था, और कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

पश्चिम जर्मनी को निर्यात

3554. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मार्क के पुनर्मूल्यन के बाद, पश्चिम जर्मनी को निर्यात बढ़ाने के लिये उपाय कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जर्मन मार्क के पुनर्मूल्यन के कारण उत्पन्न हुए अधिक निर्यात अवसरों के विषय में व्यापारी वर्ग को अवगत कर दिया गया है। निर्यात संवर्धन उपायों को, जोकि पहले ही लागू हैं, और भी गहन कर दिया गया है।

Declaration of Garhwal as Backward Areas

3555. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister had given an assurance to the residents of Garhwal that Garhwal would be declared a backward area soon ;

(b) if so, when she proposes to make such declaration in respect of Garhwal ;

(c) whether it is also a fact that Garhwal is the most backward area in the State from every point of view ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to solve this problem ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planing (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Although the Prime Minister gave no assurance as such ; in the course of her visits to Garhwal in 1966 and early this year, she did refer to the relative backwardness of Garhwal and other hill areas, and expressed her keen interest in schemes for their accelerated development.

(c) Pauri Garhwal is among the more backward Hill districts in the State.

(d) Pauri Garhwal is one of the eight hill districts under the purview of the Hill Development Board which is now looking after the planned development of the hill areas. A separate Commissioner's Division has been created for Garhwal, with headquarters in Pauri, to help specially in securing speedy development of the hill districts including Pauri-Garhwal. Suitable provision is being made by the State Government in the Fourth Plan for the development of the District.

Increase in Defence forces of India after 1965

3556. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there has been an increaase in the Defence Forces of India after 1965 ; and

(b) if so, the extent thereof ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). There has been no significant increase in the overall manpower of the Armed Forces. Certain re-organisations and streamlinings have, however, been carried out which have helped to increase the striking power.

U. P. Hill Development Board

3557. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that too much interference in the affairs of Uttar Pradesh Hill

Development Board has created dissatisfaction in the people of Pauri, Chamoli, Uttar Kashi and Tehri Districts; and

(b) if so, the steps being taken by Government to see that these Districts should also be developed like other hilly areas in the State?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) No, Sir.

(b) The Hill Development Board will prepare, in consultation with the members from the respective Districts, the development plan for all the hill districts subject to the directives of the State Government the statutory powers of the Panchayati Raj Institutions and the availability of financial resources.

नौ-सैनिक अड्डा बनाने के लिये अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास

3558. **डा० प० मण्डल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक नौसैनिक अड्डा बनाने के लिये अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विकास कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यदि कोई परियोजना तैयार की गई है तो उस पर क्या खर्च होगा तथा उन योजनाओं को पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इसके साथ-साथ इन द्वीपों में एक सैनिक हवाई अड्डा भी रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नौसैनिक सुविधाओं का विकास सन्तोषपूर्वक प्रगति कर रहा है। विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा। द्वीप समूह से अन्तरिक्ष द्वारा संचारतन्त्र बनाए रखने के लिये संतोषप्रद सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है।

हांग कांग में भारत विरोधी भावना

3559. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हांगकांग में फैली भारत विरोधी भावनाओं का पता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, हांगकांग में, प्रकट रूप से किसी प्रकार की भारत विरोधी भावनाओं का प्रचार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों को अलाट की गयी रिहायशी भूमि

3560. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री शारदा नन्द :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के जिन भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न राज्यों में रिहायशी भूमि अलाट की जाती है, उनके रेंक क्या हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी भूमि दी जाती है ;

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के रैंक और उनका सेवाकाल क्या है जिन्हें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूमि अलाट की गई है और रिहायश के लिये कितनी भूमि अलाट की गई है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के पास जिन्हें भूतपूर्व सैनिकों के रूप में भूमि अलाट की गई है, पहले से ही व्यक्तिरूप में अथवा अविभक्त परिवार के सदस्य के रूप में कितनी भूमि है ;

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने भूमि के अलाटमेंट के लिये आवेदन किया है और जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की नियमित सेवा में है ; और

(ङ) इन व्यक्तियों को भूमि अलाट करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ङ). सूचना प्राप्य नहीं है और उसे इकट्ठा करने में अन्तर्ग्रस्त समय और प्रयास प्राप्त हो पाने वाले परिणामों के अनुरूप न होंगे ।

अमरीका में वैदेशिक कार्य मन्त्रालय द्वारा पोशाक संबंधी विनियमों का न माना जाना

3561. **श्री क० लकप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजकीय कार्य पर विदेशों का दौरा करने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के लिये कोई पोशाक सम्बन्धी विनियम बनाये हैं ;

(ख) क्या हाल में अमरीका का दौरा करते समय वैदेशिक कार्य मंत्री ने अमरीका के विदेश मंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस राजकीय भोज में पोशाक सम्बन्धी नियमों के बारे में भारत के वैदेशिक कार्य मंत्री को विनियमों से छूट दे दी थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो पोशाक सम्बन्धी विनियमों का पालन क्यों नहीं किया गया ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

हथकरघों द्वारा बॉर्डर वाली धोतियों का उत्पादन

3562. **श्री एस० के० संबंधन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यह आदेश दिया है कि बॉर्डर वाली धोतियों और साड़ियों का उत्पादन केवल हथकरघा ही कर सकेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिये किसी भी अन्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है जिससे हथकरघा बुनकरों को अत्यधिक परेशानी हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस आदेश को लागू करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Indian Detained in Brazil

3563. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Brazil have detained an Indian, Shri Antoneo De Souza, since long without any reason ;

(b) whether it is also a fact that Shri De Souza had gone to Brazil on Indian Passport in 1964 ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes. Sir. The Government of Brazil have detained him on a request from Interpol, Lisbon.

(b) and (c). He was employed by the Banco Ultramarino in Goa before the liberation. Soon after the liberation he left for Portugal on a Portuguese passport to continue working for the bank.

In 1963 he was granted an Indian passport by our Consulate-General in Geneva. In September 1969 he was arrested in Brazil on a request from Interpol Lisbon on charges of defalcation of funds from the Bank in Portugal. Our Embassy in Rio-de-Janerio is in contact with Shri De Souza and the Brazilian authorities.

Inter-Service Technical Committee's Report

3564. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Technical supervisory staff of the Department of Defence, has not been given any increment and other facilities so far after the 15th August, 1947 ;

(b) whether it is also a fact that neither the recommendations of the Gajendragadkar Commission nor of the Second Pay Commission have been fully implemented in this Department ;

(c) whether the Inter-Service Technical Committee was appointed on the request of these people, and was asked to submit its report within three months; and

(d) whether it is further a fact that nine months have passed and the Committee has not so far submitted its report whereas the reports of Inter-Service Technical Committee, Storekeeping Staff Committee and Clerical Staff Committee, under the same Chairman, were to be submitted on the 31st October, 1969; if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir. Increment is duly granted within time scale of pay, unless an individual is held up at the efficiency bar on account of his unfitness to cross the bar or the increment is withheld as a disciplinary measure. All Central Government employees are allowed to draw all admissible benefits, e. g. 'House Rent Allowance', Compensatory (City) Allowance, Children's Educacational Allowance, Reimbursement of tuition fees, etc., under the relevant Schemes sanctioned by Government, from time to time.

(b) No, Sir. The recommendations of the Gajendragadkar Committee or of the Second Pay Commission have been fully implemented in the Ministry of Defence to the extent accepted by Government.

(c) Yes, Sir. The Committee was asked to submit its report within 3 months from the date it started its work.

(d) The Reports of the Inter-Service Committee on Clerical Supervisory Staff and Storekeeping Staff have already been submitted to Government on 10-10-1969 and 1-11-1969 respectively. The Report of the Inter-Services Technical Committee for non-gazetted Technical Supervisory Staff is likely to submitted to Government by the end December, 1969.

कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के स्टोरकीपर के विरुद्ध जांच

3565. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) ने जम्मू स्थित अपने एक संस्थान में शराब के कथित गोलमाल के सम्बन्ध में अपने एक स्टोर कीपर के विरुद्ध न्यायिक जांच करवाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सी० एस० डी० (आई०) द्वारा की गई जांच से पता चला कि मदिरा का दुर्विनियोग सी० एस० डी० (आई०) कैण्टीन जम्मू से किया गया था। एस० पी० ई० की रिपोर्ट के आधार पर कि जिसने मामले की जांच भी की थी, जम्मू की सी० एस० डी० (आई०) स्टेशन कैण्टीन के 4 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने के लिये हाल ही में सी० एस० डी० (आई०) द्वारा आदेश जारी किये गये हैं।

कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के स्टोर कीपर के विरुद्ध जांच

3566. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) ने जम्मू स्थित अपने एक संस्थापन में शराब

के कथित गोल माल के सम्बन्ध में अपने एक स्टोर कीपर के विरुद्ध न्यायिक जांच करवाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). यह सच है कि जनरल मैनेजर को अन्तिम बार 6 अप्रैल, 1969 में से सेवावधि में एक वर्ष की वृद्धि प्रदान की गई है। यह निर्णय बोर्ड आफ कन्ट्रोल के सदस्यों में परिसंचरण द्वारा नवम्बर/दिसम्बर 1968 में लिया गया था, जो थे :—

1. सरदार स्वर्ण सिंह, रक्षा मंत्री।
2. श्री ललित नारायण मिश्र, मंत्री रक्षा उत्पादन।
3. श्री एस० सी० सरीन, रक्षा सचिव।
4. श्री वी० एन० शुक्ल, वित्त सलाहकार, वित्त मंत्रालय (रक्षा)।
5. ले० जनरल राजिन्दर सिंह, पेंटल, क्वार्टर मास्टर जनरल।
6. रीयर एडमिरल जे० खुर्शजी, सी० ओ० पी० नौसैनिक मुख्यालय।
7. ए० वी० एम० वाई० वी० माल्से, एयर अफसर इंचार्ज, प्रशासन, वायु सेना, मुख्यालय।

Schemes for Development of Madhya Pradesh

3567. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a unit or units to prepare schemes in view of the growing demand for the development of Madhya Pradesh on the basis of its economic backwardness ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). It is primarily for the State Government to prepare scheme for economic development of its different regions, though the assistance of technical expert in the Planning Commission and Ministries of Government of India will also be available to it in formulating such schemes, if considered necessary.

Plan Outlay for Madhya Pradesh During Fourth Plan

3568. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether a decision has since been taken about the size of the Fourth Five Year Plan for Madhya Pradesh ;

(b) if so, the amount allocated by Government for the Fourth Plan for that State and the amount by which it falls short of their demand ;

(c) the extent of cut effected item-wise in various principal programmes under the Plan and the names of the projects likely to be adversely affected as a result of the cut ; and

(d) the rate of growth laid down in the Draft Plan submitted by the State Government and the extent to which it would be possible to achieve it under the Plan approved by the Central Government ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (d). Reference is invited to reply given to Unstarred Question No. 564 on 23rd July, 1969. State's Fourth Five Year Plan has yet to be finalized.

सेना क लिये आधुनिक साज-सामान

3570. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैंकों, तोपखानों तथा संचार सेवा के मामले में भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों तथा साज-सामान से पुनः सुसज्जित करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय क्या हैं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) अगले पांच वर्षों का अनुमानित परिव्यय क्या है ?

प्रति रक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). आर्मर, आर्टिलरी और संचार क्षेत्रों में आधुनिक साज-सामान से भारतीय सेना को पुनस्सज्जीकरण का कार्य इस उद्देश्य के लिये तैयार की गई योजना के अनुसार हो रहा है । किये गये उपायों या खर्च की गई राशि या अगले 5 वर्षों में अनुमानित औटले के विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

फ्रान्सीसी टैंक-भेदक मिसाइलें प्राप्त करना

3571. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "टैंक विनाशक" नाम से प्रसिद्ध फ्रांसीसी टैंक-भेदक मिसाइलें प्राप्त की हैं ;

(ख) इन्हें प्राप्त करने के लिये किये गये करार का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इनकी अदायगी किस रूप में की जायेगी तथा इस पर कुल कितना खर्च होगा ?

प्रति रक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां छै ।

(ख) और (ग). सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं ।

फील्ड गनों का निर्यात

3572. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को फील्ड-गनों तथा गोला-बारूद के विकास तथा निर्माण के बारे में जिसके सम्बन्ध में वह पिछले अनेक वर्षों से "सक्रिय रूप से" विचार कर रही है, क्या कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं;

(ख) क्या इन वस्तुओं का निकट भविष्य में निर्माण होने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). गनों तथा उनसे सम्बन्धित गोलीबारूद क्षेत्र में विकास तथा उत्पादन में किन्हीं असाधारण कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है । कार्यक्रम सारतायुक्त शड्यूल के अनुसार चल रहा है । अधिक विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

आयुध कारखानों में उत्पादन

3573. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंभजारी, चन्द्रपुर तथा जबलपुर के आयुध कारखाने पूरे उत्पादन के अपने लक्ष्य में कहां तक पहुंचे हैं ;

(ख) क्या उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य निर्धारित अनुसूची के अनुसार चल रहे हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन कारखानों में निर्मित होने वाली मदों का ब्योरा क्या है ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्यमत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तीनों आर्डनेंस फैक्टरियों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है :—

आर्डनेंस फैक्ट्री, अम्बाझड़ी :—सन्यन्त्र और मशीनों को प्राप्त करना और उन्हें लगाने का कार्य प्रगति पर है । 1970 के अन्त तक उन्हें चालू करने का काम पूर्ण हो जायेगा । कुछ क्षेत्रों में सीमित उत्पादन आरम्भ हो चुका है । 1972 के अन्त तक उत्पादन पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाने की आशा है ।

आर्डनेंस फैक्ट्री, चन्द्रापुर :—फैक्ट्री को 1970 तक प्रावस्थाओं में चालू किया जाना है । कुछ उत्पादन आरम्भ हो चुका है । 1971 के अन्त तक उत्पादन पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाने की आशा है ।

ह्वीकल फैक्ट्री, जबलपुर:— फैक्टरी स्थापना को उच्चतम स्थिति पर है । बहुत से संयंत्र और मशीनें मंगवाई गई हैं और जो प्राप्त हो गई है, उन्हें लगाया जा रहा है । उत्पादन कार्य 1970 में आरम्भ हो जायेगा और नियमित उत्पादन उसके दो वर्षों पश्चात् ।

(ख) और (ग). अम्बाझड़ी और चन्द्रपुर की फैक्टरियों के वास्तविक निर्धारित समय में 1965 में कुछ बाह्य देशों द्वारा सहायता बन्द कर देने के कारण परिवर्तन करना पड़ा । ह्वीकल फैक्ट्री जबलपुर में देरी का कारण संयंत्रों और मशीनों का देरी से प्राप्त होना है ।

(घ) आर्डनेंस फैक्ट्री अंबाझड़ी गोलाबारूद के अंग निर्माण का एक इंजिनियरिंग कारखाना है और आर्डनेंस फैक्ट्री, चन्द्रपुर गोला-बारूद के भरने का कारखाना है । ह्वीकल फैक्ट्री, जबलपुर में मुख्यतयः सशस्त्र सेनाओं के लिये विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का निर्माण होगा ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में स्टैनोग्राफर

3574. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सैन्य मुख्यालय में ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के कितने स्टैनोग्राफर हैं ;

(ख) ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में पदोन्नति होने वाले अन्तिम स्टैनोग्राफर की भर्ती की तारीख क्या है ; और

(ग) ग्रेड 2 के उन स्टैनोग्राफरों की संख्या कितनी है जिन्हें इस ग्रेड में स्टैनोग्राफर के रूप में काम करते हुये 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष हो चुके हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क)

स्टैनोग्राफर ग्रेड 2	...	532
स्टैनोग्राफर ग्रेड 1	..	20

(ख) भर्ती की तिथि ... 17.4.44

पदोन्नति की तिथि ... 1-8-69

(ग) (1-7-1969 से पहले स्टैनोग्राफर ग्रेड 3 के अब तक के ग्रेड में सेवा समेत) 10, 15, 20 तथा 25 वर्षों की सेवा सहित स्टैनोग्राफर की संख्या क्रमशः 88, 38, 60 और 21 है।

Closure of Powerlooms in U. P.

3575. **Shri Ramji Ram:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that about 50 thousand weavers and workers have been rendered jobless on account of closure of about 7 thousand powerlooms of the textile cottage industry at Tanda, Hanswar, Iltafat Ganj, Akbarpur of Faizabad district in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by Government to restart them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Prices of Staple Yarn

3576. **Shri Ramji Ram:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that due to the manufacture of staple yarn by 21 mills and its sale at arbitrary rates, thousands of weavers in U. P. have been affected and rendered jobless ; and

(b) if so, the reasons for not including staple yarn in the commodities coming under the Essential Commodities Act and for not controlling its price ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) It has been brought to the notice of Government that weavers in certain areas were facing hardship due to an increase in the market prices of staple fibre yarn.

(b) Staple fibre yarn is already included as an Essential Commodity under the Act. The increase in the market prices of staple fibre yarn was a result of the shortages created due to the closure of the staple fibre unit at Nagda from 12-8-69 to 8-9-69 and of staple fibre yarn spinning units in West Bengal from 1-9-69 to 9-10-69. With the resumption of working of these units, it was hoped that the prices of staple fibre yarn would return to normal level soon. The matter was taken up by the Government with the major spinners of this yarn and as a result, the mills in North India have agreed to ensure that the retail prices in the various markets do not exeeed the level which obtained in July, 1969 plus an increase of 20 Paise per Kg. which is justified by the corresponding increase in the prices of staple fibre supplied to them. The mills would also maintain their supplies of yarn in the various market at the levels of supplies in July, 1969. This should bring relief to the weavers in the affected areas including U. P. The question of fixing fair prices of staple fibre yarn has already been referred to the Tariff Commission. In the circumstances, imposition of a statutory price control on prices of staple fibre yarn was not considered necessary.

Increase in Prices of Staple Yarn

3577. **Shri Ramji Ram :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representative of about 7 thousand powerloom weavers of Tanda, Jalalpur, in Faizabad District of Uttar Pradesh have submitted a memorandum to Government opposing the sudden increase in the prices of staple yarn from Rs. 42.00 to Rs. 53 by the staple yarn factory, Allahabad, Naini ;

(b) if so, the action taken thereon ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) Yes, Sir.

(b) The matter was discussed by the Government with the mills, including the mill at Naini, supplying most of the staple fibre yarn consumed in Faizabad Distt. of U. P. and it has been agreed that these mills would ensure that the retail prices in this area would not exceed the level which obtained in July, 1969 plus an increase of 20 Paise per Kg. which is justified by the corresponding increase in the price of staple fibre supplied to them. They would also maintain their supplies of yarn to these areas at the level of supply in July, 1969.

(c) Does not arise.

करघों को आयातित ऊन के कोटे का नियतन

3578. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में ऊनी करघों को आयातित ऊन का कोटा मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे करघों की संख्या कितनी है और प्रति वर्ष प्रत्येक करघे को कितना-कितना कोटा दिया जाता है ;

(ग) क्या करघों के अस्तित्व का पता लगाने के लिये किसी समय इन करघों का वहां जा कर निरीक्षण किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और ऐसा कब किया गया था ; और

(ङ) इस मौके पर निरीक्षण के परिणामस्वरूप कितने जाली करघे पाये गये ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में लगभग 1600 ऐसे शक्तिचालित करघे हैं जिन्हें, संगठित क्षेत्र के पंजीकृत शक्तिचालित करघों के समान ही, तिमाही आधार पर आयातित ऊन का कोटा दिया जाता है । विगत चार छः महीनों में प्रत्येक शक्तिचालित करघे को आवंटित आयातित ऊन का कोटा निम्नलिखित है :—

अक्तूबर, 1968/मार्च, 1968	6,750 रुपये
अप्रैल, 1968/सितम्बर, 1968	6,750 ,,
अक्तूबर, 1968/मार्च, 1969	5,377 ,,
अप्रैल, 1969/सितम्बर, 1969	6,100 ,,

(ग) जी हां ।

(घ) तथा (ङ). मई-जुलाई, 1969 में वस्त्र आयुक्त के अमृतसर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जांच की गई थी और कतिपय एककों के सम्बन्ध में पाई गई कुछ असंगतियों की जांच की जा रही है ।

हांगकांग में 'भारत सप्ताह' का मनाया जाना

3579. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांगकांग में 19 से 25 मई, 1969 तक 'भारत सप्ताह' बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो समारोह का ब्योरा क्या है ;

(ग) इन समारोहों में भाग लेने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि हांगकांग में भारतीय व्यापारियों ने सप्ताह मनाने में पहल की थी तथा इसको सफल बनाया ; और

(ङ) 'भारत सप्ताह' समारोह के कारण कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित की गई अथवा कमाई जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सप्ताह समारोह में निर्यात योग्य भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाद्य उत्सव, फिल्म तथा फैशन शो शामिल थे ।

(ग) सूची (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2330/69]**

(घ) भारत सप्ताह का आयोजन हांगकांग स्थित आयोग तथा हांगकांग के भारतीय व्यवसायी समुदाय द्वारा किया गया था।

(ङ) यद्यपि प्रदर्शनी में कोई विशिष्ट क्रयादेश बुक नहीं किये गये फिर भी व्यापार सम्बन्धी 2200 पूछताछों में से कुछ पूछताछों के फलस्वरूप सारवान व्यवसाय प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रदर्शनी के दौरान 80000 रु० मूल्य की प्रदर्शित वस्तुएं भी बेची गई।

कोरी फिल्मों के कोटे का आवंटन

3580. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 30 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरी फिल्मों के कोटे के आवंटन के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी अभी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रधान मन्त्री के सचिवालय और उनके निवास स्थान के लिए कारों और फर्नीचर की खरीद

3581. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1969 तक पिछले तीन वर्षों में प्रधान मंत्री के सचिवालय और उनके निवास स्थान के लिये अलग-अलग कितनी कारें और फर्नीचर खरीदा गया ?

प्रधान मन्त्री वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सदन के मेज पर रख दी जायेगी।

लंदन में लार्ड एटली की कब्र के लिये मकबरे का पत्थर

3582. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंदन में वैस्टमिनिस्टर एबे में लार्ड एटली की कब्र के लिये भारतीय पत्थर के लिये क्रयादेश मिला है ;

(ख) यदि हां, तो पत्थर के लिये क्रयादेश कब मिला था ;

(ग) मकबरे के पत्थर को प्राप्त करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) इसके कब तक सप्लाई कर दिये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) वेस्ट मिनिस्टर एबे में लार्ड एटली की समाधि पर लगाए जाने के लिये भारतीय संगमरमर की एक शिला के लिये आदेश दिया गया था।

(ख) 24 अप्रैल 1969।

(ग) और (घ). स्मारक शिला प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई है और वह शिला 29 अगस्त 1969 को यू० के० में पहुंच गई।

विद्युत चालित करघों के लिये एल—4 लाइसेंस का दिया जाना

3583. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल्हापुर जिले के इछालकरांजी नामक स्थान के श्री शांतिलाल वी० मेहता से विद्युत चालित करघों के लिए एल—4 लाइसस के दिये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) अभ्यावेदन में उठाये गये मामले को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इछालकरांजी नामक स्थान के श्री शान्तिलाल वी० मेहता द्वारा दिये गये अभ्यावेदन की एक प्रति वित्त मंत्री को प्राप्त हुई है।

(ख) अभ्यावेदन में यह सुझाव दिया गया है कि उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों की 10 सितम्बर, 1963 की अधिसूचना में निर्धारित वस्त्र आयुक्त के कर अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति की प्रतीक्षा किये बिना केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एल—4 लाइसेंस सभी विद्युत-चालित करघा मालिकों को दिये जाने चाहिए जिनके पास विद्युत-चालित करघे हैं।

(ग) श्री मेहता को वित्त मंत्रालय द्वारा सूचना दी गई है कि 5 जून, 1966 से 10 सितम्बर, 1963 के आदेश वापस ले लिये गये हैं और वस्त्र आयुक्त के अनुज्ञापत्र के बिना एल—4 लाइसेंसों की मंजूरी के लिये कोई आवेदन पत्र नहीं लिया जा सकता।

कपास का आयात

3584. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपास के आयात के बारे में ब्रोच कांटेन एरिया कोआपरेटिव काटन पार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, जवाहर बाजार, ब्रोच से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सरकार का विचार कपास के आयात को अन्तिम रूप से कब तक बन्द कर देने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). ब्रोच कॉटन एरिया कोआपरेटिव कॉटन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, ब्रोच ने एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें वर्ष 1969-70 के कपास आयात कार्यक्रम का हवाला देकर कपास के आयात के विरुद्ध अपने विचार अभिव्यक्ति किये हैं और देश में कपास उत्पादकों को उत्साहित करने के लिये एक नीति अपनाये जाने के लिये प्रार्थना की है। अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। जब तक कपास का स्वदेशी उत्पादन सूती वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयुक्त सीमा तक नहीं पहुंच जाता तबतक कपास का आयात अनिवार्य है। कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठाये गये हैं परन्तु आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

भारतीय नौ-सैनिक डाकयार्ड, बम्बई, में कैन्टीन के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

3585. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय नौसैनिक डाकयार्ड, बम्बई, में कैन्टीन के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) मामलों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या कैन्टीन समिति के अध्यक्ष द्वारा कथित विश्वासघात किये जाने पर कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) शिकायत टाईपराईटरों के क्रय, नाकारा टाईपराईटरों तथा बर्तनों के विक्रय और मुद्रण व्यय के सम्बन्ध में थी।

(ग) आरोप जांच अधीन हैं।

(घ) जी नहीं।

किराया नियंत्रण सम्बन्धी राज्य अधिनियमों का छावनी क्षेत्रों में लागू किया जाना

3586. **श्री सूरज भान :**

श्री राम चरण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने इन्दु भूषण बनाम राम सुन्दरी देवी के

मामले में और 1969 (10) धारा (ए) 67 के अन्तर्गत हाल ही में यह निर्णय दिया है कि किराया नियंत्रण सम्बन्धी राज्य अधिनियम छावनी क्षेत्र में लागू नहीं होंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप पंजाब और हरयाना के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले किरायेदारों को बेदखली के नोटिस दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या पंजाब और हरयाना में स्थित छावनियों में 1949 के पूर्व पंजाब किराया नियन्त्रण के उपबन्धों को लागू करने के लिये 1957 के अधिनियम 46 के अन्तर्गत एक अधिसूचना शीघ्र जारी करने अथवा किरायेदारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई अन्य उपाय करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है । इस विषय में, कि किरायदारों को बेदखली के नोटिसों का सामना करना पड़ रहा है पंजाब और हरियाना के कुछ व्यक्तियों और संगठनों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) उपयुक्त संशोधनों सहित (पूर्वी पंजाब का 1949 का अधिनियम 3) पूर्वी पंजाब नागर किराया सीमा अधिनियम 1949 को हरयाना और पंजाब राज्यों में लागू करने के लिये एक अधिसूचना 21 नवम्बर 1969 को जारी कर दी गई है ।

बख्तरबन्द कोर सेन्टर में टैंक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का चाल करना

3587. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बख्तर बन्द कोर सेंटर और स्कूल में टैंक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम चालू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पाठ्यक्रम के चालू हो जाने से इस कोर की कार्य कुशलता कहां तक बढ़ेगी ; और

(घ) उन्नत देशों की नवीनतम तरीकों और जानकारी का ज्ञान प्राप्त करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

प्रति रक्षा मन्त्री और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). एक टैंक टेकनालोजी पाठ्यक्रम के पुरः स्थापन का प्रश्न विचाराधीन है, कि जिससे यौद्ध-कवचित गाड़ियों के विकास, उत्पादन, रखरखाव तथा इस्तेमाल और उनसे संबंधित साजसामान के बारे में वैज्ञानिक तथा इंजिनियरी समस्याओं का आर्मडकोर के अफसरों को परिबोध प्राप्त हो सकेगा ।

(घ) टैंक टेकनालोजी की अद्यतन तकनीकों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्तकर लिया गया है । विदेश में अपने दूतावासों/मिशनों के माध्यम से, इस विषयपर प्रकाशनों से, विदेशी निर्माण संगठनों

तथा ट्रेड मिशनों इत्यादि के माध्यम से, तथा तकनीकी दलों के तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षणों और अथवा अध्ययन के लिये विदेशों के भ्रमण से सूचना प्राप्त करके उसे निरन्तर अद्यतनी किया जा रहा है ।

करांची में प्रधान मन्त्री के पुतले तथा राष्ट्रीय झंडे का जलाया जाना

3588. **श्री राम कृष्ण गुप्ता :**
श्री न० रा० देवघरे :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अक्तूबर, 1969 को करांची में भारत के राष्ट्रीय झंडे के साथ प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक पुतला जलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में पाकिस्तान सरकार को एक विरोधपत्र भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पाकिस्तान सरकार से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

Civilian Teachers Replaced by Jawans in Guards Centre, Kota

3589. **Shai Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jawans are being appointed as teachers after removing the civilian teachers, who have served in Guards Centre, Kota for six to eight years and have crossed the age-limit and are B. A., M. A. degree holders ; and

(d) if so, the provision made by Government for those teachers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). Civilian School Masters are temporarily employed in lieu of qualified combatant Unit Education Instructors when the latter are not available and are replaced when the combatant instructors become available. In accordance with this policy, in the Guards Centre, Kota, seven civilian School Masters have been replaced by Combatant Unit Education Instructors. None of them had more than 3 years of total service as Civilian School Masters. All of them have been absorbed in alternative appointments.

महाराष्ट्र विद्युत चालित करघे

3590. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र में विद्युत चालित कितने करघे लगाये गये ;

(ख) उनमें से कितने विधिवत लाइसेंसों के साथ चलाये जा रहे हैं; और

(ग) बिना लाइसेंस के चलने वाले विद्युत चालित करघों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में उचित परिमिटों के आधार पर 25611 विद्युतचालित करघे लगाये गये हैं ।

(ग) 28.2.1966 को विद्यमान लाइसेंस-रहित विद्युत चालित करघों के मालिकों को अनधिकृत विद्युत चालित करघों के लाइसेंसों के लिये प्रार्थना पत्र देने के सलाह दी गई है ।

चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिये बर्मा को सहायता

3591. **श्री यश पाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको बर्मा से इस आशय का कोई समाचार मिला है कि चीनी सैनिक बर्मा के पूर्वी भाग में घुस गये है;

(ख) यदि हां, तो क्या बर्मा सरकार ने कोई सहायता मांगी है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रा लय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"Switch Trade" of Indian goods

3592. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report of Calcutta's famous tea broker company, Messrs. J. Thomas and Company for the year 1968-69, regarding tea market wherein it has been stated that consequent upon India exporting tea to countries which accept rupee payment the tea export trade of the country is being adversely affected, because these countries sell tea also alongwith other articles imported by them from India to some other countries ;

(b) if so, whether Government have taken any steps to check this sort of "Switch trade" of Indian goods and if so, the details thereof ; and

(c) whether Government have conducted any survey to find out whether Indian goods are being used for the purpose of 'Switch trade' and if so, the findings thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes. Sir,

(b) and (c). This has been a matter under continuous study. During the trade negotiations care is taken to see that export of tea to rupee trade countries in accordance with the requirements of their domestic consumption. Sporadic cases of diversion at the enterprise level have come to the notice of Government from time to time. However, the quantum has been negligible.

Demand for Indian Pulses

3593. **Shri Ram Avatar Sharma :** Will the Miniter of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the demand for Indian pulses is increasing in foreign countries ;

(b) if so, the steps so far taken by Government to ensure that there is more and more demand of the Indian pulses in the foreign countries ;

(c) the value of pulses exported so far to the foreign countries, country-wise, during the last three years ; and

(d) whether Government have taken any steps to step up the production of pulses in the States which are predominantly pulse growing ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (ChowdharyRam Sewak) : (a) and (b). There is a certain demand for pulses abroad. Because of the shortage in production, only a limited quantity of pulses was allowed export in the past which is being increased progress very consequent upon larger production.

(c) A statement of export of pulses during the last three years is placed on the table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2331/69]**

(d) As a result of the various measures being taken by the Government the production of pulses is expected to increase to about 16 million tonnes by the end of 1973-74, from the present level of 10.4 million tonnes.

Proposal to Employ Underground Nagas in Indian Army

3594. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to appoint those underground Nagas, who surrendered themselves, against suitable posts in the Indian Army ;

(b) if so, the number of such Nagas who are being offered high posts in the Army ; and

(c) whether Government are of the view that these Nagas would perform their duties in the Army with the same sincerity and loyalty with which an Indian Officer is expected to do ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). There are Nagas already serving in the Indian Army and the Assam Rifles. The proposal is that those Underground Nagas who come overground and offer themselves for service in the armed forces and other organisations and are considered suitable in all respects, may be considered for rehabilitation. It would not be correct to cast doubts on the loyalty and sense of duty of such persons only on the ground of their past, without giving them adequate chance to prove their bonafides in the changed circumstances.

लंदन स्थित चीन के दूतावास द्वारा भारतीय राजनयिक को निमंत्रण

3595. **श्री अदिचन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित चीन के दूतावास ने चीन गणतंत्र की 20 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में अक्तूबर, 1969 को एक पार्टी पर ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त को आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राजनयिक ने उस समारोह में भाग लिया था; और

(ग) क्या सरकार इस कार्यवाही को भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण चीन के रवैये में परिवर्तन का द्योतक समझती है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) लंदन में उस समय के कार्यकारी भारतीय उच्चायुक्त ने लंदन स्थित चीनी दूतावास से 1 अक्तूबर को आयोजित चीनी राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए, निमंत्रण प्राप्त किया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत, राजनयिक शिष्टाचार के मानदंडों के अनुरूप है और सरकार को इसमें कोई विशेष महत्व नजर नहीं आता ।

संगणकों का निर्माण

3596. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री 20 अगस्त 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगणक बनाने के सम्बन्ध में आई० सी० एल० और आई० बी० एम० के नवीनतम प्रस्तावों पर इस बीच विचार पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रति रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

मेरठ के निकट एक दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के एक विमान चालक की मृत्यु

3597. **श्री अदिचन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 सितम्बर, 1969 को अथवा इससे पहले मेरठ (उत्तर प्रदेश) के निकट एक विमान दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के एक विमान चालक की मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । दुर्घटना 24 सितम्बर, 1969 को हुई थी ।

(ख) कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

चौथी योजना के लिये संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन पर मतभेद

3598. **श्री अदिचन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिए संसाधनों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में योजना आयोग तथा आर्थिक मामलों से सम्बन्धित मंत्रालय के बीच मतभेद पैदा हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह मतभेद क्या हैं ; और

(ग) नवीनतम पुनर्मूल्यांकन क्या है और चौथी योजना के अधीन संसाधनों का पुनर्निधारण किस प्रकार करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

Publications brought out by the Department of Statistics

3599. **Shri Molahu Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2360 on the 6th August, 1969 and state :

(a) the reasons for publishing old and useless publications in English and the details of their sale during the last three years, year-wise ;

(b) whether any further action has been taken to solve the problem of appointment of more Hindi-trained employees, with a view to bring momentum in the work of Hindi translation of regular publications of technical nature ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The 31 **ad hoc** publications brought out in English during the years commencing from 1952 contained uptodate information and were useful at the time of their publication. With the passing of time they have become mostly outdated and hence the view has been taken that there may be no need to bring out Hindi versions of these publications at this distance of time. The total numbers of copies of these publications sold during 1966-67, 1967-68, 1968-69 and 1969-70 (till end of October, 1969) are 137, 401, 118 and 58 respectively.

(b) and (c). The following additional posts have been sanctioned to strengthen the Hindi Cell in the Central Statistical Organisation :—

(i)	Hindi Officer (Cl. II-Gaz) (Rs. 350-900)	—	1
(ii)	Sr. Investigators (Hindi) (Cl. II-non-Gaz) (Rs. 325-575)	—	2
(iii)	Stenographer (Hindi) (Gr. III) (Rs. 130-280)	—	1

भारत अमरीका व्यापार

3600. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सफल व्यापारिक फर्मों के उच्च कार्यकारी अधिकारियों का एक शिष्ट मण्डल दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार करने की दृष्टि से वार्ता के लिये सितम्बर, 1969 में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी, और क्या निर्णय किये गये थे ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिनिधि मण्डल अमरीकी सरकार द्वारा प्रायोजित एक व्यापार मिशन नहीं था, बल्कि एक गैर-सरकारी मिशन था, जिसने टी० डब्ल्यू० ए० प्रारम्भिक उड़ान पर टोकियो के रास्ते से बम्बई का दौरा किया। किन्तु बम्बई में ठहरने के दौरान, प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों ने अनेक भारतीय व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा प्रबन्धकों के साथ व्यापार-वार्ता की। ये वार्ताएं केवल सामान्य प्रकार की थीं जिनका मुख्य उद्देश्य भारत अमरीकी व्यापार को विकिसत करने के मार्गोपायों को ढूंढना था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा सीमा खम्भों के हटाये जाने का समाचार

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): I rise on a point of order. In this Notice the names of only three persons have been clubbed where as generally the names of five persons are clubbed. I myself, Shri Nihal Singh and Shri Deven Sen had also given notice on this subject but two more names have not been clubbed to it.

अध्यक्ष महोदय : इस नोटिस का विषय उससे भिन्न है। आप सभा का समय नष्ट न करें।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर वक्तव्य दें।

"आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी पुलिस द्वारा सीमा खम्भों के हटाये जाने का समाचार।"

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : अगस्त, 1969 को सीमा सुरक्षा बल, आसाम के संयुक्त खासी और जयन्तिया पहाड़ियों के सेक्टर कमान्डर ने पाकिस्तानी रुष्ट्रिकों

द्वारा चूने के पत्थर की खानों में किये जाने वाले तोड़-फोड़ के कार्यों के, जिसमें सीमा के खम्भों को नुकसान पहुंचाने की सम्भावना थी, विरुद्ध पाकिस्तान के सेक्टर कमान्डर से विरोध व्यक्त किया। विरोध के बावजूद सीमा खम्भा संख्या 1199/टी/1 हटा दिया गया। उसके बाद तत्काल सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर कमान्डर ने पाकिस्तान के सेक्टर कमान्डर से सम्पर्क स्थापित किया और मामले को सुलझाने तथा खम्भों को पूर्वस्थिति में लाने के लिये एक बैठक बुलाने के लिये कहा। वह 8 दिसम्बर को मिलने के लिये सहमत हो गये थे लेकिन वह बैठक में नहीं आये। खम्भों को तत्काल गाड़ने के लिये हम पाकिस्तान सरकार के साथ मामला उठा रहे हैं। इसी बीच सीमा का अतिक्रमण करने के लिये की गई किसी कोशिश के विरुद्ध, यदि यह कोशिश की जाय, कड़ी कार्यवाही करने के लिये सीमा सुरक्षा बल को अनुदेश दिये गये हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : दक्षिणी आसाम के मध्य क्षेत्र में खनिज का बड़ा भारी भण्डार है। वहां के लोगों ने कई बार यह शिकायत की है कि पाकिस्तानी राष्ट्रिक इस क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं और वे बलपूर्वक, अपनी सशस्त्र पुलिस की मदद से, खनिज भण्डार पाकिस्तान ले जा रहे हैं और सीमा सुरक्षा बल एक मूकदर्शक बना हुआ है। इस दृष्टि से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने कई बार सीमा स्थित खम्भों को हटाया है और वास्तव में उन्होंने आसाम के उस क्षेत्र के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि चालू वर्ष के दौरान इस तरह की कितनी घटनायें हुई हैं। इस सम्बन्ध में अब तक कितने पाकिस्तानी पकड़े गये हैं और सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को पूरी तरह से लैस करने के लिये क्या कदम उठाये हैं, ताकि सीमा की भलीभांति रक्षा की जा सके और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? दूसरे, मंत्री महोदय के वक्तव्य से मालूम होता है कि सीमा खम्भा संख्या 1199/टी/1 ही हटाया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि सीमा को निर्धारित करने के लिये पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत करने की आवश्यकता ही क्या थी, जबकि बताया गया है कि खम्भा हटाया गया है, तो इससे पता चलता है कि क्षेत्र निर्धारित किया जा चुका था और सीमा पर खम्भे लगाये गये थे? क्या अब यह सम्भव नहीं है कि सरकार उसी स्थान पर खम्भा गाड़ने की कार्यवाही करे, क्योंकि पाकिस्तान ने बैठक में आने के लिये कोई उत्तर नहीं दिया है?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस बारे में कुछ नियम हैं और इस बारे में एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। नियम के अनुसार दोनों देशों के सेक्टर कमान्डरों को मिलकर मामले पर चर्चा करके इसे निपटाना चाहिये। यदि यह दो सेक्टर कमान्डरों द्वारा तय नहीं होता है तो इस मामले पर दोनों देशों की राज्य सरकारों को बातचीत करनी होती है। सेक्टर कमान्डरों के मध्य बातचीत करने के सम्बन्ध में बैठक निश्चित की गई थी। सेक्टर-कमान्डर बैठक में नहीं आ सका। किसी विंग कमान्डर ने आकर यह सूचना दी थी। अब कोशिश यह की जा रही है कि बैठक 20 दिसम्बर के बाद तय की जाय।

मैं माननीय सदस्य के इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं कि यह क्षेत्र खनिज का एक बड़ा भण्डार है। सीमा सुरक्षा बल को इस सम्बन्ध में, क्षेत्र की निगरानी रखने के लिये पर्याप्त अनुदेश दिये गये हैं।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : इस विशेष क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले हुये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक खम्भों को हटाने का सम्बन्ध है, यह पहली घटना है, लेकिन खनिजों को एकत्रित करने के लिये अवैध प्रवेश के सम्बन्ध में आरोप मिले हैं। मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पाकिस्तान पिछले दो वर्षों से इकतरफा हमारी नीतियों और कार्यों से लाभ उठा रहा है। 1967 से फरवरी, 1969 तक पाकिस्तान ने 207 बार हमारे क्षेत्र का सशस्त्र उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने 57 करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति भी अकेले पूर्व पाकिस्तान में जब्त की है। इस दृष्टि से आसाम और पूर्व पाकिस्तान की सरकारों के भूमि विभाग ने 1969 में सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सम्बन्ध में एक संयुक्त सर्वेक्षण किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के विभाजन का कार्य पूरा हो गया है। यदि यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो उसकी स्थिति क्या है ?

दूसरे, बेरूबाड़ी जैसे कुछ मामले हैं मुझे मालूम है कि बेरूबाड़ी का मामला उच्चतम न्यायालय में है और जैसे ही इस पर निर्णय हो जायेगा, क्या सरकार इन मामलों को शीघ्र निपटायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक सीमा सुरक्षा बल और अन्य मामलों का, जिनका कार्यभार मेरे पास है, सम्बन्ध है, मैं जानकारी दे सकता हूं। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मुझे खेद है और मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहता हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पत्र

उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : श्रीमती इन्दिरा गांधी की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०-2313/69]**

टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पत्र, नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951, की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) रेशम उत्पादन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1969)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर दिनांक 6 दिसम्बर, 1969, का सरकारी संकल्प संख्या 11 (1)-टैर/69 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2314/69]**

(2) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा उपर्युक्त अधिनियम, के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2315/69]**

(3) निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963, की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) लिनौलियम का निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1969, जो दिनांक 15 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3753 में प्रकाशितहुये थे।

(दो) नारियल जटा के धागे का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4431 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2316/69]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान, राज्य सभा के सचिव से प्राप्त मुझे निम्नलिखित सूचना देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक, 1969

की, जिसे राज्य सभा ने अपनी 3 दिसम्बर, 1969 की बैठक में पास कर दिया है, एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968 में लोक सभा द्वारा 1 दिसम्बर, 1969 को किये गये निम्नलिखित संशोधनों से राज्य सभा अपनी 8 दिसम्बर, 1969 की बैठक में सहमत हो गई :—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, लाइन 1 में—

'19वां' के स्थान पर '20वां' रखिये ।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, लाइन 4 में,

"1968" के स्थान पर "1969" रखिये।

विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
Bill as passed by Rajya Sabha laid on the Table

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में व्यापारिक नौवहन (संशोधन) विधेयक, 1969 को भी सभा-पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन
REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

56वां प्रतिवेदन

श्री मंगरू उइके (मण्डला) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 56वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक
MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES BILL

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विषय संख्या 8 को लेता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : चूंकि मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं, इसलिये सभा स्थगित की जाये । (व्यवधान)

Shri Rabi Ray (Puri) : I rise on a point of order. It is a very important Bill. The Report of the Select Committee is here. The Bill has been passed by the Rajya Sabha also.

It is surprising that here is no Minister. The House may be adjourned.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले आये हुये हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : In a Department there is not only a Cabinet Minister, but there is a State Minister and Deputy Minister also. If there is not a Cabinet Minister in the Hosue, a State Minister or Deputy Minister should remain here. You should issue some directive in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । यदि आप विलम्ब से आयें, तो अध्यक्ष को अवश्य बता जायें ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सभा को जो असुविधा हुई है, मुझे उसके लिये खेद है । माननीय सदस्यों ने जो संशोधन सभा-पटल पर रखे हैं, मैं उनको पढ़ रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार राज्य मंत्री या उपमंत्री को तो सभा में उपस्थित रहना चाहिए था ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि आर्थिक प्रणाली के प्रवर्तन का परिणाम सामान्य उपाय करने वाले आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो, एकाधिकारों के नियंत्रण के लिये, एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के प्रतिषेध के लिये और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

6 अप्रैल, 1948 को सरकार ने एक संकल्प स्वीकार किया था, जिसमें अर्थ-व्यवस्था पर बल दिया गया था कि उत्पादन बढ़ाया जाये और उसका समान वितरण किया जाये । इसके बाद भारत का संविधान बना, जिसमें इसकी व्यवस्था की गई । जब 1954 में संसद् ने समाज की समाजवादी व्यवस्था को देश की सामाजिक और आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, तब इन सिद्धान्तों को उचित दिशा मिली ।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है फिर भी गैर-सरकारी क्षेत्र में हुई कुछ गतिविधियों के कारण कुछेक हाथों में पूंजी जमा होने की प्रवृति देखने में आई है, जो जनता के विरुद्ध जाती है । और इसका पता लगाने के लिए सरकार ने महालनोबिस आयोग नियुक्त किया और एकाधिकार जांच आयोग नियुक्त किया । इन आयोगों ने अपने प्रतिवेदन सरकार को 31 अक्तूबर, 1965 को दिए । सरकार ने इन पर अपना निर्णय दिनांक 5 सितम्बर, 1966 के एक संकल्प में लिया । सरकार ने 8 अगस्त, 1966 को एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा विधेयक राज्य सभा में पेश किया जिसे 23 दिसम्बर, 1967 को एक संयुक्त समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया जिसने अपना प्रतिवेदन राज्य सभा को 17 फरवरी, 1969 को पेश किया । राज्य सभा ने इसे 24 जुलाई, 1969 को पास किया और अब इस पर लोक सभा में विचार किया जा रहा है ।

यद्यपि राज्य सभा में पेश किए गए विधेयक का ढांचा एकाधिकार जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार है फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

प्रस्तावित एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को इस प्रथा सम्बन्धी आदेशात्मक अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव हैं और अन्य मामलों में, विशेषकर आर्थिक शक्ति और एकाधिकारवादी प्रथाओं के सम्बन्ध में, आयोग को परामर्श देने के अधिकार दिये जाने हैं अर्थात् सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाने वाले कुछ प्रकार के मामलों की छानबीन करके उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार किसी उद्योग समूह के उपक्रमों पर, जिनकी आस्तियों का कुल मूल्य 20 करोड़ से कम हो, नियंत्रण रखने सम्बन्धी उपबन्ध का रखा जाना है।

इस विधेयक के उपबन्ध कितने विवादास्पद हैं, इसका अनुमान संयुक्त समिति के 12 सदस्यों द्वारा दिये गए विमति टिप्पणों से लगाया जा सकता है। फिर भी समिति ने सराहनीय कार्य किया है। समिति ने न केवल किन्हीं रिक्तियों की पूर्ति की है अपितु निर्धारित प्रक्रिया को सुगठित भी किया है और विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों को भी कड़ा बनाया है ताकि ये और प्रभावी बन जाएं। विधेयक में वह समय-सीमा भी निर्धारित की गई है जिसके अन्दर आयोग को अपनी जांच पूरी कर लेनी होगी और सरकार को वे मामले निपटाने होंगे। ऐसा प्रशासनीय विलम्ब से होने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए और इस विधान को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है।

विधेयक के खण्ड 38 में उपबन्ध है कि कोई निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा लोक हित के विरुद्ध समझी जाएगी जब तक कि आयोग इस विधेयक में उल्लिखित आठ कारणों में से किसी एक के आधार पर न्यायोचित न समझे। विधेयक के तीसरे अध्याय का भाग (क) आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के बारे में है। खण्ड 20 से स्पष्ट है कि जिन उपक्रमों पर यह भाग लागू होगा उनकी परिभाषा देश-वार और उत्पाद-वार केन्द्रीयकरण के दृष्टिकोण से दी गई है।

जिन उपक्रमों पर तीसरे अध्याय का भाग (क) लागू होता है उनके द्वारा काफी बड़े विस्तार और नए उपक्रम स्थापित करने की योजनाओं तथा उपान्तीय समामेलन और अधिकार में ले लेने की योजनाओं को विनियमित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को खण्ड 21, 22 तथा 23 द्वारा दिया गया है।

शब्द 'एकाधिकारवादी उपक्रम' की परिभाषा को विस्तरित करके इसमें वे उपक्रम भी लाए गए हैं जो कम से कम दो अन्य स्वतन्त्र उपक्रमों के साथ मिलकर कुल उत्पादन से आधा उत्पादन करे उनकी पूर्ति और वितरण करें अथवा कुल सेवाओं के कम से कम आधे भाग का उत्पादन करें अथवा उन पर नियंत्रण हो।

विधेयक के खण्ड 10 के अन्तर्गत भी अधिकार बढ़ाकर एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रथा आयोग को ऐसी प्रथाओं की नए सिरे से जांच करने का अधिकार दिया गया है।

हमें जहां देश में औद्योगिक विकास की गति तेज करनी है वहां संविधान के निदेशक सिद्धान्तों की भी रक्षा करनी है। इस उद्देश्य से ही यह विधेयक पेश किया गया है। आशा है सदस्य इसका समर्थन करेंगे। इसके साथ मैं विधेयक पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि आर्थिक प्रणाली के प्रवर्तन का परिणाम सामान्य उपाय करने वाले आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो, एकाधिकारों के नियन्त्रण के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार-प्रथाओं के प्रतिषेध के लिए और तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री अशोक मेहता (भण्डारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि यह विधेयक लाने में सरकार ने इतना विलम्ब किया है। ऐसे विधान सब से पूर्व ब्रिटेन और अमरीका जैसे देशों में भी बन चुके हैं। जहां तक इस विधेयक के मुख्य उद्देश्यों का सम्बन्ध हैं, मैं इनसे पूर्णतया सहमत हूं और मैं समझता हूं कि किसी भी विचारधारा के व्यक्ति को इन प्रयत्नों पर आपत्ति नहीं होगी। परन्तु प्रश्न यह है कि इनकी प्राप्ति के लिए कौन-कौन से और कैसे उपाय किए जाएंगे। परन्तु इससे पूर्व मैं श्री अहमद को, जो औद्योगिक विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, ऐसी आर्थिक नीति अपनाने का दोषी मानता हूं जिससे कमियां आएंगी, सभी प्रकार के अंकुश लगाए जाते हैं, कुछ प्रकार के व्यापार की रक्षा की जा रही है और आसानी से लाभ कमाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

मेरा विश्वास है कि श्री मसानी सहित सभा के सभी सदस्य इस बात के लिए इच्छुक हैं कि कम्पनियों के स्वामित्व और निदेशक पदों के गठबन्धन समाप्त हों, परन्तु ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न करके नहीं किया जा सकता जैसा कि श्री अहमद कर रहे हैं।

अब हमें विधेयक और उसके उपबन्धों पर चर्चा करनी चाहिये। मुझे अत्यन्त खेद है कि विधेयक के कई अंश अस्पष्ट भ्रम पैदा करने वाले हैं और कई खंडों का प्रारूप ठीक प्रकार से तैयार नहीं किया गया है। विधेयक में कई एक परिभाषाएं हैं। एक स्थान पर "व्यापार पद्धति" की परिभाषा दी गई है। इसमें "किसी व्यक्ति के व्यापार से सम्बन्धित किसी एक अथवा अकेले कार्य" की बात आनी चाहिये। व्यापार पद्धति की वास्तव में यह एक आश्चर्यजनक परिभाषा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। इसका अध्यक्ष कौन होगा ? इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है, आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि 10 वर्ष का अनुभवी कोई भी वकील उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। मैं इस बात की ओर विशेष ध्यान दिलाऊंगा कि आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। परन्तु इस विषय पर चर्चा करने से पहले मुझे एक और बात कहनी है। जबकि सरकारी क्षेत्र एकाधिकार स्थापित कर सकता है, चाहे वह जीवन बीमा निगम हो अथवा अन्य कोई निगम हो अथवा एक से अधिक निगम हों तब भी यह एकाधिकार होगा क्यों कि इस पर केवल एक ही पार्टी का स्वामित्व है। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं

है, परन्तु मुझे यह कहना है कि सरकारी क्षेत्र में कोई भी निगम अथवा कोई भी सरकारी प्राधिकार एकाधिकार अथवा निर्बन्धनकारी प्रथा अपनाने में पूर्णतया समर्थ है। एकाधिकार और एकाधिकार प्रथा में कुछ भेद है।

आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रीयकरण का सामना करने के लिये एक नीति की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हमें उद्यमों पर ऐसी जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिये जिन्हें वे निभा नहीं सकते हैं। किसी उद्योग-धंधे चलाने वाले से हम उत्पादन की जाने वाली वस्तु, उसकी इस सम्बंध में प्रक्रिया, लागत, निर्यात की मात्रा, वित्त-पोषण योजना आदि के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं किन्तु हम उससे सरकार को सन्तुष्ट करने के बारे में कैसे आशा कर सकते हैं। खंड 23 के अनुसार उसे सरकार को यह स्पष्ट करना है कि उसके उद्यम से संकेन्द्रीयकरण न होगा अथवा इससे लोक हित को हानि पहुंचेगी। सरकार को यह स्वयं मालूम होना चाहिए। इस सम्बन्ध में रूपरेखा तथा नीति की दृष्टि से ही सरकार को निर्णय करना चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण विस्तार का कार्यक्रम होता है तो मंत्रालय द्वारा पहले ही छान-बीन की जाती है जो अनेक प्रकार की, बहुत देर तक तथा बहुत कष्ट देने वाली होने वाली होती है। क्या हम एक ओर जांच करने जा रहे हैं जो और अधिक बाधक हो ?

संकेन्द्रणा तीन प्रकार का होता है ; अर्थात् स्वामित्व का संकेन्द्रणा, उत्पादन का संकेन्द्रण तथा प्रबन्ध का संकेन्द्रण। मंत्री महोदय ने विभिन्न प्रकार के संकेन्द्रणों तथा उन्हें दूर करने के भिन्न-भिन्न उपायों में अन्तर करने की परवाह नहीं की है। यदि विश्व के बाजारों में हमें प्रतियोगिता करनी है तो अन्तिम संकेन्द्रण के सम्बन्ध में हमें उपाय करने होंगे। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें हमें बड़े पैमाने पर तथा बड़े-बड़े कारखाने लगाकर उत्पादन करना होगा। ऐसे मामलों में यदि किसी सरकार को निर्यात की तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की जानकारी है तो उसे कुछ कारखानों को आपस में मिलाने की नीति अपनानी चाहिये।

क्या आप जानते हैं कि श्री विल्सन के नेतृत्व में ब्रिटेन की रेबर सरकार एकाधिकारी संस्थाओं को बनाना नहीं चाहती है किन्तु इस सरकार ने ब्रिटिश इण्डस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कारपोरेशन बनाया है जिसमें 15 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है। विश्व के बाजार में प्रतियोगिता करने के लिये इस कारपोरेशन ने लगभग 36 कारखानों को मिलाया है जिसमें मोटर-गाड़ियों के दो बड़े उद्योग, लेलैंड और बी एम सी का मिलाया जाना भी शामिल है। मैं यह चाहता हूं कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सरकार को इस प्रकार का उपाय करना चाहिए। भारत में मोटर-गाड़ी उद्योग भी एक ऐसा क्षेत्र है। इन तीन छोटे कारखानों को अधिक सफलता नहीं मिलेगी। इन्हें एक ही प्रबन्ध के अधीन लाया जाना चाहिये। ऐसा राष्ट्रीयकरण किसी अन्य ढंग से किया जा सकता है।

इस समय मेरे सामने भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन सम्बन्धी मामला है। इसमें यह बताया गया है कि चौथी योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में निगमों में 2,800 करोड़ रुपये लगाये जाने हैं। इसमें से निगमों की बचत केवल 25% होगी। यहां पर मैं गैर-सरकारी क्षेत्र में निगमों की चर्चा कर रहा हूं न कि सरकारी क्षेत्र में निगमों की। स्त्रोतों का 13% आम जनता

से इकट्ठा किया जाना है । 7% विदेशी निजी फर्में लगायेंगी । इसका 55% बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सरकारी वित्त पोषक संस्थाओं को सरकार द्वारा दिया जायेगा । क्या सरकार यह नहीं बता सकती है कि किन-किन क्षेत्रों में विकास किया जायेगा ?

दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार के पास जो भी सीमित साधन हैं उनसे क्या किया जा सकता है । इटली में आई० आर० आई० है, जो एक सरकारी संस्था है और विभिन्न क्षेत्रों में 130 कम्पनियों को नियंत्रित करती है । इटली में आई० आर० आई० के अन्तर्गत इन 130 कम्पनियों द्वारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 5% उत्पादन किया जाता है । इससे सम्बन्धित निधि में सरकार द्वारा लगाये गये प्रत्येक लीरा पर गैर-सरकारी क्षेत्रों में 20 लीरा निवेश करता है । इस प्रकार पब्लिक पार्टिसिटेशन मंत्रालय और आई० आर० आई० के अन्तर्गत इटली की अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ।

हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारा उत्पादन दो प्रकार है । एक बुनियादी और प्रारम्भिक सामान का उत्पादन और दूसरा परिष्करण और निर्माण सम्बन्धी उत्पादन । धातुकर्म सम्बन्धी तथा रासायनिक उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में बुनियादी तथा प्रारम्भिक वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है क्योंकि रासायनिक उद्योगों के वृहत् निगम हैं जिनके साथ हमें प्रतियोगिता करनी है । उदाहरणार्थ, जर्मनी में अकेले तीन रासायनिक उद्योग निगमों ने 1969 में लगभग दस खरब डालर का निवेश किया है । अतः इन उद्योगों के मामले में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना है । इसका पूंजीवाद और साम्यवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है । हम चाहते हैं कि आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के बारे में कार्यवाही करने के लिए कदम उठाये जायें । किन्तु जहां भी आवश्यक हो हम बड़े उद्यमों के विकास में बाधा न डालें । एल्यूमीनियम, इस्पात, औषध तथा औषध-निर्माण जैसे कुछ उद्योग हैं तथा कुछ अन्य बुनियादी सामान हैं जिनका इसलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना हैं ताकि हम देश में एक ओर गौणा उद्योगों के विकास और लागत को तथा दूसरी ओर उनके माल के निर्यात को लाभ पहुंचा सकें । लेकिन यहां ऐसा कोई विचार नहीं है ।

ऐसा एक स्पष्ट मापदण्ड होना चाहिए जिसमें उन लोगों के बारे में निर्णय किया जाये जो कोई धन्धा शुरू करते हैं । इस प्रकार की व्यापक शक्तियों से केवल देर और व्यापक असंतोष ही होगा । इससे देश में उपकरों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होगा । यद्यपि इसके उद्देश्य वांछनीय और सराहनीय हैं किन्तु इस सम्बन्ध में उचित उपाय नहीं निकाले गये हैं । विधेयक को उचित रूपरेखा देने की आवश्यकता है । आप आर्थिक योजना के बारे में बात करते हैं । इस योजना से बिल्कुल अलग किया गया ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.07 बजकर 7 मिनट म०प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven Minutes Past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चिन्तामणि पाणिग्रही बोलेंगे। माननीय सदस्य छोटे से छोटा वक्तव्य दें ताकि उनके दल से कुछ अन्य सदस्यों को भी समय दिया जा सके।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यद्यपि विधेयक को लाने में विलम्ब किया गया है फिर भी यह एक अच्छा कदम है। हमने लोगों से बार-बार कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें समाज के मुख्य-मुख्य साधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण को इस प्रकार बांटा जायेगा जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो और उसके अन्तर्गत अपनाई जाने वाली आर्थिक पद्धति में धन एक जगह इकट्ठा न हो पाये वह सब लोगों के पास समान रूप से हो।

यह बात एक उन्नत औद्योगिक समाज में ही हो सकती है कि सम्बन्ध, उत्पादन और स्वामित्व के संकेन्द्रण में थोड़ा अन्तर होता है, किन्तु भारत के आर्थिक विकास की पृष्ठ भूमि तथा इस देश में जो वर्गों का स्वरूप है, उसको ध्यान में रखते हुये इसके संकेन्द्रण के तीन पहलुओं में भी बहुत कम अन्तर है। भारत में एकाधिकारियों को सब स्थानों पर नियंत्रण है, वे प्रबन्ध के सर्वे सर्वा हैं, उत्पादन और वितरण उनके अधीन हैं यहां तक कि जिस वस्तु का उत्पादन होता है उसका स्वामित्व भी उनके ही पास है।

जहां-जहां अधिक उत्पादन का प्रश्न पैदा होता है तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस दिशा में हर पग पर एकाधिकार एक बाधा के रूप में सामने आता है। इस विधेयक में इसी प्रवृति को रोकने के लिये प्रयत्न किया गया है अर्थात एक ही साथ में सारा नियंत्रण न जा पाये इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। इसके अनुसार जहां एक ओर उत्पादन की मात्रा पर तो कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार नहीं है परन्तु उन एकाधिकारियों पर रोक लगाने का प्रयत्न किया गया है जो उत्पादन के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं वह भी अपने अधिक लाभ कमाने के स्वार्थ के कारण।

औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में कारखानों को मिलाया जा सकता है ताकि उत्पादन लागत घटाई जा सके तथा उत्पादन के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों को निकाला जा सके, परन्तु भारत में इसके लिये उपर्युक्त स्थिति उपलब्ध नहीं है। भारत में अधिक उत्पादन की दृष्टि से तकनीशियनों, विज्ञान वेत्ताओं को ही अधिक महत्व दिया जाना चाहिये न की उद्योगपतियों को। इन लोगों को एकाधिकारियों के प्रभाव से बचाना चाहिये। और ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिससे यह तकनीशियन तथा विज्ञान वेता अपनी बुद्धि तथा कुशलता का उत्पादन के और अच्छे तरीके निकालने के लिये प्रयोग कर सकें।

यह आलोचना, कि विधेयक से देश के आर्थिक विकास में बाधा आयेगी, बेकार है इसका कोई आधार नहीं है। वास्तविकता तो यह हैं कि यह एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिये अपर्याप्त है। इसमें और अधिक निर्बन्धन होने चाहिये तथा इसके नियम और अधिक कठोर होने चाहिगे। इस विषय पर सरकार को दत्त समिति की सिफारिशों का अध्ययन तथा जांच

करनी चाहिये और यदि आवश्यक हो तो एकाधिकार आयोग द्वारा दी गई सभी 75 एकाधिकार प्राप्त संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। सभी क्षेत्रों में एकाधिकार का विकास किये बिना सम्पत्ति के उत्पादन में वृद्धि करने का केवल यही एक साधन है कि यथासंभव अधिकाधिक उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय जिनके लाभ का अनुपात अधिक है तथा जिनके वितरण पर नियंत्रण है। मोटर गाड़ी उद्योग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

अब समय आ गया है जब हमें एक या दो वर्ष के अन्दर ही ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे आय के बड़े अन्तर को समाप्त अथवा कम किया जा सके। इस दिशा में यह विधेयक पहला कदम है। विधेयक के उपबन्धों को लागू करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

भारी उद्योगों के सम्बन्ध में भी जिनका हमने सरकारी क्षेत्र में विकास किया है, यह बात है कि इनमें बनी वस्तुओं की खपत मुख्य रूप से एकाधिकारियों द्वारा की जाती है। अतः जब तक इनभारी उद्योगों के साथ गौरव उद्योगों का भारी उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने के लिये विकास नहीं किया जाता तब तक इन एकाधिकारियों को ही लाभ होता रहेगा और उनका दिन प्रति दिन विकास होता रहेगा।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : स्वतंत्र दल का विश्वास है कि प्रतियोगिता पर कोई प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय नहीं है यद्यपि कुछ एक मामलों में सामाजिक प्रयोजनों के लिये यह किया जा सकता है। प्रतियोगिता सुधार की दृष्टि से अच्छी है जिससे उपभोक्ताओं के शोषण आदि बहुत सी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अतः हम किसी भी किस्म की निर्बन्धन कारी व्यापार प्रथाओं तथा एकाधिकार के विरुद्ध हैं। चाहे आर्थिक या राजनैतिक शक्ति को हम इसके एक ही व्यक्ति के हाथ में एकत्रित होने के विरुद्ध हों। परन्तु हम किसी भी ऐसे एकाधिकार विधान के विरुद्ध समर्थन करने के लिये तैयार हैं जो सत्यता और वास्तविकता से पूर्ण हो।

हम इस विधेयक को बहुत असंतोषजनक समझते है, क्योंकि यह एकाधिकार के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। संसद में प्रस्तुत किये जाने के समय यह काफी खराब स्थिति में था। संयुक्त समिति से वापस आने के बाद यह और भी खराब हो गया है। जैसा कि मंत्री महोदय ने दावा किया है, यह एकाधिकार आयोग प्रतिवेदन से बिल्कुल भिन्न आधार पर है।

एकाधिकार किसी वस्तु के उत्पादन पर शत प्रतिशत प्रमुख अथवा नियंत्रण अथवा अधिपत्य का नाम है। अतः इस प्रकार एक ही वस्तु के तीन एकाधिकार नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में गैर-सरकारी उद्योगों में एक भी एकाधिकार की श्रेणी में नहीं आता। किन्तु सरकार के कितने ही एकाधिकार है जैसे जीवन बीमा आयोग इण्डियन एअर लाइन्स कारपोरेशन एअर इण्डिया इण्टर नेशनल, भारतीय रेल, तार, टेलीफोन, आकाशवाणी, ये सब शत प्रतिशत सरकार के एकाधिकार है।

अतः भारत में एकमात्र एकाधिकार पद्धतियां भारत सरकार के उद्यमों की हैं। राज-व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम तथा भारतीय खाद्य निगम आदि जैसे गैर-

सरकारी क्षेत्रों के एकाधिकार है। एकाधिकार से सम्बन्ध दास गुप्त आयोग ने भी इस बात को नोट किया है और यह सलाह दी है कि जब एक विधेयक पेश किया जाय तो सरकार के एकाधिकारों को भी इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिये इसमें प्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया है कि यदि लोकहित में गैर-सरकारी उद्यमों पर आयोग के नियंत्रण की आवश्यकता हो तो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर भी इसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता है।

यह खेद की बात है कि सभी सरकारी एकाधिकारी संस्थाओं को इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र से अलग रखा गया है। जो एकाधिकारी संस्थाएं इस समय हैं उनके सम्बन्ध में विधेयक में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ऐसी एकाधिकारी संस्थाओं के बारे में इस विधेयक में कार्यवाही करने का बहाना किया गया है जो वास्तव में है नहीं।

सबसे ज्यादा बुराइयां एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थाओं में है, क्योंकि ये गैर जिम्मेदार तरह से कार्य करती है जब कि गैर सरकारी एकाधिकारी संस्थाओं पर सरकार को पुलिस जैसा नियंत्रण रहता है। बेचारा उपभोक्ता, जिसे सरकारी उद्योगों में खरीद दारी करनी होती है, पूरी तरह से एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थाओं की दया पर निर्भर है। अतः यह विधेयक भारत के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इससे एकाधिकार के विरुद्ध लड़ाई करने का बहाना मात्र किया गया है।

विधेयक का दूसरा पहलू जिसके बारे में सहमति होना कठिन है, यह है कि इसमें आयोग की जिस प्रकार नियुक्ति करने के लिये कहा गया है उससे आयोग के दर्जे को घटा कर केवल एक सलाह कार का दर्जा दिया गया है जब कि सारी वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्री द्वारा उनके इच्छानुकूल प्रयोग किया जाता है।

इस विधेयक द्वारा प्रतियोगिता को भी सीमित करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि यह विधेयक एकाधिकार को समाप्त करने के लिये इससे प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं मिलता है इससे प्रतियोगिता दो प्रकार से सीमित किया गया है। सरकारी क्षेत्र का पूर्ण एकाधिकार देकर इस विधेयक से गैर-सरकारी उद्यमों के बीच प्रतियोगिता का सीमित किया गया है। गैर-सरकारी उद्यमों के बीच प्रतियोगिता के सम्बन्ध में इस विधेयक से सरकार को शक्ति दी गई है जिससे सरकार अपने परमिट लाइसेन्स से सम्बद्ध शक्तियों तथा एकाधिकार को रोकने की शक्तियों का प्रयोग कर विरोधी गैर- सरकारी उद्यमों के बीच वास्तविक प्रतियोगिता में बाधा डालकर स्वतंत्र प्रतियोगिता को रोक सकती है।

खण्ड 2 में प्रभावी कम्पनी, अतः सम्बन्ध कम्पनियों तथा एकाधिकारी कम्पनियों की जो परिभाषा दी गई है वह अर्थहीन है विधेयक के खण्ड 2 (अ) के अनुसार यदि किसी कम्पनी का ऐसी दो अन्य स्वतन्त्र असम्बद्ध कम्पनियों के साथ जो इसके साथ प्रतियोगिता में हैं, बिक्री में 50 प्रतिशत भाग है तो वह कम्पनी एकाधिकार वाली कम्पनी मानी जाती हैं। यह माना कि तीन ऐसी कम्पनियां हैं जिनका बिक्री का कुल हिस्सा 50 प्रतिशत है जिनमें एक का 25 प्रतिशत दूसरे का 15 प्रतिशत और तीसरे का 10 प्रतिशत बिक्री में हिस्सा है। अतः ये कम्पनियां जिनका बिक्री का हिस्सा 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है और दो अन्य कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता, कर रही हैं कैसे एकाधिकारी कम्पनियां हो सकती हैं।

आर्थिक शक्ति के तथा कथित संकेन्द्रण से सम्बन्धित विधेयक अध्याय III से वास्तव में सरकार के हाथ में शक्ति सीमित हो जायेगी, और यह कहना व्यर्थ है कि इस अध्याय को आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिये रखा गया है। अतः हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

पूरा विधेयक आकार और एकाधिकार के बीच घपलेबाजी पर आधारित है। आकार और एकाधिकार का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक छोटा उद्योग भी ऐसा हो सकता है जो उस उत्पादन विशेष के बाजार पर पूरी तरह अधिपत्य जमा सकता है, और यह उद्योग चाहे छोटा भी हो तब भी इसे एकाधिकारी ही कहेंगे। दूसरी ओर ये एकता अमेरिकन आटोमोबाईल कम्पनियों जैसी विशाल कम्पनियां हो सकती हैं जो प्रतियोगिता में होड़ लेने के लिये जी जान एक कर देती हैं ; परन्तु फिर भी उन्हें एकाधिकारी नहीं कहा जा सकता। कठिनाई यह है कि सरकार इस बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहती और हरेक बड़े उद्योग पर एकाधिकार की छाप लगाना चाहती है। यदि वे प्रारम्भ ही गलत परिभाषा से करेंगे तो वे किसी अच्छे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।

इस विधेयक का विरोध करने का दूसरा कारण यह है कि इससे भारत के आर्थिक विकास में बाधा पड़ेगी इससे हमारे विशेषज्ञों के काम में बाधा पड़ेगी, और इससे हमारे देश में रोजगार सुविधाएं कम हो जाएंगी, ऐसा इस लिये होगा कि यह विधेयक, निर्यात को बढ़ाने और विश्व मार्केट में प्रतियोगिता के लिये कम्पनियों से विलय की जो प्रवृत्ति संसार में पाई जाती है, उसके पूरी तरह विरुद्ध है। जापान के दो सबसे बड़े कारखाने भवाता और फूजार्का जो कि हमारे इस्पात कारखानों से बड़े हैं, वहां की सरकार की सहमति से मिलाया जा रहा है। फ्रांस जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका सभी इसी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक रखना चाहते हैं और विश्व मार्केट की प्रतियोगिता में होड़ लेना चाहते हैं। परन्तु यह विधेयक हमें विपरीत दिशा में ले जाता है।

इस विधेयक के द्वारा सरकार जिन सब शक्तियों को अपने हाथ में लेना चाहती हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एजेन्सियों के प्रबन्ध को समाप्त कर दिया गया है। और किसी भी औद्योगिक संस्थान को समाप्त करने या उन्हें कम कर देने के लिये सरकार के पास अनेक विधान हैं। औद्योगिक विकास अधिनियम 1951 पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम 1947 कम्पनी अधिनियम 1956, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 और आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 से सरकार को उपक्रमों की स्थिति, उन्हें कितना उत्पादन करना चाहिये और वे अपना विस्तार कर सकते हैं अथवा नहीं, इन सब बातों पर नियन्त्रण करने के लिये काफी शक्ति मिली हुई है। इसलिये उन्हें और शक्ति की आवश्यकता नहीं है।

सम्भवतः यह विधेयक इस लिये लाया गया ताकि सरकारी अधिकारी एकाधिकारियों से मिलकर एक नया एकाधिकारी वर्ग तथा राजपूजीवादी एकाधिकारी प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं। वह इस विधेयक द्वारा सर्वसाधारण का शोषण करने का विचार रखते हैं। वह

अपने लाभ के लिये सर्वसाधारण के हित को कुचलने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। और क्योंकि यह विधेयक वास्तव में एकाधिकार के विरोध में नहीं है। यह आर्थिक शक्ति के एक जगह एकत्रित होने के विरुद्ध भी नहीं लगता। इसलिए उपभोक्ताओं के साथ होने के नाते तथा प्रतियोगिता के पक्ष में होने के नाते जिनका यह विधेयक विरोध करता है, हम विधेयक का विरोध करते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Sir, I support the spirit of the Bill. But it is regrettable that Government have not cared to do anything for the amelioration of the common man during the past 22 years with deference to the Directive principles enshrined in the Constitution. Can Government deny that despite then talk of Socialism, monopolies and concentration of wealth in a few hands has increased during the past ten years? Can it be denied that the present State of affairs is the result of collusion between Government and big business houses in the country? I would, therefore like that high powered Commission be appointed whose terms of reference should include fixation of responsibility on Government as to the extent of part played by them in this regard. The assets of Tatas have gone up from Rs. 30 crores to 559 crores and of Birlas from 20 crores to 510 crores of rupees. Government might have brought about the welfare of Birlas, Tatas and other big business houses but they have not offered anything except empty slogans of Socialism.

Nationalisation is not a taboo to our Party and neither we are opposed to the Private Sector. Both these Sectors have contributed to the country's progress and both have their roles to play. Now have a look at the performance of the State Bank and the Life Insurance Corporation. Both these agencies have assisted mainly the big business houses. I want the words and precepts to be in conformity with each other. My party would support all efforts at doing away with monopolies, concentration of wealth and to regulate them.

I want both the Sectors to function on an equal footing and on competitive basis. Why should the provisons of the Bill cover only the Private Sector? Why such discrimination? Why the consumer should be made to suffer because of inefficiency, favouritism and corruption of Government?

As regards nationalisation, it has been reduced to merely a political stunt because of faulty implementation. No major scheme has been drawn up despite five months have passed. The people are entitled to know the extent of progress made, whether implementation was faulty, whether political power has been miussed or not etc. etc. I do not object if everything is nationalised but let Government Guarantee a national minimum increase but this is not done and therefore it is wrong.

It has been provided in the Bill that it would not be binding on Government to accept the recommendations of the Commission—this is not proper. There should be binding on Government. They want to use it as a handle to coerce big business into conceding undue benefits to them.

In the end I would say that although I respect the sentiments of the Bill, I am not hopeful about the performance of Government in this regard.

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : महोदय, यद्यपि विधेयक के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं परन्तु मुझे डर है कि इससे वे पूरे न होंगे।

पूंजी का संचय और उत्पादन माध्यमों का केन्द्रीयकरण रोकने की बात हमारे संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों में आती है। अतः यह संकल्प कोई नया नहीं है और न ही

इस पर कोई आपत्ति किसी को है। औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में भी इसे दोहराया गया है। योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति और एकाधिकार जांच आयोग में भी इस बात पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। सबसे अन्त में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति का प्रतिवेदन आया किन्तु खेद है कि संयुक्त समिति में इस विधेयक पर विचार करते समय यह प्रतिवेदन हमें उपलब्ध नहीं किया गया।

वास्तव में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण मुख्य समस्या है। एकाधिकारी और निर्बन्धनात्मक व्यापार इसके लक्षण हैं। लक्षणों के आधार पर उपचार से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

यदि बिरला और टाटा के पास किन्हीं क्षेत्रों में एकाधिकार है तो इसके लिए वे दोषी नहीं हैं अपितु सरकार दोषी है जिन्होंने ऐसा होने दिया।

पूंजी का संचयन हमारी गलत योजनाओं के कारण है जिसके लिये योजना आयोग जिम्मेदार है। स्वयं डी० आर० गाडगिल ने कहा है कि यह स्थिति सरकार द्वारा व्यापारियों को लाइसेंस और अन्य रियायतें देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है।

ठीक है कि उन्होंने यह बात 1966 में कही थी परन्तु आयोग के दृष्टिकोण में वह कहां तक सुधार ला पाए हैं, वही बेहतर जानते हैं।

सरकारी वित्त संस्थाओं ने भी ऋण अधिकांश बड़े-बड़े उद्योग धंधों को दिए। स्टेट बैंक ने 81 प्रतिशत, जीवन बीमा निगम ने 80 प्रतिशत और यूनिट ट्रस्ट ने 93 प्रतिशत ऋण बड़े-बड़े उद्योगों को दिये। अतः राष्ट्रीयकरण कोई उपाय नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने पिछले दिनों दिल्ली में कहा था कि समाजवाद और विनियंत्रण दो विरोधी बातें हैं। सीमेंट से नियंत्रण हटाने से केवल उत्पादकों को ही लाभ होगा। मेरा दल सीमेंट पर वास्तविक नियंत्रण के पक्ष में है और चाहता हूं कि देश भर में इसका मूल्य समान हो।

अतः जहां मैं इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं परन्तु मैं समझता हूं कि किसी वृहत् योजना के बिना अकेले इस विधेयक से कुछ होने वाला नहीं है। समाजवाद का नारा लगाना और बात है और समाजवाद लाना दूसरी बात। अब तो मैदान खुला पड़ा है और यदि सरकार वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है तो एक स्पष्ट कार्यक्रम बना कर इसे पूरा कर के दिखाए, इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Three of the four Speakers who spoke before me have neither suggested any improvements nor amendments to the provision of this Bill but have contented only to criticise and condemn the Bill in general. They have also alleged that Government have tried to acquire more power to implement the provision of this Bill. I ask who should have powers to get the Bill implemented, if not Government. I was most surprised at the reasoning of Shri Asoka Mehta who betrays himself as a mere Pseudo-Socialist rather than being a sincere Socialist. Perhaps this is because he now enjoys the company of persons like Shri Masani, Shri Vajpayee and Shri Kanwar Lal Gupta..... (**Interruptions**). Shri Masani sheds only crocodile tears for consumers whereas he does not want big business to suffer any disadvantages. Further he alleges that Public Sector is also monopolistic therefore both the Sector should be treated at par. I am surprised when he equates both these Sectors.

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana in the Chair]

So far as our industrial production is concerned, even today we have to import certain things. The Government are taking all necessary steps to ensure that our imports come down to the minimum possible level. As for starting industries in the public sector, the Government take up only those industries, which cannot be set up by the individuals.

Then, it has been criticised that the public sector undertakings are generally running in loss. It is true in certain cases. However, no corrupt practices are adopted in the public sector in maintaining the accounts and as such it pays much more income tax than the private sector. This also reflects in the financial position of the industries in public sector.

There are not adequate number of entrepreneurs in the country to lookafter all types of industry. Private companies are earning profit because of mal-practices and manipulation in accounts. If proper accounts are maintained in private companies as is done in Government companies, you will see that there is greater mismanagement in them than in public undertakings.

I admit that there is mismanagement in public sector companies. The reason is that the Managerial Staff is taken from the Secretariat. Committee on Public Undertakings, Estimates Committee and Public Accounts Committee have spined that it should not be so and cadre of Managerial Staff of these companies should be separate one. Only then, they can function properly. In case, it is not done, public undertakings cannot function properly. Government should pay attention towards it.

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : भारत की स्थिति के बारे में दुःखपूर्ण बात यह है कि यहां सुरक्षित मार्केट है जिससे भ्रष्टाचार और मनमाना लाभ कमाने का प्रोत्साहन मिलता है। यह बात सबको मालूम होनी चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार है न कि सरकारी क्षेत्र में । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ही खरीद करता है, इसलिए उसमें भ्रष्टाचार के लिए स्थान नहीं है। जब सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्पर्क में आता है, तभी भ्रष्टाचार होता है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र ज्यादा व्यापार प्राप्त करके ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं और इसलिए वह रिश्वत देता है। इसलिये आज यह आवश्यक हो गया है कि इस दिशा में हम यह देखें कि उत्पादन में प्रतिबन्ध लगाकर और कीमतें बढ़ाकर, खूब लाभ कमाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र सुरक्षित बाजारों का जो शोषण करते हैं, उसे रोकने के लिए हम उस पर कितना नियंत्रण लगा सकते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य यह देखना है कि उत्पादन पर कोई पाबन्दी न हो। उन सभी लोगों को, जो देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास चाहते हैं, इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि सरकार योजना के कुछ उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई है। यह इसलिये हुआ कि उनका कार्यान्वयन ऐसे लोगों द्वारा हुआ जो सरकार की मुख्य नीतियों से परिचित नहीं थे या इसलिये कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उचित रूप से पालन नहीं किया गया। पहली बार इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त किया जायेगा और इसमें मार्गदर्शी सिद्धान्त भी बताए गये हैं कि आयोग कैसे काम करेगा, उसके उद्देश्य क्या हैं और किन कसौटियों से एकाधिकार है या नहीं है, का निर्धारण किया जायेगा।

यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में भी एकाधिकार है। यह कहना अनुचित है। एकाधिकार का अर्थ है कि उत्पादन की वह औद्योगिक प्रणाली जिसमें उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाकर या अन्य साधनों द्वारा लाभ कमाया जाये। एकाधिकार का सार यह है कि उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना और मूल्यों को बढ़ाना। यदि सरकारी क्षेत्र का उद्यम उत्पादन पर नियंत्रण करता भी है तो यह सोचना अस्वाभाविक होगा कि वह ऐसा केवल लाभ कमाने के लिए कर रहा है। वास्तव में, प्रारम्भ से ही सरकारी क्षेत्र का आधारभूत तत्व यह रहा है कि जिन क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र प्रवेश के लिए तैयार नहीं होगा, उसमें सरकारी क्षेत्र प्रवेश करेगा, और सरकारी क्षेत्र उन उद्योगों की सहायता करने का प्रयत्न करेगा, उनका इन्फ्रा ढांचा तैयार करेगा और इस्पात आदि का निर्माण करेगा।

यह कहना गलत है कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच मूल्य प्रतियोगिता है, क्योंकि इन दोनों के बीच मूल्य प्रतियोगिता नहीं हो सकती। मेरे विचार में सरकारी क्षेत्रों पर एक तरह का लोकतंत्रीय नियंत्रण है जो कि गैर-सरकारी क्षेत्रों पर नहीं है।

हमें भ्रष्टाचारी व्यापारियों, राजनीतिज्ञों का सामना करना है या इसके लिये भ्रष्टाचारी नौकरशाहों का सामना करना है। इसका संवैधानिक रास्ता यह है कि हम इस बात का पता लगायें कि क्या हम इन मामलों को राजनीतिज्ञों के नियंत्रण से हटाकर उन्हें किसी आयोग के अधीन कर सकते हैं और यही इस विधेयक में किया गया है।

अतः मेरे विचार में इस विधेयक का समर्थन करना आवश्यक है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यहां मूल्य प्रतियोगिता की आवश्यकता है, परन्तु प्रतियोगिता इस स्तर तक होनी चाहिए जिससे हम वास्तव में अधिक उत्पादन कर सकें, ताकि मूल्यों को कम किया जा सके और कुशलता बढ़ाकर अच्छे माल का उत्पादन किया जा सके।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The Bill has a laudable objective but so far as its provisions are concerned they contain nothing to eradicate monopolies. In fact, the present measure is an instrument to deceive the public who want that monopolies and the restrictive trade should come to an end.

Everybody want to become a socialist these days; it has become a fashion. These people only indulge in propaganda and do nothing to achieve the objective. The aim of socialism is to bring about equality between the people belonging to different classes. Seeing from that angle, we find that even our Prime Minister, who is so vociferous in this regard, is not following the principle of equality so far as her expenses are concerned. In the circumstances it is difficult to believe that her Government will sincerely work for socialism. Unless prices are fixed, a ceiling is placed on expenditure and the slogan of mixed economy is given up, nothing is going to happen.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : While supporting the present Bill, I would like to say that it is a proven fact that the individual property ownership and the tendency to profiteering cannot remove economic disparity in the country. This practice is centuries old. Some of my friends have said here that there should not be any State Monopoly as it may not turn into dictatorship. Therefore, the question arise as to how we can check the tendency of profiteering and monopoly control. This can be done gradually with the help of legal process. This is what the Government is trying to do and we should support it.

The Government is taking all the necessary steps to increase and expand the area of production in the public sector. So far as the co-operative Sector is concerned, it is also taking more and more spheres of production with in its purview.' This is how progress towards socialism is being gradually made.

A reference has been made to the bank nationalisation. It is not yet complete, because the case is pending before the Supreme Court. However, we should try to give right guidance to the people so that they can avail of the financial assistance from the nationalised banks. We should build our national character. Only then nationalisation would succeed. Nothing can be done without Plan and Plan means control. So there should be control and State ownership.

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुनझनू) : विधेयक के बारे में कुछ कहने से पहले मैं प्रधान मंत्री के उस वक्तव्य पर प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूंगा जो उन्होंने राज्य सभा में दिया था और जिसमें कहा था कि राष्ट्रीयकरण आर्थिक गतिविधियों का अन्त नहीं है और सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रति वचनबद्ध है। इसका यह भी अर्थ है कि हम 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के प्रति वचनबद्ध हैं। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था कि देश में न सरकारी क्षेत्र है, न गैर-सरकारी बल्कि राष्ट्रीय क्षेत्र है फिर भी इस विधेयक को केवल गैर-सरकारी क्षेत्र पर क्यों लागू किया जा रहा है। इसे दोनों पर लागू होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भूतपूर्व मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने दिल्ली में कहा था कि धन का केन्द्रीयकरण बुरा होता है। लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। उत्पादन से ही समाजवाद आता है। पहले उत्पादन करना होगा फिर उसे सार्वजनिक हित में समुचित रूप में वितरित करना होगा। हम विशेष इस्पात के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं क्योंकि विशेष इस्पात उद्योग के अन्तर्गत कारखानों में स्थापित क्षमता का सैंतीस प्रतिशत ही उत्पादित होता है। न हम सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा पाते हैं और न गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए लाइसेंस देने को तैयार हैं। यही हाल टेलीफोन केबलों का है। सरकार ने उसके बारे में जो समिति कुछ महीने पहले नियुक्त की थी उसने कहा है कि बिना विदेशी मुद्रा खर्च किये गैर-सरकारी यूनिटों का विस्तार करके टेलीफोन केबलों की मांग पूरी की जा सकती है। मुझे मालूम हुआ है कि सरकारी क्षेत्र में इसके लिये कारखाना लगाने की बात सरकार सोच रही है। लेकिन जब बिना दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च किये ही जरूरत पूरी हो सकती है तो फिर क्यों न वैसा किया जाये। मैं इन दोनों नीति प्रस्तावों के प्रकाश में "एकाधिकार विधेयक" पर कुछ कहना चाहता हूं। इसका उद्देश्य एकाधिकार, अनुचित व्यापार प्रथा को रोकना है, जिससे धन का केन्द्रीयकरण होता हो। लेकिन साथ ही उत्पादन को बढ़ावा मिलना चाहिए। अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना ठीक है लेकिन यह विधेयक किसी भी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि यह उत्पादन में बाधा उत्पन्न करेगा। संविधान के अनुसार सरकार को सार्वजनिक हित के लिये अर्थव्यवस्था में और समाज में परिवर्तन लाना है। तो क्या अधिक उत्पादन समाज के हित में नहीं है। चाहे ये अधिक उत्पादन सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी या सहकारी क्षेत्र में।

सरकार उद्योगों का दिशा निर्देश और नियंत्रण विभिन्न वर्तमान कानूनों की सहायता से कर सकती है। इसलिये इस विधेयक की मुझे कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। हमारे देश में औद्योगिक विकास हो रहा है, फिर इस विधेयक को लाकर उसकी गति क्यों रोकी जाये।

1964 में नियुक्त एकाधिकार आयोग ने दो सिफारिशें की थीं। एक यह कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाये लेकिन जनता को कम से कम हानि पहुंचाकर। वास्तव में निगमित क्षेत्र की बचतों की सहायता से ही नये उद्योगों की स्थापना हो सकती है। सरकार को आर्थिक विकास के इस नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। एकाधिकार आयोग ने भी कहा है कि हमें आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण पर प्रहार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वह सर्वोच्च उत्पादन के लिये खतरा न बन जाये। इस प्रकार जब कि सरकार के पास नियंत्रण के अन्य उपाय हैं, मैं नहीं समझता कि उसे यह विधेयक लाना चाहिए था। हमें आज देशवासियों को उचित दाम में रोज की जरूरत की चीजें जुटानी हैं। यह तभी हो सकता है जब उत्पादन अधिक हो और बाजार में चीजें आवश्यकता से अधिक पहुंचें। नियन्त्रणों से यह सम्भव नहीं होगा। हमें बैलगाड़ी वाला समाजवाद नहीं, बल्कि मोटरकार वाला समाजवाद चाहिये।

Shri Prem Chandra Varma (Hamirpur)): I support the Bill. The Hon. Minister has explained the back ground very well. The problem of monopoly was first raised in 1948 and this Bill has come after 21 years now. The monopoly Commission report was submitted in 1965. In that report seven pages have been devoted to lay bare the doings of Birla family during the last 10 years. Still no action has been taken during the last 5 years on that report. It is clear from Datt Committee report that the wealth of Birla's as well as Tata, Dalmia and others, has increased hundred fold during the last 5 years. This Bill should not meet the same fate as the "Monopoly's Commission report", it should be fully implemented. Regarding our policy about the big business houses to which an Hon. Member has referred, the Government is also some what to be blamed. In fact it is the bureaucracy which is to be fully blamed. Therefore the bureaucratic set up has to be changed now. Persons who do not believe in socialism or Public sector should not be placed in the Ministry of Industry. Our Congress Party is now firmly rosolved to implement the socialistic programme and to see that the gap between the rich and the poor disappears and there is no concentrations of wealth.

I would like to draw the attention towards clause 5 and 28 of chapter two in the Bill. Clause 28 refers to the backward areas to which I also belong. It has been mentioned in the Clause that the Government will act to remove disparities in such areas. I belong to Himachal Pradesh whose conditions are just opposite to what you find in places like Delhi. And therefore to remove disparities from places like my own place there should be provision to implement the Bill. It should not meet the fate of the Monopoly Commission.

It is often alleged that the Government is misusing its power. Those who level such charges are persons who can not make forward with us towards socialism and do not want to serve the people as we are doing. They have nothing else but to blame us. Mr. Masani and Mr. Kanwar Lal Gupta have spoken about Public Sector. Now if you want to avoid the concentration of wealth in few hands the only way you can do it is by making public sector a success. Only thus will the people have more faith in this sector. I support the Bill with the hope that the expectations of the people will be fulfilled and the concentration of wealth will be checked.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यह विधेयक सराहनीय है, क्योंकि इसमें देश में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रीकरण को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। संविधान के निदेशक तत्वों में विशेषतौर से यह कहा गया है "कुछ लोगों में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रीकरण पर रोक लगनी

चाहिए।" इस विधेयक में कुछ हद तक इस मौलिक बात पर विचार किया गया है, लेकिन इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के निदेशक तत्वों को पूरा करना नहीं है।

एकाधिकार जांच आयोग ने बताया है कि 75 व्यापारिक संस्थाओं ने देश की अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण कर लिया है इन संस्थाओं पर आक्षेप करने के बारे में इस विधेयक में कोई कोशिश नहीं की गई है। सरकार को आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रीकरण को समाप्त करने के लिये कार्यक्रम बनाना चाहिये। जो लोग औद्योगिक विकास की बात करते समय गैर-सरकारी क्षेत्र की सराहना करते हैं, वे समझते हैं कि कार्यकुशलता पर केवल गैर-सरकारी क्षेत्र का ही एकाधिकार है। यह सोचना गलत है कि औद्योगिक विकास केवल तभी हो सकता है, जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र की सराहना की जाये। वे समझते हैं कि कार्यकुशलता पर केवल गैर-सरकारी क्षेत्र का ही एकाधिकार है। यह सोचना गलत है कि औद्योगिक विकास केवल तभी हो सकता है, जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र को शुरू करने दिया जाये।

लाइसेंस नीति को गलत ढंग से कार्यान्वित करने के कारण सरकार समाजवाद लाने में असफल रही है। ये बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थायें हैं, जिन्हें लाइसेंस मिलते हैं, इस स्थिति को बदलना होगा।

14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना अत्यन्त सराहनीय कार्य है परन्तु उसके साथ ही ऋण नीति योजना भी लागू की जानी चाहिए थी। यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मामला इसके विरुद्ध चल रहा है इसलिये ऋण नीति अभी नहीं बनाई गई है। परन्तु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के सुझाव के अनुसार ऋण नीति बनाई जा सकती है।

यह कहा गया है और यह तथ्य भी है कि इन बैंकों द्वारा गरीब लोगों को ऋण दिया जाना है। परन्तु जिन शर्तों पर यह ऋण दिया जाता है वह वास्तव में अत्यन्त शोचनीय है। वहां खूब भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

विधेयक में यह व्यवस्था है कि यदि कोई उपक्रम अपनी क्षमता 25 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहता है, तो उसे सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी। लेकिन बड़ी व्यापारिक संस्थायें इस तरह के उपबन्ध की अवहेलना करना जानती हैं। इस तरह के अन्य उपबन्ध भी हैं, जिनकी अवहेलना की जा सकती है। इस कारण हो सकता है कि विधेयक इस देश में समाजवादी ढंग की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त न कर सके।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन 50 गुना बढ़ गया है। इस समय देश सभी उपभोक्ता वस्तुओं में आत्मनिर्भर है। सरकारी क्षेत्र ने आधार बना दिया है और इसलिये भारी इंजीनियरी और अन्य उद्योग देश में विभिन्न प्रकार की मशीनें और उपभोक्ता माल बना सकते हैं। लेकिन हमारी जनसख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता है और इसलिये हमें उपभोक्ता माल तैयार करने वाले अनेक कारखाने, इंजीनियरी कारखाने और भारी उद्योग स्थापित करने होंगे। नये उद्योगों को स्थापित किये बिना हमारे निर्यात के लक्ष्य और हमारी आन्तरिक मांगें पूरी होने वाली नहीं हैं। अतः हमें यह देखना है कि इस विधेयक के उपबन्धों से देश का औद्योगीकरण ठप्प न हो जाये।

जिन बड़े-बड़े उपक्रमों के लिये एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, उससे उद्योगों के विकास में रुकावट पैदा होगी। आजकल एक छोटी कताई मिल में एक करोड़ रुपये की लागत के 12,500 तकुये हैं और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं हैं। इसी तरह 500 टन क्षमता वाले एक छोटे चीनी के कारखाने और 500 टन क्षमता वाले सीमेंट के एक कारखाने की प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपये से अधिक है।

40 टन की क्षमता वाली कागज की एक मिल की लागत एक करोड़ रुपये से अधिक है। ये क्षमतायें न्यूनतम हैं। विधेयक के उपबन्धों से इन उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता और प्रारम्भ में कितनी भी देरी हो सकेगी। इसलिये यह संख्या एक करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी जाय, ताकि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक एक एकक बनाया जा सके और अनुज्ञापत्र या लाइसेंस की मांग द्वारा प्रगति न रुके। यदि उत्पादन रुक जायेगा, तो उपभोक्ताओं को असुविधा होगी।

किसी उपक्रम का आधार इसकी आस्तियां मानी जाती हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ कारखाने हैं, जिनमें एक करोड़ रुपये की लागत से उत्पादन 50 लाख रुपये होगा। कुछ ऐसे अन्य उद्योग हैं, जिनमें एक करोड़ रुपये की लागत पर 3 या 4 करोड़ रुपये का उत्पादन हो सकता है। इस तरह आस्तियों को मापदण्ड मानने से कुछ उद्योगों को असुविधा होगी। इसलिये इसका आधार आस्तियों से हटाकर उत्पादन में बदला जाना चाहिये।

Shri Sheopujan Shastri (Bikramganj) : Mr. Deputy Speaker, In both the prevalent economic systems of the world, i.e. capitalism and communalism, the individual is ignored. In the first case there is the domination of the capitalists and in the latter case there is the domination of the State. None of the two serves the interest of the man who is behind the production. The competitives economy leads to the monopolistic tendencies and to war. The Government undertakings fail to ensure people's participation. Thus both the systems have shortcomings and this is the reason why the system of fixed economy adopted by India, in which both capitalism and Public sector exist side by side has failed.

In Yugoslavia a new experiment is being made. Their factories are not being run by bureaucracy but instead of that they are being run by the workers themselves, under their own management. In order to be successful we shall have to adopt the same system. We may call it a cooperative economy.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने इस बारे में पहले ही बताया है कि इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ लोगों के हाथों में धन संकेन्द्रित होने से रोकना, एकाधिकारवादी औद्योगिक संस्थाओं को रोकना, और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा पर अंकुश लगाना है। लेकिन जहां तक मेरा विचार है इस विधेयक से ये उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे। एकाधिकार और कुछ व्यक्तियों के पास धन संकेन्द्रित होने पर नियंत्रण रखने के लिये ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इस तरह के कानून बनाये गये हैं, लेकिन ऐसे उन्नत देश भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

एकाधिकार इतना बड़ा है कि हमारे देश का अधिकांश धन 22 परिवारों के पास है। हमने इन परिवारों को अपने समाजवादी वायदों के बावजूद बढ़ने दिया है। हमारी अर्थ-व्यवस्था

में यह वास्तविक रूप से एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है और हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा इस हद तक बिगड़ गया है कि एक ओर तो हमने काफी निर्धनतां उत्पन्न की है और दूसरी ओर कुछ लोगों के हाथों में धन का संकेन्द्रण हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

आयुध वस्त्र कारखानों के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : ORDNANCE CLOTHING FACTORIES

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि श्री कंवरलाल गुप्त के प्रस्ताव को शुरू किया जाय, मैं दो छोटे विषयों को निपटाना चाहता हूं— एक यह है कि श्री मिश्र एक विवरण सभा-पटल पर रखें ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : महोदय, मैं शाहजहांपुर, कानपुर, आवडि के आयुध वस्त्र कारखानों में 3,500 से अधिक कर्मचारियों को फालतू घोषित करने के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन कारखानों में कोई छंटनी होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने जो विवरण सभा-पटल पर रखा है, उसे वह कृपया पढ़ दें । इस पर जो कार्यवाही करना उचित होगा, वह की जायेगी ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : 1962 में आपात्काल की स्थिति में सेवाओं की आवश्यकतायें वस्त्र सम्बन्धी मदों के लिये काफी बढ़ गई थीं । सेवाओं की मांग में हुई अचानक वृद्धि को पूरा करने के लिये अल्पकाल में आयुध वस्त्र कारखानों में क्षमता पर्याप्त रूप में बढ़ानी पड़ी । निर्माण करने वाले उपकरणों की खरीद के अतिरिक्त वस्त्र कारखानों में बड़े पैमाने पर लोगों को भरती करना पड़ा । आयुध कारखानों ने सेवाओं द्वारा अपेक्षित वस्त्र सम्बन्धी मदों की कमी 1963-64 तक काफी हद तक पूरी कर ली । जिसका परिणाम यह हुआ कि बाद के वर्षों में सेवाओं द्वारा मांग कम की जाने लगी है । इस तरह वस्त्र कारखानों में कार्य की मात्रा मुख्य रूप से सेवाओं द्वारा मांग में कमी के कारण कम हो गयी ।

सेवाओं द्वारा अपेक्षित तम्बुओं, दरियों आदि जैसी वस्तुओं के निर्माण द्वारा अन्य प्रकार का उत्पादन करके, कपड़ों/वर्दियों के क्रयादेशों के लिये केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से अनुरोध करके, देश के अन्दर बिक्री के लिये और निर्यात आदि के लिए आम लोगों के लिये कपड़ों का निर्माण करके वस्त्र कारखानों के लिये पर्याप्त कार्य की मात्रा प्राप्त करने के लिये अतीत में प्रयत्न किये गये हैं और अभी भी किये जा रहे हैं । ये प्रयत्न पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं और उपरोक्त आधार पर ठोस कार्य करने तथा युक्तियुक्त आधार पर उपलब्ध कार्य को चरणवार बनाने के परिणाम-स्वरूप हालांकि आयुध वस्त्र कारखानों में बेकार समय में कर्मचारियों को मई, 1969 तक नहीं लगाया गया, तत्पश्चात् फिर भी कार्य की कमी के कारण बेकार समय में

एक निश्चित संख्या में कर्मचारियों को लगाना आवश्यक हो गया। काम की मात्रा की कमी के कारण सभी आयुध वस्त्र कारखानों में बेकार समय में रखे गये कुल कर्मचारियों का ब्योरा इस प्रकार है :—

महीना	बेकारी के समय रखे गये कर्मचारियों की संख्या
जून, 1969	150
जुलाई, 1969	824
अगस्त, 1969	1799
सितम्बर, 1969	1799
अक्तूबर, 1969	1829
नवम्बर, 1969	2829
दिसम्बर, 1969 (अद्यतन)	2829

फिर भी वस्त्र कारखानों में काम की मात्रा की कमी के कारण कोई छटनी नहीं की गई। बेकार समय में रखे गये कर्मचारियों को बेकार समय के लिये मजूरी, जिसमें पूरे समय की मजूरी भी शामिल है, दी जाती है। महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते, जो सामान्यतया सम्बन्धित कर्मचारियों को ग्राह्य हैं, भी दिये जाते हैं और इस तरह उनको कोई वित्तीय कठिनाई नहीं होने दी जाती है। यह मन्त्रालय भी इस मामले पर विचार कर रहा है और वस्त्र कारखानों के लिये अधिक काम प्राप्त करने के लिये उच्चस्तर पर जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

42 वां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 42 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि कार्य-मंत्रणा समिति का एक निर्णय और सिफारिश यह है कि इस सभा की बैठक शनिवार, 13 दिसम्बर, 1969 को बुलायी जाय।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : क्यों ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्यों ?

श्री रघुरामैया : कार्य पूरा करने के उद्देश्य से यह सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम आधा घंटा बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हम 6.30 बजे तक बैठ रहे हैं, इससे पहले हम 6 बजे तक बैठते थे। अब आप शनिवार को पुनः बैठक बुलाना चाहते हैं।

श्री रघुरामैया : सभी दल इससे सहमत हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन पर वाद-विवाद शुक्रवार को होगा। मंत्री महोदय आपको अग्रिम सूचना दे रहे हैं।

अब हम मध्यावधि संसदीय निर्वाचन के सम्बन्ध में श्री कंवरलाल गुप्त का प्रस्ताव शुरू करते हैं।

मध्यावधि संसदीय निर्वाचन के बारे में वक्तव्य पर चर्चा
DISCUSSION ON STATEMENT
RE : MID-TERM PARLIAMENTARY ELECTIONS

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त ।

Shri Kunwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Deputy Speaker, a few days ago the Law Minister had made a statement that the electoral rolls are being revised in the ordinary course and that the Lok Sabha is not going to be dissolved. It is not convincing, The speed with which the Election Commission is proceeding with the work of the revision of the voter lists and their statement that the elections can be held at a notice of 35 days, have created an atmosphere of impending elections in the country. If the electoral rolls are being revised in the ordinary course, why has the bye-election to Parliament and State Assemblies has been postponed even after the fixation of their dates. Perhaps the Government wants to hide the fact with a view to strengthen their position and when this purpose is achieved, Government will come out with announcement of the mid-term pole. This is very unfair.

In this connection an important question arises whether the Prime Minister can write to the President to dissolve the Parilament according to our Constitution. No doubt the Prime Minister can make such a recommendation to the king in England. But our position is quite different from that of U.K. In our country the President is elected and he can be removed from his Office but the king of England can not be removed. Therefore, both have quite different rights.

The other question is whether the advice of the Prime Minister would be binding on the President ? This is an important question and it has not been solved so far.

According to Constitutional Provisions it was not binding on the President to accept the advice of the Prime Minister. But there can be difference of opinion in regard to this matter. Therefore, it should be referred to the Supreme Court for their advice.

Another question for consideration is whether a minority Government such as the present one have the power to ask dissolution of Parliament ? According to my information such a power was not there even in U.K. Therefore, the minority Government in our country should certainly not have that power.

The present Government is a minority Government and can fall at anytime. In such a case other parties should also be given a chance to form an alternative Government. In case they failed to do so then alone the Parliament should be dissolved and there should be fresh elections. I want a categorical assurance by the Prime Minister in this regard.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : विधि मंत्री के वक्तव्य से निकट भविष्य में होने वाले चुनावों के बारे में संशय दूर नहीं हुआ है। इसमें तथ्यों को प्रकट करने की बजाय अधिकांशतः छिपाया गया है ।

यह एक महत्वपूर्ण तारीख है जब चुनाव आयोग ने एकाएक यह तय किया कि इसे अपने चुनाव तंत्र में इस प्रकार परिपूर्ण परिवर्तन करना चाहिए जिससे यदि एक ऐसी कोई स्थिति आ जाय तो यह यथा सम्भव शीघ्र चुनाव करा सके। यह नवम्बर के पहले सप्ताह की बात है जब यह मालूम हुआ कि कांग्रेस दल विभाजित हो रहा है और सरकार को बहुमत नहीं मिल

रहा है। इस समय सरकार समर्थन प्राप्त कराने के लिये नया चुनाव कराने की धमकी दे रही थी। इस प्रचार को तेज करने के लिये प्रधान मंत्री की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग को साधन बनाया गया। जहां तक उप चुनावों को स्थगित करने का सम्बन्ध है इन्हें केवल इस कारण स्थगित किया गया कि चुनाव आयोग को यह कठिनाई हुई कि कांग्रेस में विरोधी कांग्रेस अथवा सत्ताधारी कांग्रेस को चुनाव चिह्न दिया जाय। चुनाव आयोग तक उप चुनाव को स्थगित करना चाहता है जब तक कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त न हो जाय और दल यह दावा करे कि इस ओर इतने प्रतिनिधि हैं जिससे चुनाव आयोग इस मामले में निर्णय कर सके अन्यथा उप-चुनाव को स्थगित करने का कोई आधार नहीं है। यह सब कुछ सरकार की सहमति से हुआ है।

मैं नहीं कह सकता कि यह सरकार कितनी देर तक चलेगी। किन्तु जिस प्रकार की बातें हो रही हैं और कोई भी अस्थिर सरकार बनती है हमें किसी भी समय चुनाव करना पड़ सकता है। अतः इसका यह अर्थ है कि जब तक निर्वाचकों की सूची में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक चुनाव नहीं हो सकता है और चुनाव सत्ताधारी दल के सुभीते के अनुसार होंगे। यह एक खतरनाक बात है इसके पीछे जो राजनीतिक स्वार्थ हैं चुनाव आयोग उनका शिकार होने के लिए अपराधी है।

मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वे संसद भंग करने का कोई विचार तो नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम यह नहीं चाहते हैं और इसका हम पूरी शक्ति से विरोध करेंगे। कांग्रेस दल में फूट पड़ने से निर्वाचकों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतः वे स्पष्टतया बताएं कि उन्होंने कहीं भी अथवा प्रशासन या चुनाव आयोग को इस प्रकार का कोई विचार व्यक्त किया है कि निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहा है और इसके लिए तैयार रहना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सारे देश में लोगों की धारणा है कि सरकार गुप्त रीति से मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी कर रही है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि कल विधि मंत्री किस प्रकार संविधान संशोधन विधेयक में संशोधन पेश करना चाहते थे ताकि यह 25 जनवरी, 1970 से लागू हो जाय। इसके पीछे एक बुरी योजना थी। इस संशोधन का 25 जनवरी, 1970 से पहले राज्यों की विधान सभाओं द्वारा समर्थन न किया जाता तो विधि मंत्री इस सभा को इसे पिछली अवधि से लागू करने के लिये कह सकते हैं। किन्तु वे इसके लिए तैयार न थे क्योंकि शायद लोक सभा समाप्त होने जा रही है।

अब तक चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष संगठन के रूप में काम किया है और चार आम चुनावों को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से किया है। अब यह सरकार का कर्तव्य है कि वह चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को बनाये रखे।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : जहां तक राष्ट्रपति के प्रधान मंत्री की सलाह मानने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस बात से सभी सहमत हैं कि कुछ मामलों में राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु इस बात पर मतभेद है कि किन-किन मामलों में तथा

किस सीमा तक किन हालतों में वे इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया जा सकता है किन्तु पूर्व-दृष्टान्त आदि के अभाव में हमें ब्रिटेन की परम्पराओं पर निर्भर करना है। किन्तु इसमें भी हम वहां की हर एक परम्परा को नहीं अपना सकते हैं क्योंकि भारत और ब्रिटेन की हालतों में बिल्कुल भिन्नता है।

संविधान के अन्तर्गत, संसद, सरकार तथा राष्ट्रपति की अलग-अलग व्याख्या की गयी है। विधि मंत्री से यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि वे प्रधान मंत्री से यह वचन देने को कहें कि वे लोक सभा भंग नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को इस स्थिति पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्रिटेन के संविधान के अन्तर्गत भी संसद भंग करने की मांग करना प्रधान मंत्री का एक विशेषाधिकार है। यह एक विवाद का विषय है कि राष्ट्रपति इस सम्बन्ध में कहां तक वाध्य हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद संसद को निर्णय करना होगा कि राष्ट्रपति का अथवा प्रधान मंत्री का निर्णय ठीक है।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : राष्ट्रपति के चुनाव से ही लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की अफवाहें फैल रही हैं और इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधान मंत्री तथा सत्ताधारी दल के विचार इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं हैं। प्रधान मंत्री ने बंगलौर में कहा है कि वह व्यापारी समुदाय की साजिशों के बारे में अच्छी तरह जानती हैं और उनके पास इसके पक्के प्रमाण हैं कि किस प्रकार काला धन परिचालित हो रहा है। यदि यह धमकी नहीं है तो वे क्यों इन मामलों को जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नहीं सौंप देती हैं। इस प्रकार प्रधान मंत्री विभिन्न वर्गों पर प्रभाव डालती रही हैं ताकि उन्हें उनका समर्थन प्राप्त हो। देश के सर्वोच्च निर्वाचित निकाय को भंग करने की धमकी देने से वे राजनीतिज्ञों पर प्रभाव डालना चाहती हैं। यह खबर फैली हैं कि मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है। दूसरी ओर प्रधान मंत्री द्वारा अपने दल के लोगों तथा समर्थकों को पूरी तरह संरक्षण दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि वे सत्ता को खोने की डर से नैतिक तथा कानूनी विचारों को छोड़ने के लिए विवश हुई हैं।

गृह मंत्रालय शायद एक व्यर्थ की सैद्धांतिक चर्चा में उलझ रहा है जिसके द्वारा वह सरकार को एक साधन प्रदान करेगा अर्थात् लोक सभा के भंग होने की स्थिति में एक प्रकार की काम चलाऊ सरकार कायम की जायगी। सरकार कोई कमी या त्रुटि ढूंढ़ने की कोशिश कर रही है क्यों कि हमारे संविधान में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है ताकि इस स्थिति में राष्ट्रपति आपात कालीन शक्तियों के अन्तर्गत एक तरह का लेखानुदान प्रदान करेगा और देश का प्रशासन चलाया जा सकेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त का यह आचरण निन्दनीय है जब उन्होंने यह कहा कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से परिचित हैं। वे अमुक तारीख से 35 दिन के अन्दर सम्पूर्ण चुनाव कराने के लिये तैयार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा न्यायपालिका को विवेकशील अथवा गम्भीर ही नहीं होना चाहिये किन्तु उन पर सन्देह नहीं किया जाना चाहिये। अतः उन्हें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये।

अतः मैं भारत के राष्ट्रपति से निवेदन करूंगा कि वे राजनीतिक स्थिरता, नैतिकता तथा लोक सभा की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के हित में तथा विभक्त सत्ताधारी दल के षड्यंत्रों से न झुकते हुये यह घोषणा करें जैसा कि उन्होंने निजी बातचीत में कहा है कि वे नाममात्र के राष्ट्रपति नहीं हैं, स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे और अपने विचारों को उच्चतम न्यायालय में भेजेंगे।

जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है हमारा दल भी चुनाव लड़ने के लिये तैयार है किन्तु आशा है कि भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति दूसरी सरकार बनाये जाने का अवसर देंगे।

श्री राम सुभग सिंह (बक्सर) : यह एक लज्जाजनक बात है कि सरकार ने एक दूषित वातावरण बनाया है। किन्तु सरकार की यह कराने की क्षमता नहीं है।

हम संसद को भंग किया जाना इसलिये पसन्द करेंगे कि यह सरकार पूर्ण रूप से अल्पमत है और संसद् के भंग किये जाने से हट जायेगी। इस सरकार को हटाया जाना चाहिये क्योंकि इसका कोई स्तर नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वह देश के हित में नहीं है इस सरकार को वैधिक स्थिरता नहीं है अतः राष्ट्रपति को नाममात्र का राष्ट्रपति न रहने के अपने विचार पर दृढ़ रहते हुये सरकार की सलाह पर पूरी तरह से नहीं चलना चाहिये।

साथ ही ब्रिटेन की संसद और हमारी संसद में भेद है। हमारे राष्ट्रपति तथा वहां के सम्राट की शक्तियों के बारे में ठीक-ठीक व्याख्या कानूनी विशेषज्ञ ही दे सकते हैं या इसे उच्चतम न्यायालय को भेजा जा सकता है कि उस मामले में क्या किया जा सकता है।

संसद भंग करने की सलाह संसद ही दे सकती है क्योंकि सरकार अल्पमत सरकार है और राष्ट्रपति को संसद भंग करने के लिये नहीं कह सकती है और इसकी सलाह का कोई महत्व नहीं है।

राष्ट्रपति से निवेदन है कि वे प्रधान मंत्री के चुनाव के दौरान उनकी गतिविधियों पर पाबन्दी लगायें अथवा संसद यह पाबन्दी लगाये कि जनता के धन के उपयोग अथवा दुरुपयोग करने की किसी मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को स्वतन्त्रता न हो। यदि संसद भंग की जाती है तो कोई काम चलाऊ सरकार नहीं बनायी जानी चाहिये।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : संविधान के अन्तर्गत एक उपबन्ध है जिसमें संसद कब भंग हो सकती है यह बताया गया है। हमने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया है और संसदीय लोकतंत्र में अनेक राजनीतिक दल होगे ही। ये दल दो हो सकते हैं या दो से अधिक। हमारे देश में बहुदल व्यवस्था है और इसलिये इस व्यवस्था में उसी दल को सत्ता मिलती है जो कि सभा में सबसे बड़ा बहुमत वाला दल हो। परन्तु अब सबसे बड़े दल, जिसने सरकार बनाई थी, के कुछ लोग दूसरी तरफ चले गये परन्तु वही सरकार जारी रही है क्योंकि दूसरी सरकार बनाने या उस सरकार का नया नेता चुनने की न तो कोई आवश्यकता ही थी और न ही अवसर। इस समय यह संवैधानिक स्थिति है।

इसलिये सभा को भंग करना और मध्यावधि चुनाव कराने की बात उपयुक्त नहीं है। विपक्ष के सदस्यों को यह मांग नहीं करनी चाहिये। डा० राम सुभग सिंह, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्हें संविधानिक व्यवस्था का पालन करना चाहिये।

जहां तक चुनाव आयुक्त का सम्बन्ध है, वह चुनावों और मतदाता सूची तैयार करने के प्रभारी हैं और मतदाता सूची में वर्ष प्रति वर्ष संशोधन करने का उन्हें अधिकार है। चुनाव आयोग का पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का है अतः यदि उस पर आपका विश्वास नहीं रहा है तो आप निर्धारित प्रक्रिया और तरीके द्वारा उन्हें चुनौती दे सकते हैं। विपक्षी सदस्य यदि विपक्ष दल की भूमिका निभाना चाहते हैं तो उन्हें संविधान के ढांचे के अनुरूप ही काम करना चाहिये। वे संविधान के एक अंश को लेकर दूसरे अंश को रद्द नहीं कर सकते।

यदि विपक्षी दल संसद् को भंग कराना चाहता है तो उसे संविधान की व्यवस्था के अनुसार ही यह करना चाहिये। और यदि वे चुनाव आयुक्त को चुनौती देना चाहते हैं तो वह भी संवैधानिक उपबन्धों के अनुरूप ही किया जाना चाहिये। सभी को संविधान का सम्मान करना है।

श्री एस० कण्डप्पन : श्री भण्डारे ने हमें यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि चुनाव आयुक्त को शक्ति है और उसी के अनुसार उन्होंने काम किया। साधारणतः जब मतदाता सूची प्रकाशित होती है, तो आपत्ति करने के लिये जो समय सीमा दी जाती है वह 30 दिन होती है, परन्तु इस मामले में इस समय सीमा को घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। इस जल्दीबाजी से स्पष्ट है कि मतदाता सूची बनाने के कार्य में कुछ आपात स्थिति है। हमें तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

सरकार ने यह तर्क दिया कि संसद भंग होने की आशंका हो सकती है इसलिये उन्होंने यह कार्य किया। परन्तु आज देश में कोई भी चाहे वह विपक्षी दल का सदस्य हो या कांग्रेस दल का सदस्य हो यह नहीं कह सकता कि संसद भंग नहीं होगी या मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। और न ही कोई यह कह सकता है कि उसके दल को चुनाव में निश्चय ही बहुमत प्राप्त होगा।

जब द्रमुक तथा अन्य दलों में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की थी तो उसके विरोध में एक तर्क यह दिया गया था कि देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों और छोटे-छोटे अनेक दल जो आपस में झगड़ते रहते हैं, को ध्यान में रखते हुये हमें ये मांगे नहीं करनी चाहिये। परन्तु आज वही केन्द्र में, इस संसद में भी हो रहा है। मध्यावधि चुनाव के बाद स्थिति और भी खराब हो गई राज्यों में जो कुछ भी हो रहा है, और जिसके लिये हम इतने चिन्तित हैं, वही अब इस संसद में भी होने जा रहा है। आज हम इस शोचनीय स्थिति में पड़ गये हैं। इस मामले में केवल शासक दल ही नहीं अपितु विरोधी दल की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सबको मिल कर इस स्थिति पर विचार करना है।

मेरे विचार में इस अवस्था में इन सब बातों पर विवाद करने का कोई लाभ नहीं है कि इस सरकार को कामचलाऊ सरकार के रूप में रहने दिया जाय या राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इस देश का भविष्य क्या होगा, हमें इस बात पर विचार करना है और यही बात इन परिस्थितियों में संगत भी है। जब कांग्रेस दल में मतभेद था और वर्तमान सत्र शुरू होने के ठीक पहले द्रमुक की बैठक हुई तो देश का भविष्य ही हमारे सामने एकमात्र विचार था, जिसके

कारण हमने इस सरकार का समर्थन किया । और आज भी हमारे सामने वही विचार सर्व प्रमुख है । क्योंकि एक बार यदि हम इस सरकार को समाप्त कर देते हैं तो फिर हमें सोचना है कि इस देश के भविष्य का क्या होगा । इसलिये यह आवश्यक है देश के सभी पक्षों के नेता इस बात पर जुट जायें कि केन्द्र में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो क्योंकि केन्द्र में विपत्ति का अर्थ है कि सारे देश को विपत्ति का सामना करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास आधा घण्टा अभी बाकी है । उसमें से कुछ समय मंत्री लेंगे । इसलिये यदि सरकार की तरफ से माननीय सदस्य सहमत हों तो हम विपक्षी दल की सूची समाप्त कर सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने सिण्डीकेट, स्वतंत्र, जन संघ आदि दलों के नेताओं के भाषण बड़े ध्यान से सुने हैं । डा० राम सुभग सिंह ने बताया कि किस प्रकार प्रधान मंत्री चुनाव उद्देश्यों के लिये सरकारी व्यवस्था का उपयोग करती हैं । इससे मुझे स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन के चुनाव की याद आ गई है कि किस प्रकार डा० राम सुभग सिंह ने, जोकि उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, सरकारी संयंत्र का उस उद्देश्य के लिये उपयोग किया था ।

एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अल्प सूचनाप्रश्न को सभा-पटल पर रखा गया था । उसके बाद जो वक्तव्य दिया गया था मैं उसका स्वागत करता हूं । परन्तु चुनाव आयुक्त ने जो विभिन्न वक्तव्य दिये हम उनसे सहमत नहीं हैं । यद्यपि मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि भविष्य में उन्हें ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए जिससे देश में भय फैले । परन्तु जहां तक संसद् को भंग करने और पुनः चुनाव कराने का प्रश्न है, तो मैं अपने दल की ओर से यह घोषणा करता हूं कि हम दिल्ली में भी पुनः चुनाव करवाने के पक्ष में हैं ।

हमने इन्दिरा गांधी सरकार के कार्यों का समर्थन किया क्योंकि उन्होंने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कदम उठाया जो कि उचित था । परन्तु हमारा समर्थन शर्तों के साथ है ।

प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार नहीं है । केवल मंत्रिमण्डल ही राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है । मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि राष्ट्रपति केवल नाममात्र के लिये ही है । राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है । देश का उच्चतम पद राष्ट्रपति का होता है और उसे ही आज नाममात्र का पद कहा जा रहा है हमारे देश के लोगों की, संसदीय लोकतंत्र की यह धारणा है ।

यदि वर्तमान सरकार का संसद में बहुमत नहीं है तो फिर उन्हें डर किस बात का है ? यदि संसद भंग हो गई तो जनता केवल उन्हीं को दुबारा चुनेगी, जिन्हें वह चाहेगी; चाहे वह किसी भी दल का उम्मीदवार हो ।

यदि आज संसद् भंग हो गई तो हमें अफसोस नहीं होगा हम फिर से चुनाव लड़ेंगे ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Minister has said that the Election Commission had started the work of the revision of electoral rolls in a routine manner. The fact is that the Election Commission must have Consulted the Government in regard to this matter and the Government has given instruction to the Commission to undertake this work as they may have to go in for a mid term poll any time in the event of the fall of the Government.

The Government should tell us what changes the Election Commission is going to introduce to ensure that the elections, whenever they may be held, are impartial and there are no malpractices like the influence of money and misuse of official position by the Ministers. Has the Election Commission given any suggestion to the Government in connection with holding the election in democratic manner. It should also be clarified whether the Government is going to make any amendment in the election Law to curb malpractices in elections.

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : हमारे संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसका दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। उसे इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है तो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही दिन प्रतिदिन की कार्यवाही करनी चाहिये। वर्तमान चुनाव आयुक्त ने जिस तरह एक बार नहीं बल्कि अनेक बार सार्वजनिक वक्तव्य दिया वह अनुचित था।

मंत्री महोदय ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन निर्धारित तरीके के अनुरूप ही किया गया कांग्रेस संसदीय दल की 13 नवम्बर की बैठक जिससे विघटन पैदा हो गया था, उसके बाद ही 15 नवम्बर को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में व्यापक रूप से संशोधन की घोषणा की। 3 संसदीय स्थानों के लिये और 15 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया। इसके लिये एकमात्र तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि संशोधन किया जा रहा है। इसलिये अधिक संख्या में मतदाता मत दे सकेंगे। यदि यह विचार था तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने विधि सम्मत काम नहीं किया है। ऐसे उपचुनाव पहले भी हुये हैं। किसी भी उपचुनाव को मतदाता सूची के कारण कभी भी रोका नहीं गया।

मतदाता सूची में संशोधन निर्धारित तिथि पर होते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, की धारा 14 के अनुसार यह निर्धारित तिथि पहली जनवरी है। मतदाताओं की आयु को लेकर पहली जनवरी, 1969 को संशोधन सूची में संशोधन किया जा रहा है। इससे अनेक मतदाता जो संविधान के अन्तर्गत मत देने के अधिकारी हैं वे मत नहीं दे सकेंगे। यदि पहली जनवरी, 1970 से मतदाताओं की आयु को लेकर संशोधन प्रारम्भ किया जाय तो फिर इसे नियमित प्रक्रिया बना सकते हैं। नियम 21 (2) (बी) के अनुसार जिसका, विधि मंत्री ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया, हर वर्ष किये जाने वाले संशोधन सामान्य संशोधन हैं। इसे संक्षिप्त संशोधन कहा जाता है। परन्तु 1952 के बाद से कभी भी ऐसा व्यापक संशोधन नहीं किया गया जो कि अब किया जा रहा है। निर्वाचक पंजीकरण नियम के नियम 12 के अनुसार दावा करने और आपत्ति उठाने की अवधि दी हुई है और चुनाव आयुक्त इस अवधि को कम नहीं कर सकते। अवधि कम करने का यह काम संसद द्वारा बनाये और समर्थित नियमों के विरुद्ध है।

उपबन्धों के अन्तर्गत चुनाव आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि अवधि बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता है।

विधि मंत्री को सभा को यह बताना चाहिए कि मतदाता सूची में इतने विस्तृत संशोधन करने के लिए जल्दबाजी या आपातस्थिति क्या थी। यह दिन-प्रति-दिन का कार्य नहीं था। सरकार और विधि मंत्री ने मिलकर सभा को गुमराह किया है। अवधि को कम करना एक असाधारण बात है और यह संसद् द्वारा बनाये गये तथा उसके द्वारा अनुमोदित नियमों के विरुद्ध है।

यह बात तो मेरी समझ में आ सकती है कि 15 नवम्बर को की गई घोषणा में यह कहा गया है कि मतदाता सूची में 20 नवम्बर से संशोधन शुरू होगा। परन्तु 15 नवम्बर को आप यह घोषणा करते हैं कि 15 नवम्बर से ही संशोधन शुरूहोगा और साथ ही आपने अवधि 30 दिन से कम करके 15 दिन कर दी है। इस तरह आप जनता को वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। आपने जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है और इस तरह उन लोगों, जो 21 वर्ष के हो चुके हैं, को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है जिससे बहुत से मतदाता को मतदाता के रूप में अपने-आप को रजिस्टर कराने सम्बन्धी मूल तथा संवैधानिक अधिकार से वंचित हो गये हैं। क्या यह अवधि का कम करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत था ? तीसरी बात यह है कि जब यह दिन-प्रति-दिन का कार्य है तो क्या सरकार का और अवधि बढ़ाने का विचार है ताकि 1 जनवरी, 1970 तक अधिक संख्या में मतदाता रजिस्टर हो सकें। यदि यह एक नियमित प्रक्रिया है तो पहली जनवरी, 1970 से मतदाता सूची में संशोधन किया जाये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The first Chief Election Commissioner, Shri Sukumar Sen had earned fame for his impartiality by rising above political considerations. The conventions set up by him should not be allowed to be eroded.

I would like to say that it was not proper for the present Chief Election Commissioner to have said in his statement that there should be a care-taker Government before a mid-term poll and that there would be no President's rule. I think that the Chief Election Commissioner has transgressed limits of his jurisdiction by making such a statement.

Finally, I would like to say that there is apprehension that if the Government today uses the Election Commission to serve its own ends, it might make misuse of official machinery during the elections. If the Government make use of the Election Commission for its own purposes, the people will lose faith in democracy.

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्यावधि चुनाव या लोक सभा को भंग करने का विचार नहीं किया जा रहा है।

यदि मुझसे यह कोई पूछे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने 5 नवम्बर को राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन क्यों बुलवाया, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं

है, क्योंकि न तो मैंने और न ही केन्द्रीय सरकार ने चुनाव आयुक्त से ऐसा सम्मेलन बुलाने का आग्रह कभी किया था। जो कुछ जानकारी मुझे दी गई है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मध्यावधि चुनाव या लोक-सभा को भंग करने का कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के आचरण के सम्बन्ध में अनेक वक्तव्य दिये गये हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद से लगभग आधे भारत में उप-चुनाव तथा मध्यावधि चुनाव हुए हैं। उन चुनावों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के आचरण के सम्बन्ध में संसद में या उससे बाहर कोई बात नहीं कही गई है, परन्तु सभी जगहों पर वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में जिस तरह निष्पक्ष रूप से चुनाव हुए उसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है।

अतः संसद् में इस प्रकार उनका उपहास नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि वह अपनी सफाई देने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं। वह चुनाव विधियों के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। उन्होंने चुनाव विधि पर एक पुस्तक भी लिखी है जो वकीलों को भी बहुत पसन्द आई है।

डा० रामसुभग सिंह : काश्मीर में हुये चुनावों के मामलों में क्या हुआ ?

श्री कंवरलाल गुप्त : अब स्थिति भिन्न है और कांग्रेस अल्पसंख्यक में हैं।

श्री गोविन्द मेनन : मैं यह बताना चाहूंगा कि चुनाव याचिकाओं पर मुख्य चुनाव आयुक्त निर्णय नहीं लेते। इस प्रकार के निर्णय उच्च न्यायालयों द्वारा लिये जाते हैं। अतः चुनाव याचिकाओं को निबटाने के लिये मुख्य चुनाव आयुक्त के पास नहीं जाना चाहिए।

डा० रामसुभग सिंह : वहां पर हुये सभी चुनाव बोगस हैं।

श्री गोविन्द मेनन : अधिकतर प्रान्तों में मतदाता सूचियां पुरानी हो गई हैं। बहुत बड़ी संख्या में वे युवक जो पिछले कुछ वर्षों में 21 वर्ष के हो चुके हैं, को इन सूचियों में दर्ज नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में मतदाता सूचियां 1962 की निश्चित तिथि के अनुसार हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो मतदाता 28 वर्ष के हो गये हैं, उन्हें भी सूचियों में शामिल नहीं किया गया है। कुछ स्थानों में निश्चित तिथि 1965 है जब कि कुछ अन्य स्थानों में यह 1968 है। हम मतदाता सूची को तैयार करने की निश्चित तिथि जनवरी, 1969 के स्थान पर जनवरी, 1970 करने का विचार कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिये, आपत्ति और अधिकार का दावा करने के लिये 30 दिन सम्बन्धी नियम में संशोधन करके यह अवधि 15 दिन कर दी गई है। यह लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत नियमों में और सुधार करने के विचार से किया गया है। इस तरह से हमारे पास एक खुला मतदाता रजिस्टर होगा जिसे साधारण प्रक्रिया द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुझे यह लिखा है कि इस जोरदार कार्यक्रम के अनुसार वर्तमान संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज के बाद मतदाता सूचियां खुले रजिस्टरों के रूप में रखी जायेंगी जिनमें लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। उन लोगों के नाम शामिल किये जाते रहेंगे जो वोट देने के लिये 21 वर्ष की आयु के हो गये हैं। उन लोगों के नाम निकाल दिये जायेंगे जो या तो मर गये हों या जिन्होंने हमेशा के लिये निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दिया है। इस उद्देश्य के लिये एक साधारण कागज में प्रार्थना-पत्र लिखना पर्याप्त होगा।

अतः हम चुनाव प्रक्रिया में सुधार कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक खुला रजिस्टर होगा और जैसे ही कोई नागरिक 21 वर्ष की आयु का हो जाता है वह अपना नाम रजिस्टर करा सकता है और जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है अथवा निर्वाचन क्षेत्र हमेशा के लिये छोड़ जाता है तो उसका नाम उसमें से काटा जा सकता है। मैं सभा से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह वांछनीय नहीं हैं कि देश के नवयुवकों, जो 21 वर्ष के हो चुके हैं, मतदाता रजिस्टर में शामिल किये जायें।

कुछ चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं, जो चुनाव विधि के अन्तर्गत अधिसूचित हैं उन्हें स्थगित नहीं किया गया है। वे हो रहे हैं। जहां तक उन चुनावों का सम्बन्ध है, जिनकी तिथि की अभी अधिसूचना नहीं दी गई है, मुख्य चुनाव आयुक्त 15 जनवरी के बीत जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि मतदाता सूचियां तैयार हो जायेंगी।

चुनाव अधिकारी विभिन्न राज्यों से हैं, वे न केवल कांग्रेस राज्यों से ही हैं अपितु उन राज्यों से भी हैं जहां अन्य राजनीतिक दलों का प्रशासन है। ये सब मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त के अधीन नहीं हैं। वे राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा उन सब राज्यों के, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ नहीं है, मुख्य चुनाव अधिकारियों ने इस मामले की चर्चा की और सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज की परिस्थितियों में देश भर के मतदाता रजिस्टर बहुत पुराने हैं। अतः एक ऐसा जोरदार कार्यक्रम तैयार करना होगा जिससे कि मतदाता रजिस्टरों को पहली जनवरी, 1970 की निश्चित तिथि तक अद्यतन किया जा सके। इस प्रक्रिया द्वारा 3 से 4 करोड़ तक अतिरिक्त नवयुवक मतदाता रजिस्टरों में शामिल कर लिये जायेंगे। ऐसी स्थिति में यह कहना गलत होगा कि यह सब मध्यावधि चुनाव, आदि कराने के लिये किया जा रहा है।

श्री द्विवेदी ने कहा है कि सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिये चुने गये हैं और वे लोक-सभा भंग नहीं होने देंगे। मैं यह नहीं चाहता कि लोक-सभा भंग हो, परन्तु मैं उन्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि लोक-सभा की अवधि तब तक 5 वर्ष है जब तक वह 5 वर्ष से पहले भंग नहीं कर दी जाती अथवा जब तक राष्ट्रपति को लोक-सभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि यह लोक सम्मति का प्रश्न नहीं है। यह एक संवैधानिक प्रश्न है। यह विषय को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए।

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह एक संवैधानिक प्रश्न है क्योंकि संविधान में इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति लोक-सभा को भंग कर सकते हैं। यह विषय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि यह एक राजनीतिक विषय है। मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि लोक-सभा को भंग करने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्त में मैं फिर यह कहूंगा कि इन स्थितियों में मतदाता सूचियों में संशोधन किया गया है। यह न तो मेरे कहने से और न ही सरकार के आदेशानुसार हुआ है। जो कुछ मैंने जानकारी दी है वह सब मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी थी जिन्होंने पिछले 2½ वर्षों में बड़ी कुशलता से तथा निष्पक्षता से अपना कार्य किया है।

सभा की बैठक के बारे में
Re: SITTING OF THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि आप जानते हैं कि कार्य मन्त्रणा समिति ने यह निश्चय किया है कि चूंकि कल छुट्टी है इसलिये कल सभा नहीं बैठेगी। अतः सभा शुक्रवार, 11 बजे तक स्थगित की जाती है। यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होगा तो आपको सूचित कर दिया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 1969/21, अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 12th December, 1969/ Agrahayana 21, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 12-3-70—340